

भारतीय मजदूर संघ



दसवां अखिल भारतीय
अधिवेशन

18, 19, एवं 20 मार्च 1994

महामंत्री का प्रतिवेदन

भारतीय मजदूर संघ



दसवां अखिल भारतीय
अधिवेशन

18, 19, एवं 20 मार्च 1994

महामंत्री का प्रतिवेदन

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुओं एवं बहनों,

मुझे यह प्रतिवेदन आपके सम्मुख रखने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है। यह प्रतिवेदन - बडौदरा (गुजरात) फरवरी 1991 में हुआ भामसं. का नवम् त्रैवार्षिक अधिवेशन एवं धनबाद (बिहार) में 18 से 20 मार्च 1994 का हो रहे दशम् अधिवेशन - के बीच के बीच तीन वर्षों का लेखा-जोखा है।

मुझे विश्वास है कि आप इसे ठीक से देख- समझकर सर्वसम्मति से स्वीकृत करेंगे।

धनबाद

18-3-1994

भवदीय,

(राजकृष्ण भक्त)

महामंत्री

- श्रद्धांजलि -

गत तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कई श्रेष्ठ व्यक्ति काल के गाल में समा गए। उनकी स्मृति में अपनी विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करना हमारा परम कर्तव्य बनता है।

कांची कामकोटी पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य श्रद्धेय श्री चंद्रशेखेन्द्र सरस्वती जी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ। उनके जाने से एक आध्यात्मिक विद्वान परमाचार्य की देश को कमी महसूस होगी। चिन्मय मिशन के स्थापक व आध्यात्मिक पुरुष स्वामी श्री चिन्मयानन्द जी भी समाधिस्थ होकर निजधाम चले गये।

श्री भाऊराव देवरस, श्री यादवराव जोशी एवम् श्री वापूराव मोघे, रा०स्व० संघ के संस्थापक डा० हेडगेवार जी के सहयोगी थे। ये तीनों शरीर त्याग कर अनंत में विलीन हो गये। तीनों अत्यंत कर्मठ कर्मयोगी एवं श्रेष्ठ प्रचारक थे। श्री भाऊराव ने कई विभिन्न पदों पर रह कर कार्य किया एवं अंत में काफी ऊँचे पद पर वे थे। जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में यद्यपि उनके पास कोई पद नहीं था लेकिन सभी लोग एवं मंच उनकी अमूल्य सलाह से लाभान्वित होते रहे। वे संघ के चोटी के मार्ग दर्शकों में से एक थे। वे शांत स्वभाव के थे और उनकी वाणी मीठी थी। सभी उनका आदर करते थे।

श्री यादवरावजोशी 1940 के दशक में संघ-कार्य हेतु कर्नाटक आए। बंगलूरु को उन्होंने अपना मुख्य निवास स्थान बनाया। यहीं अगस्त 1992 में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। वे दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक थे और बाद में वे सह सरकार्यवाह बने। दक्षिण के संघ कार्य का श्रेय उन्हीं को है।

श्री मोघे जी अ. भा. बौद्धिक प्रमुख थे। तेलंगाना में प्रचारक थे और कुल समय राष्ट्र धर्म प्रकाशन की जिम्मेदारी सम्हाली थी।

उत्तर प्रदेश के संघ चानक ब.नरेन्द्रजीत सिंह एक प्रसिद्ध कानूनविद एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्हें शिक्षा क्षेत्र से लगाव था और उन्होंने कई शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की।

श्री शरद जी मलहोत्रा मध्य भारत के प्रान्त प्रचारक थे।

श्री काशीनाथन एवं कुछ अन्य बन्धु तब शहीद हुए जब मद्रास के संघ कार्यालय में बम विस्फोट हुआ।

(शेष पृष्ठ 48 पर)

प्रतिनिधि बन्धु, भगिनियों,

फरवरी 1991 बडौदरा (गुजरात) में हुए अपने नवम् अधिवेशन और जिस हेतु हम यहां कोयले की नगरी धनबाद (बिहार) में एकत्रित हुए हैं, यह अपना दशम् अधिवेशन इन दोनों के बीच के तीन वर्षों के काल में देश में कई प्रकार की उथल-पुथल हुई है। देश में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उलझनें एवं आन्दोलन भी हुए हैं। गतिशील काल ने सब कुछ देखा एवं अनुभव किया है एवं देश का चित्र पर्याप्त मात्र में बदल चुका है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय जागरण की जो भावना दबीपड़ी थी आज उसका पुनः उदय हुआ है एवं अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा में वह पुनः समरस हो चुकी है। साथ ही सांस्कृतिक एकता-एकात्मा के आधार पर इस भादना ने समस्त दलगत एवं जातिगत अलगाव को मात देकर एक शक्तिशाली सामर्थ का निर्माण किया है, जिससे लोगों में आत्मविश्वास भी जगा है। हिन्दुत्व के नवजागरण से और "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की उसकी प्रेम एवं स्नेह की अनुभूति प्रेरणा से आध्यात्मिक भारत की इस सनातन भूमि के इतिहास में पुनः प्रेम की धारा बहने लगी है।

किन्तु देश के आर्थिक चित्र के परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ उथल-पुथल हुई है, जिससे जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों के विकास में बाधा निर्माण हुई है क्योंकि यह उथल-पुथल मात्र भारत में ही नहीं, विश्व में सर्वत्र ही हुई है। भारत समेत 117 देशों द्वारा समस्त एवं स्वीकृत अति विवादित अंतर्राष्ट्रीय गैट करार का दूरगामी दुष्परिणाम भविष्य में होने ही वाला है। हमारे देश का आर्थिक ढांचा काफी बदल चुका है एवं आगे वह और भी बदलने वाला है। हमारी अर्थ व्यवस्था की आधारशिला रखने वाले हाथों ने ही आज हमारे अर्थतंत्र को तोड़ मरोड़ दिया है।

अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं संप्रभुता के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं एवं संभवतः प्रयास बंद होने की कगार पर हैं। जिससे भविष्य अंधकारमय सा होने की संभावना दिखती है फिर भी आशा की किरणें अब तक समाप्त नहीं हुई हैं। क्योंकि राष्ट्रीयता एवं स्वदेशी की भावना की ज्योति जल रही है जिसमें विदेशी प्रभुत्व को रोकने की क्षमता है, साथ ही वह अपेक्षातीत शीघ्र स्वदेशी अर्थतंत्र स्थापित करने में भी सक्षम है।

अकल्पित जनहानि, धनहानि एवं विनाश की एक अभूतपूर्व तीसरी घटना है, भूकम्प महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में इस कारण हाहाकार मचा, जिससे गरीब एवं भोले हजारों ग्रामवासी कालकवलित हुए।

इस तरह इन तीन घटनाओं से देश की अप्रत्याशित हानि हुई है, लेकिन एक समृद्ध एवं सुखी भारत के निर्माण हेतु, जनता में कठिन परिश्रम एवं दृढ़ निश्चय की भावना भी जगी है, जो निश्चय ही अपनी सांस्कृतिक धरोहर एवं स्वत्व के आधार पर सुख, समृद्धि एवं शांति का साम्राज्य प्रस्तुत कर सकेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

गत तीन वर्षों के काल में विश्व के कतिपय देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

सोवियत रूस में सत्ता के लिए एक षडयंत्र हुआ जिसे श्री बोरेस येलत्सिन ने कुचल दिया। लेकिन इस के पश्चात् सोवियत युनियन भूतकाल की बात हो गई। पूर्व के सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूसी गणतंत्र द्वारा मुक्त बाजार के अर्थतंत्र को लाने का जी तोड़ प्रयास हो रहा है पर इसका घोर विरोध भी हो रहा है। बेशुमार मूल्य वृद्धि, अनाज का अभाव, बढ़ती बेकारी, तथा कई कट्टरवादी संगठनों एवं दलों का विरोध, आदि के कारण वहां शांति स्थापित होने की आशा धूमिल हो गई है।

भारी औद्योगिक मंदी के कारण रूस ने पश्चिम के विकसित देशों का अनुनय विनय करना प्रारम्भ कर दिया है। रूसी साम्राज्य के देश एक के बाद एक करके श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं या उन्हें फालतू मान कर कुछ हर्जाना देकर उनकी छुट्टी कर रहे हैं। इस दृष्टि से सर्वाधिक आहत उद्योग हैं ऑटोमोबाइल एवं इस्पात उद्योग।

दक्षिण अफ्रीका में अंततोगत्वा रंगभेद की नीति समाप्त हो गई है एवं वह इतिहास की वस्तु बन गई है। साथ ही और कालों के लिए समान अधिकार कम सुखद जनतांत्रिक परिवर्तन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने और विशेषकर आय एल ओ द्वारा रंगभेद की घृणित नीति के विरोध में जोरदार आवाज उठाये जाने आदि के कारण अंततः बिना खून-खराबे के यह समस्या हल हो गई। दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष प्रेसिडेंट डी क्लार्क एवं जननेता श्री नेल्सन मंडे ला- इन दोनों की बुद्धिमानी एवं चातुर्य भी इस सिलसिले में काम आया।

एक लम्बे अर्से से भारतीय एवं अफ्रीकी जनता के परस्पर प्रगाढ़ मैत्री के मधुर सम्बन्ध रहे हैं और यह आशा करना निरर्थक नहीं होगा कि अफ्रीका में आये परिवर्तन के कारण दोनों देशों की जनता और अधिक निकट आएगी।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् संयुक्त गणराज्य अमेरिका की टक्कर का कोई प्रतिस्पर्धी बचा नहीं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब मात्र द्विपक्षीय नहीं बल्कि अनेक पक्षीय हो गई है। जहां तक विकासशील देशों का प्रश्न है, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण मानी जायगी। अमेरिका अपने आपको बड़ा भाई मानकर, समस्त विकासशील देशों को धमका रहा है और सब पर अपनी शर्तें थोप रहा है। कमजोर देशों को झुकाकर वह उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने पर बाध्य कर रहा है, जिसमें मात्र अमेरिका

की हितपूर्ति हो सकती है। और इसके लिए वह अपने “व्यपार एवं स्पर्धा कानून” की स्पेशल 301 तथा सुपर 301 की धाराओं का उपयोग कर कमजोर देशों को डरा धमका रहा है। वह सोचता है कि विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सके और उसका व्यवहार भी ऐसा हो रहा है कि मानों विश्वभर के देशों के लिए नीति-निर्धारण करने का उसी का एकाधिकार है।

यद्यपि यह स्थिति अत्यंत घातक है, पर वह अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं। क्योंकि निश्चित रूप से अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व पर भी निकट भविष्य में आंच आने वाली है।

25 नवम्बर, 1993 को सारे देश भर में, अमेरिका की इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किये गये। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर यह कार्य क्रम हुआ और दूतावास के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया।

नई आर्थिक नीति

नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक क्षेत्र के लिये जो नीति घोषित की थी, उसके ठीक उल्टी बनी है- “नई आर्थिक नीति”। 24 जुलाई 1991 को, वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने, संसद में, औद्योगिक नीति के संबंध में एक वक्तव्य दिया वह 1947 में स्वराज्यप्राप्ति से लेकर अब तक की सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति के एकदम विपरीत था।

1948, 1956, 1973, 1977 एवं 1980 में तत्कालीन सरकारों ने औद्योगिक नीति पर वक्तव्य दिए थे। इन सबके विभिन्न वक्तव्यों में कुछ नई दिशा विभिन्न पहलुओं पर विशेष जोर, आदि थोड़े से बदल रहने पर भी, समाजवादी ढांचे पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र की नीति बदली नहीं थी एवं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को काफी अधिमान भी था। लेकिन 1991 में इस समाजवादी नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर उदारीकरण के नाम पर मुक्त बाजार प्रणाली की नीति अपनाई गई।

समाजवाद ढांचा लुढ़क गया:-

1985 के पश्चात् से विश्वभर में सब ओर आर्थिक राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तत्कालीन सोवियत संघ में, श्री मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां एक आर्थिक क्रांति का चक्र शुरू किया क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति भयावह हो चुकी थी। सोवियत संघ के पूर्वी यूरोप में स्थित छोटे छोटे देशों ने इसी का अनुकरण एवं

अनुसरण शुरू किया। चीन में श्री डेंग द्वारा आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया क्योंकि वहां की भी आर्थिक स्थिति बदतर हो गई थी। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के देशों की राजनैतिक व्यवस्थाएं, ताश के बंगले के समान धराशायी हो गई एवं 1991 के अंत में सोवियत संघ का विघटन होकर वहां छोटे-छोटे स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। बीजिंग के तिनेमन चौक में, 1991 में हुए विशाल छात्र-विद्रोह को अत्यंत निर्दयता से कुचलकर चीन ने अपनी राजनैतिक सत्ता कायम रखी।

मानवजाति के दुर्भाग्य से उक्त साम्यवादी देशों ने, मुक्त बाजार व्यवस्था की नीति अपनाई जो पूंजीवादी नीति का ही एक विकृत रूप थी, और जिसका अब तक उन्होंने जीजान से विरोध किया था। इनमें से किसी ने भी अपनी स्वतंत्र अर्थनीति बनाने का विचार नहीं किया और किंचित भी समय न गंवाते हुए उक्त व्यवस्था अपना ली। अपनी साम्यवादी राज्य व्यवस्था को कायम रखने वाला चीन भी इससे अछूता न रहा और उसने भी मुक्त बाजार प्रणाली वाली अर्थनीति को स्वीकार किया। फर्क इतना ही रहा कि उसे उसने "समाजवादी बाजार व्यवस्था" का नाम दिया जिसमें पुरानी प्रणाली को चिपके रहने का आभास उत्पन्न हो। अखाड़े के अंदर कुश्ती में हारे हुए पहलवान द्वारा स्वयं की बड़ाई और तारीफ किए जाने के समान ही यह था।

विश्वभर में कई स्थानों पर घटी यह उल्लेखनीय घटना का बड़ा परिणाम भारत सहित विश्व के अन्यान्य कई देशों पर भी पड़ा।

ऋण अर्थात् विदेशी शिकंजा

इसी से जुड़कर, 1991 में बनी हमारी नई सरकार को, एक सड़ी गली अर्थ व्यवस्था अपनानी पड़ी। इससे स्थिति खराब हुई और हमारे कोष में मात्र एक अरब अमरीकी डॉलर के बराबर मुद्रा कोष रह गया। विदेशी मुद्रा के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। एवं इस स्थिति में सरकार ने इस सोने के बदले 5 अरब डॉलर का भारी ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया। इसके साथ ही स्थिति बदल गई। विशाल भारतीय बाजार जो पूर्ण रूप से न मुक्त था और नहीं प्रचलित अर्थ में बंद था मित्तु आत्मनिर्भरता, एवं राष्ट्रीय संप्रगुता के लिए वह कुछ नियमों बंधनों से नियमित था एवं देश के लिए लाभकारी ऐसे एक अपने तंत्र के आधार पर चल रहा था। पश्चिमी देशों की गृह दृष्टि पहले से ही हमारे विशाल बाजार पर थी परन्तु भारत द्वारा ऋण लिए जाने के पश्चात् इन देशों को भारत के बाजार में प्रवेश करने की एक स्वर्ण-सन्धि दिखाई दी। उनके लिए यह आवश्यक भी था क्योंकि उन सबकी अपनी आर्थिक स्थिति, मंदी एवं उत्पादन तथा खपत में असंतुलन के कारण डांवाडोल हो चुकी थी। परिणाम से वहां

बंद, छंटनी, फालतू उत्पादन की घोषणा वहां के उद्योगों में शुरू हुई। उन्हें अपने फालतू उत्पादन के लिए ऐसे बड़े बाजार की आवश्यकता थी कि जहां अपना माल बेचकर वे मालामाल हो सकते थे। इसी से वहां की औद्योगिक मंदी का निराकरण वे कर सकते थे।

इस सबसे ऐसी परिस्थिति बनी कि “संसद में संख्या के अनुपात में कमजोर, सिद्धांतों पर अटल न रहने की दृष्टि से कमजोर, दृढ़ निश्चय की कमी के कारण कमजोर एवं नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिस,” ऐसी भारत सरकार पर जोरदार दबाव पड़ा।

इसी के कारण नई अर्थ नीति एवं नई औद्योगिक नीति बनी जिसने हमारे संपूर्ण अर्थनीति को विश्व के पूंजीवादी देशों के साथ जकड़ दिया।

लोगों को भ्रम में डालने के लिए एवं उन्हें झांसा देने के लिए, एक झूठी बात कही गई कि यह विदेशों के सामने शरणागति नहीं है। औद्योगिक नीति में आत्मनिर्भरता का स्वांग रचा गया है किन्तु सत्यता कुछ और ही है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था:-

भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के दो पहियों पर आधारित एक नई अर्थनीति का नमूना स्वीकार किया। लेकिन सोवियत संघ का बढ़ता प्रभाव एवं समाजवादी सिद्धांतों की ओर हमारे वरिष्ठ नेताओं के झुकाव “राज्यसत्ता के हाथों में एकाधिकार” की बात अपने यहां सिद्धांत रूप में आ गई। विभिन्न वामपंथी श्रमसंगठनों का दबाव तथा कथित प्रगतिवादी वामपंथी विचारधारा के प्रति हमारे राज्यकर्ताओं के रुझान (जो कि वर्तमान समय में एक फैशन सी बन गई है) ने सार्वजनिक क्षेत्र पर इतना अधिक जोर दिया कि 1991 में भारत की पूंजी का 72 प्रतिशत हिस्सा उसमें लगा हुआ था। वामपंथी श्रम संगठन, भारतसरकार द्वारा देश के निजी क्षेत्र के बीमार उद्योगों एवं बंद उद्योगों को अधिग्रहित कराने में भी सफल रहे। आज घाटे में चल रहे 83 प्रतिष्ठान हैं, उनमें 32 उद्योग अधिग्रहित हैं।

ये सब लगातार घाटे में ही चल रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पर यह बोझ बने हुए हैं (प्राकृतिक गैस एवम् तेल उद्योग को छोड़ दें तो अन्य प्रतिष्ठानों का लाभ (मुनाफा) भी नगण्य ही है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के हिमायतियों ने इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने हेतु कोई प्रयास नहीं किया या वैसी चिंता भी नहीं की।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के सिलसिले में सरकार की प्रशासनिक नीति:

सार्वजनिक क्षेत्र की चिंता न करना या उसमें सुधार का प्रयास न करना इस दृष्टि से सरकार दोषी है। सरकार की प्रशासनिक नीति भी इसके लिए जिम्मेवार है। विश्व में प्रचलित अर्थ के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र समाज का होता है, राष्ट्र का होता है। अतः इस क्षेत्र से संबंधित मंत्री, प्रशासक, सभी स्तरों के प्रबन्धक, श्रमिक, कर्मचारी सभी का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस क्षेत्र को राष्ट्र की संपत्ति समझें कि जो अधिक वृद्धि के लिये उनकी जिम्मेवारी पर छोड़ी गई हैं लेकिन इस पवित्र भावना के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र की दशा सुधारने के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं और इससे इस क्षेत्र की अव्यवस्था एवं अक्षमता ही उजागर हुई है।

क्या भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ अक्षम हैं? यूँ तो नहीं है, लेकिन जिस पद्धति से उन्हें चलाया जाता है, वे अक्षम बन जाती हैं। अतः उनके अक्षम होने का निष्कर्ष निकालना व्यर्थ होगा। इन प्रतिष्ठानों के तकनीशियन अपने काम में तकनीक एवं तकनीकी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। परन्तु वे प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की आशा से काम करते हैं। इसी से अक्षमता उजागर हो रही है। एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे विश्व बैंक की रिपोर्ट के कुछ अंश यही बात बताते हैं।

एक शीर्षस्थ प्रशासक के अनुसार— “ अब समय की मांग है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को उनकी अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका देना चाहिए पर इसके लिए इन प्रतिष्ठानों एवं उनकी सरकारों के बीच के परस्पर संबंधों सुधार होना आवश्यक है। सरकारें अब किसी इथ्यालू मां के समान व्यवहार करना छोड़ दें। (सौतेला व्यवहार छोड़ दें) और पूंजी लगाने वाले जायज मालिक (पिता) के समान प्रतिष्ठानों के प्रति रूख अपनाएं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को वह सुविधाएं एवं स्वतंत्रता उपलब्ध हो जो सभी स्वस्थ प्रतिष्ठानों को उपलब्ध है। अर्थात् उन्हें उत्पादन की कीमतें तय करने की, आवश्यक पूंजी लगाने की, बदल करने का ऋण लेने की, ऋण देने की, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने की स्वतंत्रता हो। यदि सरकार बीमार प्रतिष्ठानों की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती तो सरकार कम से कम इन्हें स्वतंत्र रूप से चलाने की छूट तो दे दे। ”

क्या आप सोच सकते हैं कि ये कहने वाले और कोई नहीं पर हमारे डा० मनमोहन सिंह ही हैं, जिनके 1993 की जनवरी के प्रारम्भ के ये उद्गार हैं।

अतः दोष किसी का भी हो, यह बात सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्षमतावान नहीं हैं।

इसी लीक पर चलकर निजी क्षेत्र भी अक्षम हो गया है। इस क्षेत्र की दो लाख से अधिक इकाइया या तो बीमार है या बंद हो चुकी हैं, जिसके परिणाम से भी हमारी

अर्थ व्यवस्था का बोझ बढ़ गया है।

चिंताजनक स्थिति:-

इस तरह धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति अधिकाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा है। श्रम नियोजन का प्रमाण धीरे-धीरे घटता जा रहा है और बेकारी बढ़ रही है। अंततः इससे असंतोष, उपद्रव, उग्रवाद बढ़ने से स्वस्थ समाज जीवन पर आघात हो चुका है।

ऐसी स्थिति अधिक दिनों तक न चल सकती है और न चलेगी। इसमें कोई चाहे या न चाहे, बदल होना अनिवार्य है।

मात्र दो ही पर्याय नहीं-

ऐसी बात नहीं है कि हमारे सामने मात्र दो ही विकल्प हो- एक सार्वजनिक मालिकियत एवं दूसरी निजी समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, पश्चिमी ढांचा या पूर्वी ढांचा इतना ही नहीं है।

नई अर्थनीति की घोषणा के चार मास पूर्व बड़ौदा में हुए भामसं के अपने अधिवेशन में "औद्योगिक मालिकियत का स्वरूप" इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

इस प्रस्ताव में इस संबंध में नये से विचार करने का आह्वान किया गया था, साथ ही घिसे-पिटे पुराने और निरुपयोगी सिद्ध हुए विचारों या ढांचों को छोड़ने का आग्रह किया गया था। कहा गया था कि अपने साधनों- संसाधनों, प्रतिभा एवं हमारी आवश्यकता के लिए अनुकूल ऐसे नये ढांचे का विचार हो। उसमें यह भी था कि निजीकरण या राष्ट्रीयकरण ही मात्र दो पर्याय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी दर्जनों पर्याय हैं।

प्रारम्भ से ही भामसं का यह आग्रह रहा है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र को कभी न पवित्र गाय माना और नहीं कभी उसे अछूता माना। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि "भामसं. का मत है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का यह उपयुक्त अवसर है। अब भी समय है कि उद्योग के स्वामित्व के साथ साथ आर्थिक ढांचे का एक नमूना स्वतंत्र रूप से अपने देश में विकसित किया जाय।

इस संबंध में इसके सभी पहलुओं पर गंभीरता एवं गहराई से विचार करने हेतु सरकार एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करे जो अपना एक तंत्र विकसित कर सके। अभी भी समय है इस पर विचार किया जाय।

स्वदेशी अर्थव्यवस्था:-

इस विषय पर विचार करने वाले देश में कई बुद्धिमान स्त्री-पुरुष विद्यमान हैं। कुछ ने तो इस विषय पर प्राचीन ज्ञान का भंडार हमें उपलब्ध कराया है। जिससे एक विकल्प व्यवस्था का विकास करने में प्रेरक मार्गदर्शन मिल सकेगा। विख्यात अर्थशास्त्री एवं नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डा० एम.जी. बोकरे की पुस्तक "हिन्दू इकॉनॉमी (अंग्रेजी में) इसी की कड़ी में है। इस पुस्तक ने लोगों का यह भ्रम चकनाचूर कर दिया है कि प्राचीन हिन्दू मनीषियों का चिंतन मात्र आध्यात्मिक जीवन पर है और उन्होंने कभी भौतिक जीवन का विचार ही नहीं किया। सत्य तो यह है कि शुक्राचार्य, विदुर, याज्ञवल्क, चाणक्य आदि ऋषियों मनीषियों ने समाज के सभी प्रकार के लोगों का आध्यात्मिक, एवं भौतिक जीवन के आदर्शों, मानदंडों एवं व्यवहार के संबंध में मार्गदर्शन किया है। वेदों में भी इस पृथ्वीतल के भौतिक जीवन के बारे में काफी कुछ कहा गया है।

महर्षि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की महत्ता का गुणगान संपूर्ण विश्व ने किया है। उनके अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों से भौतिकता को पूर्ण रूप से तिलांजली देना संभव नहीं। भौतिक सुख धर्म के नियमों का आदेशों का पालन करते हुए प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके विपरीत आचरण से मानव में पशु प्रवृत्ति जागेगी। सिद्धांतहीन अर्थोपार्जन से मानव का शोषण और पतन होता है। अतः हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दू मानव हो। असंयमित एवं असीम लालसायें मानव के अधःपतन का कारण बनती हैं। महात्मा जी ने इस सम्बन्ध में जो कहा था उसका अर्थ यही है कि "पेट भरो, किन्तु पेटी मत भरो" अतः तात्पर्य यही है कि उत्पादन अधिक हो वितरण न्यायोचित हो पर उसका उपभोग संयमित हो।

अपने देश की स्वतंत्र एवं स्वदेशी आत्मनिर्भर व्यवस्था विकसित करने की यह आधारीत मान्यता न सिर्फ भारत की है, पर यह वैश्विक धारण है।

ऐसा सुना गया है कि इसलाम के कट्टर पंथी अनुयायी भी इस सिद्धांत के आधार पर इस्लामी अर्थव्यवस्था विकसित कर रहे हैं।

हाल ही में पोप जान पॉल ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यूरोप की सर्वाधिक गंभीर समस्या पूंजीवादी व्यवस्था पर अत्याधिक निर्भर रहने के कारण है। साम्यवादी व्यवस्था पर अतिनिर्भरता भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न करती है। उन्होंने आगे कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर कई देश निर्भर हैं लेकिन

वह अपने दुष्प्रभाव वहां उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवाद से भी हमें कुछ लेने लायक है, वह एकदम त्याज्य नहीं है। एक प्रकार से उनका मंतव्य यह दिखता है कि पूंजीवाद एवं साम्यवाद दोनों के ही कुछ लाभकारी पहलू मिश्रित अर्थव्यवस्था बन सकती है।

पूर्व का सोवियत श्रमसंघ (सोवियत ट्रेड यूनियन) ने रूस के प्रत्येक वर्ग की अलग-अलग जीवन पद्धति का विचार करते हुए आत्मनिर्भरता के आधार पर उसे विकसित करने का विचार किया था। उसमें सभी वर्गों यथा विशेष, राष्ट्रीय, वनवासी, आदि प्राचीन, जाति विशेष, मूल निवासी आदि सभी का विचार था। उसने तीसरी दुनिया के देशों के लिए पर्याय के रूप में ऐसी व्यवस्था कस सुझाव दिया था कि जिसमें मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी।

इस तरह दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसे विभिन्न विचार-प्रवाह चल रहे हैं एवं इस विचार - मंथन में से निश्चित ही कोई पर्याय रूपी अमृत निकलेगा।

भामसं. ने इस दिशा में स्वदेशी आन्दोलन की मोहीम प्रारंभ करते हुए कदम बढ़ाया। इसके अंतर्गत नित्य जीवन में देश में एवं देश में उत्पन्न कच्चे माल से ही उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह है। यह विचार की पूर्णतः स्वदेशी, देशभक्तिपूर्ण एवं सही दिशा है।

नई अर्थनीति के विषय में भा.म.सं. का मत

अब तक नई अर्थनीति के विषय में, भामसं. के विचारों से सभी अवगत हो चुके हैं। नई अर्थनीति की घोषणा के भी पूर्व, 18.7.91 को, इस पर भामसं. की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के रूप में सदस्यों को वितरित परिपत्रक में अपने विचार अति स्पष्ट शब्दों में रखे गये थे। उन पर हम अब तक स्थिर हैं। इसमें स्पष्ट किया गया था कि संप्रभुता, आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था, आर्थिक स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, आदि राष्ट्र के मानबिन्दुओं के साथ कोई समझौता न किया जाय।

परिपत्रक में आगे कहा गया है कि-

वर्तमान आर्थिक संकट कोई एक दिन में एवं अचानक नहीं आया। किन्तु गत कई दशकों से, विभिन्न सरकारों, द्वारा अपनाई गई गलत अर्थनीतियों का यह संचित परिणाम है।

स्वदेशी की भावना का जागरण अति आवश्यक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस ढंग से नियंत्रित किया जाय ताकि इससे हमारे देश को लाभ हो तथा वे हमारा शोषण न कर सकें। लाइसेन्स की पद्धति समाप्त कर देने से भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही समाप्त हो सकती है। किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि इससे श्रमिकों के हित पर आंच न आए। छोटे या मझोले उद्योगों को प्राप्ताहान मिले। यदि सरकार इस ओर दुर्लक्ष करे तो बाध्य होकर भामसं. उद्योग, कृषि एवं अन्याय न्यू क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध संगठित करेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वामपंथी श्रम संगठनों ने कहा था कि आर्थिक नीति मात्र 1980 के दशक में बिगड़ी। ऐसा कहने में उनका मतव्य था कि उसके पूर्व ऐसा शिकंजा पुनः एक बार सरकार कसे जिसमें सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होगा। भामसं. इससे सहमत नहीं है। वे लोग स्वदेशी के पक्ष में भी नहीं हैं। उनके अनुसार स्वदेशी के कारण श्रमिकों की वर्तमान समस्याओं की ओर दुर्लक्ष हो जाएगा। वह भी हमारे विचारों का मूलभूत विरोध है।

अगस्त में वितरित दूसरे एक परिपत्रक में उक्त सब बिन्दुओं पर विस्तृत विचार किया गया था एवं छंटनी की नीति के विरुद्ध भामसं. का दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया गया था। कहा गया था कि - श्रम की ठेकेदारी प्रथा, उद्योग के साधनों एवं क्षमता का पूरा पूरा उपयोग न करना, आदि के कारण ही श्रमिकों का अधोपूर्ति हो जाता है। यदि कुछ ही श्रमिकों की छंटनी करनी हो तो उन्हें दूसरे किसी तकनीकी कार्य की शिक्षा देकर पुनः दूसरी ओर नियुक्ति किया जाय। किसी भी श्रमिक को हटाया न जाय।

सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में परिपत्रक में कहा गया है कि-

यह क्षेत्र महत्व का है किन्तु यह न माना जाय कि यही एक मात्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निरंतर घाटा देने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठान चल नहीं सकते। यह देश पर बोझ रूपरूप होंगे। प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों ही मिल कर यहयास करें कि उनके प्रतिष्ठान मुनाफा कमाएं। श्रमिकों को पूंजी में भागीदारी मिले एवं वे प्रतिष्ठान को अपना मानकर कार्य करें।

श्रमिकों को पूंजी में भागीदारी दिए जाने की बात मात्र भामसं. ने की है। अन्य श्रमसंगठनों ने यह बात नहीं कही।

उदारीकरण

सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक उदार बनाने तथा उसका वैश्वीकरण करने का विचारकिया है।

लेकिन हमारे सम्मुख जापान का उदाहरण है। अपना बाजार विदेशों के लिए भी खोजने के लिए उस पर काफी दबाव था। परन्तु जापान ने बड़ी कुशलता से और प्रभावी ढंग से अमरीकी बाजार में प्रवेश किया और वहां के उद्योगों विशेषकर आटोमोबाइल (स्वचालित वाहनों) के उद्योगों पर वह हावी हो गया। परन्तु जापान झुका नहीं। उसमें आसानी से अपना हाथ खींचा नहीं यद्यपि वह जानता था कि यह स्थिति अधिक दिनों तक चल नहीं सकती। उसमें सर्वप्रथम अपने देश के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सशक्त बनाया जिससे वे विश्व के अन्यान्य देशों के साथ स्पर्धा कर सके। उसके उद्योग इस स्पर्धा के लायक बनें तभी उसने अपना बाजार विदेशियों के लिए खोला। जापान के विकास का अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ श्री सुबुरो ओकिता ने कहा कि जापान यदि 20 साल पहले अपने बाजार में विदेशियों को छूट देता तो संभवतः टोयोटा कारें और होंडा मोटरसाइकिलें वहां बनती नहीं।

जापान के उक्त उदाहरण से हमारी सरकार कुछ सीखें तो क्या ही अच्छा होगा।

नई अर्थनीति के विरोध में श्रमिकों का विराट प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में श्रमिकों का यह विराट प्रदर्शन दिल्ली स्थित लाल किले के बाहरी प्रांगण में, 20 अप्रैल 1993 को हुआ जिससे मजदूर संघ की शक्ति का प्रभाव सारे देश पर पड़ा। सभी राष्ट्रीय दैनिकों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, बी.बी.सी. एवं कुछ अन्य विदेशी प्रचार माध्यमों ने इसके समाचार दिये। इनकी नजर में प्रदर्शनकारी श्रमिकों की संख्या 50 हजार से एक लाख तक की थी। ये श्रमिक देश के कोने-कोने से आए थे एवं दोपहर की चिलचिलाती धूप में घंटों तक बैठे रहे। मंच पर बैठे नेताओं, एवं पत्रकारों को भी कड़ी धूप का सामना करना पड़ा क्योंकि श्रमिकों की तरह इनके लिए भी ऊपर खुला आकाश और नीचे जमीन का सहारा था।

इस प्रदर्शन का आयोजन, हमारी सरकार द्वारा गरीबों के लिए पीड़ादायक तथा राष्ट्रघाती एवं विदेशों विदेशियों द्वारा प्राप्त संकेतों के आधार पर बनी नई अर्थनीति के विरोध में था।

मुख्य भाषण मा० श्री ठेंगड़ी जी का था जिसका मुख्य सार- सूत्र था “डंकेंल प्रस्ताव को उसकी समस्त धाराओं - उपधाराओं के साथ नकारो, समूल उखाड़ फेंको”। इस सूत्र के आह्वान के परिणाम से मंत्र जैसा चमत्कार हुआ एवं शहरों के

साथ ग्रामों की गलियों भी इसी एक स्वर से गूँजने लगी और काफी समय बाद तक गूँजती रही।

सच पूछा जाय तो इस घटना के परिणामस्वरूप डंकल प्रस्ताव संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चर्चा या परिचर्चा का विषय बन गया है और सरकारी प्रवक्ताओं को बचाव की भूमिका अपनानी पड़ी है। यह अलग बात है किसरकार गैट वार्ता की शिकार बन गई, और निर्विरोध डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन संसद को ताक पर रखकर ही वह ऐसा कर सकी। जबकि डंकल प्रस्ताव के विरोध में भारी जनमत तैयार हो चुका था।

प्रदर्शन की कड़ी में दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना थी मा० राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा से, प्रदर्शन के पूर्व, भा. म.सं. के प्रतिनिधि मंडल को भेंट एवं एक ज्ञापन देना। इस ज्ञापन में विस्तृत रूप से नई आर्थिक नीति के घातक परिणामों पर प्रकाश डाला गया था तथा मा० राष्ट्रपति जी से निवेदन किया गया था कि सरकार को गलत नीति अपनाने से रेंगे। भामसं. के प्रतिनिधि मंडल की राष्ट्रपति से हुई भेंट का भी समाचार सभी प्रचार माध्यमों ने प्रसारित किया।

इसके बावजूद दूसरी और सरकार जनता की भावनाओं का निरादर करते हुए उन्हें कुचल कर विदेशियों के इस जाल में फँस चुकी थी। अतः भा.म.सं. ने अन्य न्य राष्ट्रीय शक्तियों के साथ सांझे रूप से, देश की प्रभुसत्ता की रक्षा हेतु, एक आन्दोलन छेड़ दिया जिसे भामसं. निष्ठापूर्वक चलायेगा।

इंग्लैंड एवं हंगरी में औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन

इंग्लैंड एवं हंगरी में औद्योगिक ढाँचे में किए परिवर्तनों का श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर हुए परिणाम का अध्ययन करने हेतु सितम्बर 1992 में, भारत सरकार ने एक त्रिपक्षीय दल का निर्माण किया। इस अध्ययन दल में प्रमुख श्रम-संगठनों आय.एन.टी.यू.सी., भा.म.सं., एवं हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि थे। अध्ययन दल का प्रवास अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आय.एल.ओ.) द्वारा आयोजित था अतः उसे बाद में अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देना था। भा.म.सं. ने प्रवास से लौटने पर अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत किया।

भामसं. प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ढाँचे के नवीनीकरण के परिणाम से दो बातें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आयीं। (1) बढ़ती बेकारी एवं (2) बढ़े मुल्य जिन्हें उपभोक्ता ने चुकाना है।

इंग्लैण्ड में भारी औद्योगिक मंदी के कारण आर्थिक स्थिति गंभीर बनी थी। वहां के प्रेस रिपोर्टों के अनुसार प्रति सप्ताह 1200 कंपनियों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही थी। वहां का विशाल एवं प्रमुख कोयला-उद्योग समाप्त प्रायः हो चुका है। "ब्रिटिश कोल कारपोरेशन" की एक सहायक इकाई "ब्रिटिश कोल एंटरप्राइज" को वहां के कोयला-उद्योग से निकाले गये फालतू श्रमिकों के पुनर्वासन संबंधी कार्य में सहायता करने की जिम्मेवारी दी गई थी। नए नए विषयों की शिक्षा की व्यवस्था कर निकाले गए श्रमिकों की सहायता यह इकाई कर रही है। इस शिक्षा-व्यवस्था के साथ साथ उसके सप्ताह केन्द्र, नया उद्योग प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक मदद, आदि के द्वारा "ब्रिटिश कोल एंटरप्राइज" प्रयास रत है। उसे कुछ नगण्य सी सफलता मिली है पर संपूर्ण स्थिति पर उसका परिणाम नहीं के बराबर है। टेलिफोन उद्योग एवं विद्युत विभागों का निजीकरण होने से असंख्य श्रमिक निकाले गए और वे बेघर हैं और दूसरी ओर टेलिफोन एवं विद्युत के सर्वसाधारण उपभोक्ताओं पर किराए का बढ़ा दर थोपा गया है।

हंगरी की समस्या कुछ भिन्न थी लेकिन दोनों जगह परिणाम एकसा हुआ है। बेकारों की संख्या बढ़कर 1991 के अंत में 11.1% हो गई है तथा अब तक उसमें कोई फर्क पड़ने का लक्षण दिखाइ नहीं देता। कागजी मृदा का प्रसार 30% बढ़ गया और अनाज की कीमतें 35% बढ़ गई।

अतः यह अति स्पष्ट है कि औद्योगिक ढांचे में ऐसा ही बदल करने पर भारत में लगभग वही परिणाम होगा। जिसमें बढ़ती बेकारी और अधिक मंहगा जीवन हो जाएगा। अध्ययन दल का निष्कर्ष यही है कि उक्त स्थिति को सागर - स्थित प्रकाशस्तंभ मानकर सतर्कता बरती जाय। भारत में औद्योगिक ढांचे को अधिक सक्षम और कारगर बनाने के तथा विदेशी कंपनियों से स्पर्धा करने लायक स्थिति निर्माण करने के प्रयासों के सिलसिले में भी उक्त प्रकाशस्तंभ का ध्यान रखा जाय।

भारत के लिए यही अध्ययन महत्वपूर्ण है।

स्वदेशी

प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेश के प्रति एवं स्वदेश की हर वस्तु के प्रति श्रद्धायुक्त प्रेम रहना अति स्वाभाविक है। लेकिन जब देश संकट से गुजर रहा हो, तब इस प्रेम का प्रगटीकरण महत्व का माना जाता है। देश के हर पुत्र एवं पुत्री को चाहिए कि वह संकट के समय देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। इसी का दूसरा नाम देशभक्ति है।

हमारे देश पर स्थित वर्तमान विदेशी कर्ज का बोझ एवं उसके साथ जुड़ी हुई अपमानजनक शर्तों के कारण हमारे देश की प्रतिष्ठा एवं सम्मान दांव पर लगा है। मुक्त बाजार प्रणाली, व्यापार संबंधी नियमों का उदारीकरण, आर्थिक योजनाओं का वैश्वकरण, ये सब हमारे संदर्भ में ही चल रहा है। ये सब हमारे देश के लिए घातक हैं।

अतः भामसं. ने इस तरह की मुक्त बाजार व्यवस्था का उससे जुड़े समस्त उद्योगों या पहलुओं समेत उनका विरोध करना प्रारम्भ किया तो यह ध्यान में आया कि यह विरोध मात्र पर्याप्त नहीं। सोचा गया कि हमारी प्रतिक्रिया कुछ रचनात्मक सुझावों एवं पर्यायों से युक्त हो। अतः अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु, यह उचित समझा गया कि हर व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान स्वदेशी की भावना को जगाया जाय।

इसे अधिक कारगर बनाने के लिए भामसं. ने 25 सितम्बर 1991 को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन का बहिष्कार" दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। सारे देश भर ऐसे प्रदर्शन भामसं. के झंडे तले आयोजित किए गये। सार्वजनिक स्थानों में विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, हमारे बाजारों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कब्जा जमाने के प्रयास की निंदा की गई, एवं नई अर्थनीति से उत्पन्न खतरों की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। बहुराष्ट्रीयों के उत्पादनों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। इस सबका परिणाम अच्छा हुआ। प्रचार- माध्यमों ने इसे उछाला एवं परिणाम स्वरूप शीघ्र ही यह देशभर में चर्चा का विषय बन गया।

सर्वसाधारण जनताको इस दिशा में जागृत करने हेतु साधारणतः नित्योपयोगी स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं की एक तालिका बनाकर वितरित की गई और यह आग्रह किया गया कि लोग स्वदेशी वस्तु ही खरीदें। यह भी सर्वदूर चर्चा का विषय बन गया।

पुनः 1991 के नवम्बर मास में एक और सप्ताह मनाया गया जिसमें भामसं के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित हुए और कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करते हुए स्वदेशी का व्रत पालन करने की शपथ ली। इसके कारण सभी बड़े शहरों और नगरों में विदेशी वस्तुओं के बदले, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, प्रारम्भ करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ी।

लोगों ने स्वदेशी की निम्नलिखित प्रतीज्ञा ली-

स्वदेशी की प्रतीज्ञा

मेरी मातृभूमि की रक्षा, देश के स्वदेशी उद्योगों का हितसाधन, विदेशी आर्थिक शिकंजे से अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना का

पुनर्जागरण तथा स्वदेशी की भावना का जागरण - आदि उद्देश्यों से प्रेरित होकर

1. मैं स्वप्रेरणा से एवं दृढ़ता से घोषणा करता हूँ कि आज से आगे, विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित कोई भी नित्योपयोगी वस्तु न कभी खरीदूँगा और नहीं उसका उपयोग करूँगा।

2. मैं भारत में बनी भारतीय वस्तु खरीदूँगा और उसी का उपयोग करूँगा। मैं अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों एवं मित्रों में स्वदेशी की भावना जगाऊँगा एवं स्वदेशी का कार्य प्रामाणिकता से करूँगा। भारत माता की जय!

इसके साथ साथ भारतीय मजदूर संघ ने, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहकार भारती एवं ग्राहक पंचायत के सहयोग से, एक मंच बनाने के लिए पहल की। इस मंच का नामकरण "स्वदेशी जागरण मंच" के रूप में किया गया।

इस तरह श्रमिक जगत के साथ साथ, स्वदेशी का मंत्र ग्रामों के किसानों छात्रों, सहकारिता के क्षेत्रों एवं उसके माध्यम से सीधे उपभक्ताओं तक पहुंच गया। स्वदेशी का मंत्र सर्वदूर व्याप्त हो गया।

विद्वान विचारक एवं अर्थशास्त्री- नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री एम.जी.बोकरे, इस स्वदेशी मंच के राष्ट्रीय संयोजक बने। इससे इस मंच की भी गरिमा बढ़ गई।

एक वर्ष बाद अर्थात् नवम्बर 1992 में मुम्बई में स्वदेशी जागरण मंच की एक विस्तृत बैठक हुई। इसमें यह ध्यान में आया कि विभिन्न विचारों या सिद्धांतों को मानने वाले लोगों का भी समर्थन इस मंच को मिला है। श्रीमति रोझा देश पांडे (साम्यवादी नेता श्रीपाद डांगे की सुपुत्री) एवं हिन्द मजदूर सभा के श्री एम.आर. कुलकर्णी तथा नैशनल ट्रेडयूनियन सेंटर के एक प्रतिनिधि ने इस बैठक में भाग लिया और अपना असंदिग्ध पूर्ण समर्थन इस कार्य को दिया।

इसी के साथ साथ मंच के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क करते हुए, उनसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर स्वदेशी वस्तुओं को अलग से सजाकर रखना प्रारम्भ किया तथा अपनी स्वतंत्र कल्पना और प्रतिभा से भी वस्तुओं का चयन शुरू किया।

स्वदेशी जागरण मंच का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 4-5 सितम्बर 1993 में धूमधाम से सम्पन्न हुआ। सर्वोच्च न्यायलय के भूतपूर्व न्यायधीश श्री व्ही आर कृष्ण अय्यर ने इसका उद्घाटन किया। उसी तरह अधिवेशन में मार्गदर्शन के लिए और

भी एक विद्वान न्यायाधीश उपलब्ध हुए थे। वे थे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रामजोईस (जोशी) जिन्होंने स्वदेशी पर पर्याप्त जोर दिया।

स्वदेशी जागरण मंच ने छोटे-छोटे पत्रकों-पुस्तिकाओं के माध्यम से पर्याप्त साहित्य तैयार किया एवं वितरित किया। सर्वसाधारण के लिए यह सुलभ था क्योंकि यह सरल भाषा में था। इस तरह भारतीय जीवन के लिए हानिकारक आर्थिक नीति के पश्चिमी तंत्र के दुष्प्रभाव को रोकने का परिणामकारी साधन इस रूप में सिद्ध स्वदेशी जागरणमंच ही है, जिसकी स्वदेशी जागरण की भावना का विस्तार सर्वदूर हो रहा है।

तीन बार भारत बन्द:-

भामसं. एवं वामपंथी श्रम संगठनों में मूलभूत विरोध है। अतः वामपंथी श्रम संगठनों ने, वामपंथी राजनैतिक दलों के साथ मिलकर जब औद्योगिक हड़ताल एवं "भारत बंद" का आह्वान किया तो भामसं. ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि - 1. यह सब राजनीति से प्रेरित था 2. उसके आयोजकों को किसी पर्याय या विकल्प की कोई स्पष्ट कल्पना नहीं थी जिससे न श्रमिकों का हित होना और नहीं उद्योगों का 3. उसका उल्टा परिणाम होगा सरकार ने निजी पूँजी को प्रोत्साहित करना 4. एवं उनकी कथनी और करनी में वृहत् अन्तर था। जैसा पश्चिम बंगाल

परिणाम से 29 नवम्बर 1991, 16 जून 1992 एवं 9 सितम्बर 1993 इन तीनों बार के "भारत बंद" को जनता का या श्रमिकों का उतना प्रतिसार नहीं मिला। भारत बंद का असर नगण्य रहा। पश्चिम बंगाल में जहां वामपंथी सरकार ने "भारत बंद" का आयोजन करवाया, वहां तक वह सीमित रहा। केरल में किसी के द्वारा भी किये गये आह्वान को लोग प्रतिसार देते हैं, वहां भी "भारत बंद" का असर रहा। शेष भारत में बंद का विशेष प्रभाव नहीं देखा गया।

इसी तरह औद्योगिक हड़ताल मात्र दो उद्योगों तक सीमित रही- बं क में एवं जीवन बीमा निगम में। इनमें भी कई वामपंथी रूढ़ान के श्रमिकों ने उनका साथ नहीं दिया। इस सबके परिणाम से श्रमिकों के हित पर आघात ही हुआ।

यह भी स्पष्ट हुआ कि अपनी पुरानी घिसीपिटी वैचारिक लोक एवं कार्यपणाली से अब तक चिपके हुए इन साम्यवादियों के प्रति श्रमिकों का मानसिक रूढ़ान नष्ट हो रहा है। एवं वे श्रमिकों से कटते जा रहे हैं।

उत्पादन की कीमत बताएं:-

स्वदेशी आन्दोलन के अतिरिक्त भामसं. ने एक और मोहिम चलाई जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य कम हो सके। भामसं ने सरकार से कहा है कि प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पादन पर लगे लागत व्यय की घोषणा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। वर्तमान नियमों के अनुसार वह मात्र वस्तुओं की अधिकतम खुदरा बिक्री का दर घोषित करता है। लेकिन उपभोक्ता को वस्तु का लागत मूल्य मालूम नहीं होता और न उसमें अन्यान्य माध्यमों को होने वाले मुनाफा से वह अवगत होता है। उपभोक्ता को यदि वस्तु का लागत मूल्य पता हो और उससे उत्पादक या दलाल या व्यापारी के मुनाफा का आकलन हो, तब वस्तु के खुदरा बिक्री के दर घटाने संबंधी दबाव अपने आप उत्पन्न होगा।

25 मार्च 1992 : विरोध दिवस:-

25 मार्च 1992 को भामसं. की देशभर की इकाईयों ने विरोध दिवस मनाकर, आवश्यक वस्तुओं के बढ़े दामों की ओर एवं नई अर्थनीति के कारण भारी मात्रा में श्रमिकों की छंटनी की ओर, लोगों का ध्यान आकृष्ट किया।

चेतावनी सप्ताह:-

भामसं. के आह्वान पर 6 से 12 जून 1992 में चेतनावनी सप्ताह के रूप में मनाया गया। इसमें सरकार को उसकी गलत आर्थिक नीति के विरोध में चेतावनी दी गई। इस दौरान भामसं. के हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी।

बजट पूर्व की चर्चा

गत कई वर्षों से यह परंपरा सी बन गई है कि वित्त मंत्री बजट-पूर्व की चर्चा के लिए श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हैं। यद्यपि यह मात्र एक औपचारिकता सी बन गई है, भारतीय मजदूर संघ ने इसका लाभ उठाया है और इसे महत्वपूर्ण जानकर समय समय पर उक्त बैठकों में महत्व के मुद्दे उठाए हैं, जिन पर कई बार वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है।

उदाहरण स्वरूप - मंहगाई भत्ते का दर, बोनस की सीमा निरस्त करना, आयकर की सीमा बढ़ना एवं ऐसी अन्य मांगें कि जिन पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक होती है- भामसं ने उठाई और भामसं ने मांग की कि उद्योगों के सुसंचालन में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर कर उन्हें संरक्षण दिया जाय।

1993-94 की बजट पूर्व की चर्चा में भामसं. ने विशेष रूप से "कॅपरोल्लैकटम्" के आयात शुल्क का विषय उठाया जो 80 से 50 प्रतिशत तक घटाया दिया था। इससे

उक्त पदार्थ का उत्पादन करने वाले अपने उद्योग पर प्रतिकूल परिणाम हुआ। वित्तमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह आयात-शुल्क घटाने के पक्ष में स्पष्टीकरण तो दिया लेकिन वित्त मंत्रालय ने यह आयात शुल्क पुनः बढ़ाया यद्यपि वह पूर्व की सीमा तक नहीं बढ़ाया। तांबे का आयात शुल्क घटाना, अपनी टंकशालाओं को अकर्तव्य रख विदेशों से अपनी मुद्रा मंगवाना, ऐसे विषय भी उठाये गये।

1994-95 की बजट पूर्व की चर्चा तक बैठक में वित्त मंत्री ने भामसं के महामंत्री को यह आश्वासन दिया कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के शेयरों में कुछ प्रतिशत शेयर कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे। (यह मांग मात्र भामसं. की ही थी) अब इसे मंत्री परिषद की स्वीकृति भी मिल चुकी है।

इस तरह भामसं ने बजट -पूर्व की चर्चा या ऐसी ही अन्य चर्चाओं का स्तरी भी ऊंचा उठाया है।

1993 - 94 के बजट के विरोध में -

1993-94 के बजट के समाचार दूसरे ही दिन दिल्ली क समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिए। भा.म.सं. ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

भामसं. ने देश भर की अपनी समस्त इकाइयों का आह्वान किया कि 21 से 28 मार्च 1993 के बीच गरीबों को संकट में डालने वाले इस गरीब विरोधी बजट पर अपना आक्रोश व्यक्त करने हेतु विरोध प्रदर्शन आयोजित करें। ऐसे प्रदर्शनासं का देश भर में आयोजन किया गया जिनमें हजारों कामगारों ने भाग लिया। दिल्ली में ऐसे एक प्रदर्शन में बजट की प्रतियां विरोध स्वरूप जलाई गईं।

विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन

घाटे में चलने वाले उद्योगों को, विशेषकर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पुनः व्यवस्थित बनाकर उनमें जान डालने के लिए, श्रम मंत्रालय ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति "का गठन किया, जिसकी अब तक तीन बैठकें हुई हैं। आखिरी बैठक 4 मई 1993 को हुई थी।

इस समिति की सिफारिश पर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए पूर्व की औद्योगिक स्तर की त्रिपक्षीय समितियों का पुनर्गठन किया गया। ये हैं। ज्यूट, 2. वस्त्रोद्योग, 3. (सड़क) परिवहन, 4. रसायन एवं खाद 5. विद्युत, एवं 6. यंत्र उद्योग की समितियां।

पुनर्प्रशिक्षण देकर मजदूरों को अन्य स्थानों पर काम करवाने के बाबत भी श्रमसंगठनों ने स्वीकृति दी है, बस यह कि किसी को काम से वंचित न किया जाय अब तक इन समितियों की दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें दूसरी बैठक फरवरी 1994 में हुई

इनमें से वस्त्रोद्योग समिति न कपड़ा- मंत्री की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की है। इसने अहमदाबाद, मुम्बई एवं कोइम्बटूर स्थित वस्त्रोद्योग शोध-संस्थानों के निष्कर्षों का अध्ययन किया, जिसके आधार पर वस्त्रोद्योग समिति ने "राष्ट्रीय वस्त्र निगम" की मिलों को पुनर्जीवन देने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

बी. आय.एफ.आर. के सामने प्रस्तुत मामले

"बीमार औद्योगिक कंपनियाँ विशेष सुविधा कानून- 1985" में 1991 में संशोधन किया गया था। तब से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" (बी.आय.एफ. आर.) के सामने बीमार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कई मामले आए। इनमें से एक है- "इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०" (आय. डी. पी. एल.) का मामला।

जहां तक इसका संबंध है, इसे पुनर्जीवित करने संबंधी एक योजना बोर्ड ने स्वीकार की है। इसके अनुसार आय डी पी एज सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेगा इसमें सभी संबंधित पक्षों द्वारा कुछ न कुछ त्याग करने की भी बात है। भामसं. ने रचनात्मक एवं सुविधापूर्ण सरल दृष्टिकोण अपनाया जिससे इस प्रतिष्ठान को बचाया जा सकता था। भामसं. ने श्रमिकों के द्वारा कुछ स्वार्थत्याग किए जाने की बात भी स्वीकार की। अर्थात् इसमें वर्तमान वेतन या मंहगाई भत्ते में कमी करने जैसी कोई बात नहीं है। भामसं. ने इस सिलसिले में और श्रमसंघों को भी तैयार किया। अधिकांश श्रमसंघों ने उस एक मुश्त समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। हां- कुछ श्रमसंघ भविष्य पर विचार न करते हुए हस्ताक्षर न करने की बात पर अड़े हुए हैं।

औ. एवं वि. पु. बोर्ड के मार्च 1993 तक के कार्य का ब्यौरा

1. 45 केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं
67 राज्य प्रतिष्ठानों के मामलों सहित कुल प्राप्त मामले 1845
2. मामले जो स्वीकृत नहीं किय गए 496

3. सुनवाई हेतु स्वीकृत कुल मामले
केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के 44 और 48 मामले राज्य स्तरीय) 1349
4. खारिज हुए मामले 258
5. ऐसे मामले जिनमें प्रतिष्ठानों के पुनर्जीवित करने
हेतु समझौते की एकमुश्त शर्तें दी गई थी 393
[273/धारा 18 (4)] एवं
[120/धारा 17 (2)]
6. इकाइयों को समाप्त कर दिए जाने के मामले। 199
(सभी निजी क्षेत्र के)
7. मामले जिनकी तहकीकात जारी है। 494
(इनमें 93 मामले समाप्ति के कगार पर हैं)

'इसको' को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का प्रयास

सरकार की नई आर्थिकनीति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र दुर्लक्षित हो गया है। वर्तमान स्थिति "इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी" के मामले में यह प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। 1972 में सरकार ने इसको का अधिग्रहण कर लिया और संसद में पारित एक कानून के आधार पर उसे सेल (स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि०) में सम्मिलित कर लिया था। लेकिन अब पूंजी की कमी का बहाना बनाकर, भारत सरकार इसे निजी उद्योगपतियों के हाथों साझे क्षेत्र के रूप में सौंपना चाहती है जिसमें सरकारी पूंजी नाममात्र की ही होगी। प्रत्यक्ष में यह निजी क्षेत्र का उद्योग मात्र बनकर रह जायेगा। जब सरकार ईस्पात उद्योग की दूसरी इकाइयों दुर्गापुर भिलाई आदि में तेरह हजार करोड़ रुपए नवीनीकरण में लगाने के लिए सहमत हैं तो कोई कारण नहीं कि कुछ रुपया इस्कों में क्यों न लगाया जाय।

वस्तुतः जुलाई 1989 में ही इसको के प्रबंधकों, सेल एवं भामसं. के श्रम संघ समेत इसको में कार्यरत पांच श्रमसंघों के बीच यह तय हुआ था कि इसको के 60 वर्ष पुराने कारखाने का आधुनिकीकरण किया जाय। इसके लिए श्रमिक भीराजी हो गये थे एवं स्वेच्छा से कर्मचारियों की छंटनी स्वीकार करते हुए उन्होंने अन्य कई प्रकार से त्याग कर कष्ट उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि आधुनिकीकरण तो हुआ ही नहीं, जबकि अन्य बातें यथा श्रमिकों की छंटनी, उनके कार्य में परिवर्तन एवं ऐसी ही अन्य बातें लागू की गई।

इधर इसको के पांचों श्रमसंघों एवं उनके केन्द्रीय श्रमसंगठनों ने मिलकर एक

“इसको बचाओ समिति” का गठन कर लिया और कई आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों एवं सितम्बर 1993 में देशभर के इस्पात उद्योगों में एक दिन की हड़ताल भी करा दी।

इस्पात मंत्री ने श्रम संघों- संगठनों की कई बैठकें आयोजित की। इसको स्थिति सभी श्रमसंघों ने सहयोग का आश्वासन दिया। लेकिन सरकार इसको के निजीकरण पर तुली हुई है। लगता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक के दबाव में काम कर रही है।

इस सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। किन्तु सांसदों के घोर विरोध के कारण उसे “प्रवर समिति” के सुपुर्द कर दिया गया।

भारतीय श्रम- सम्मेलन का 30वां अधिवेशन

अट्ठाईस महीनों की लम्बी अवधि के पश्चात् 7 एवं 8 सितम्बर 1992 को भारतीय श्रम सम्मेलन का 30वां अधिवेशन आयोजित किया गया। (इसके पूर्व का अधिवेशन अप्रैल 1990 में हुआ था) 30 वें सम्मेलन में चर्चा हेतु विषय सूची काफी बड़ी थी। लेकिन जिस तरह सम्मेलन की कार्यवाही चली वह जल्दबाजी में निपटाने की चाल थी और उससे कोई परिणामकारी निष्कर्ष की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। लंबी विषय सूची के लिए समय कम था, और सरकार की ओर से सदस्यों को दी गई अधिकृत लिखित जानकारी से भ्रम ही उत्पन्न हुआ था परन्तु श्रम मंत्रालय ने उसकी जिम्मेवारी लेने से ही इन्कार कर दिया।

भारतीय मजदूर संघ (भामसं.) का आग्रह था कि विषय-सूची के प्रत्येक मुद्दे पर विचारार्थ अलग-अलग समिति बनाई जाय जो सारा सार विचार करें। साथ ही सम्मेलन की कार्यवाही का समय अधिक बढ़ाया जाय। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आर्थिक नीति एवं इसके जैसे अन्य महत्व के मुद्दों पर बिना किसी स्पष्ट एवं अंतिम निर्णय के, सम्मेलन समाप्त हुआ।

मैं आशा करता हूँ कि वर्तमान श्रममंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और भारतीय श्रम सम्मेलन को स्वस्थ उपयोगी एवं परिणामकारी बनाने का प्रयास करेंगे।

श्रम सम्मेलन में दो बिल (विधेयक) पारित हुए-

1. रामानुजम कमैटी के सर्वसम्मत निर्णयों के आधार पर सर्व-समावेशी श्रम

संबंधों के विषय में एक बिल तैयार करना। एवं

2. श्रमिकों के लिए एक नया श्रम आयोग नियुक्त करना।

डेढ़ वर्ष बीत चुका है पर अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सम्मेलन में मेरे ही नेतृत्व में पांच प्रतिनिधि एवं पांच पर्यवेक्षक ऐसे दस सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। (इनके नाम इस प्रतिवेदन के तीसरे भाग में हैं) मुझे खुशी है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल की सक्रियता अच्छी थी। श्रम सम्मेलन के पूर्व के अधिवेशन से इस अधिवेशन तक हमारे सदस्यों की तैयारी में गुणात्मक वृद्धि हुई है।

औद्योगिक संबंध कानून

आप सभी जानते हैं कि वर्तमान औद्योगिक कानून में परिवर्तन किए जाने हेतु सरकार ने सेवायोजक और श्रमिक प्रतिनिधियों से युक्त एक द्विपक्षीय समिति का गठन 1990 में किया ताकि वह इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करें।

समिति ने अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करते हुए कहा है कि द्विपक्षीय सम्बन्धों में सरकार की भूमिका कम होनी चाहिए।

बाद में वर्तमान सरकार ने आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में एक मूलगामी परिवर्तन किया। इसलिए भारतीय श्रम सम्मेलन ने प्रस्तावित किया कि श्रम पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाय ताकि नयी उदार नीति, जो कर्मचारियों की सेवाओं और अधिकारों के लिए एक खतरा उत्पन्न कर रही है, उसके लिए दिशा निर्देश करें।

समाचार पत्रों ने यह रपट दी कि सरकार आयोग नियुक्त करने पर तैयार है। किन्तु दूसरे कारणों से। खासतौर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व विदेशी कम्पनियों के दबाव में आकर जो कि अपने श्रमिकों के साथ स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कर सकें। कर्मचारियों द्वारा दशकों से संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किये गये रोजगार सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए यह एक गंभीर धमकी है, जिसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करनी है।

भा.म.सं. ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि कानून में ऐसा कोई भी परिवर्तन न हो जो श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करता नहीं है।

भामसं. ने आगे मांग की है कि बोनस कानून में संशोधन किया जाय ताकि सभी प्रकार के प्रतिबन्ध और वेतन सीमा समाप्त हो और आय कर छूट की सीमा 50,000/ रु० तक की जाय। डी.ए. का भुगतान स्लैब सिस्टम से किया जाय। सेवायोजकों को कर्मचारियों के छटनी का खुला अधिकार नहीं देना चाहिए। ले आफ करने या कारखाना

बन्द करने की सेवायोजकों को खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों में कर्मचारियों को संगठित करने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए।

कर्मचारियों को अपनी मूलभूत अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती के प्रति सजग रहना चाहिए।

उत्पादकता

सरकार के नियंत्रण में चलने वाले सार्वजनिक प्रतिष्ठानोंका जा खस्ता हाल है, उसे देखते हुए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में व्यवस्थापन को अधिक सक्षम बनाने की और सबका ध्यान स्वाभाविक रूप से ही आकर्षित हो गया है। इसमें इन प्रतिष्ठानों एवं अन्यान्य औद्योगिक इकाईयों में भी उत्पादन एवं उत्पादकता का विचार सम्मिलित है।

भामसं. तो सदा ही उत्पादकता पर ध्यान देने का एवं उसे निष्ठा से चलाने का पक्षपाती रहा है। भामसं. का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद से अत्यंत निकट का एवं निष्ठायुक्त सहयोग का संबंध रहा है। इस रा० उ० परिषद का मुख्य लक्ष्य रहा है— सभी औद्योगिक पक्षों यथा श्रमिक - मालिक - सरकार आदि में उत्पादकता के विषय में जागरूकता निर्माण करना।

लेकिन भा.म.सं. मात्र इतने से ही संतुष्ट नहीं है। इससे अधिक कुछ और होना चाहिये। उत्पादकता के सैद्धांतिक पक्ष पर अब तक कई गोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित हो चुकी हैं। परन्तु उत्पादकता प्रत्यक्ष कार्य का क्रियान्वयन होना आवश्यक है। साथ ही औद्योगिक इकाई एवं उसके विभिन्न विभागों या कार्य इकाइयों के स्तर पर व्यवस्थापकों एवं श्रमिकों के बीच सहयोग का वातावरण बनाया जाना भी अति आवश्यक है।

इस दृष्टि से भामसं. ने दो सुझाव दिए हैं:-

1. उद्योगशः द्विपक्षीय उत्पादकता समितियों का गठन। एवं
2. उद्योगों में विभिन्न विभागों या कार्यइकाइयों में उत्पादकता के सिद्धांतों के अनुसार उत्पादकता का प्रतिपालन कराने हेतु उत्पादकता के कार्यक्रमों का नवीनीकरण।

प्रथम सुझाव, श्रम मंत्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में, भा.म.सं. ने दिया था, जो उस बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित हुआ है।

दूसरा सुझाव राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को दिया गया था, पता चला है कि

उच्च स्तर पर इस सुझाव पर विचार हो रहा है।

भा.म.स. को लगता है कि अब समय आ चुका है कि भामसं. के कार्यकर्ता उद्योगों में उसके विभागीय एवं कार्यालयीन स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने बढ़वाने के कार्य में सक्रियता से जुट जाय। इससे बहुराष्ट्रीय एवं विदेशी स्पर्धा के संकट से उद्योगों की रक्षा हो सकेगी।

कर्मयोग लाना आवश्यक

आज की परिस्थिति में यह कहना आवांछनीय सिद्ध नहीं होगा कि सभी देश प्रेमी शक्तियों- यथा सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च एवं मध्यम श्रेणी के व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि को अपनी अपनी कार्य-विधि में सुधार करते हुए एक स्वस्थ बदल लाना चाहिये। ऐसा करते समय उत्कृष्ट उत्पादन, उसकी गुणवत्ता, उत्पादकता, बढ़ाना सभी अपव्यय पर रोक, समस्याएं एवं बाधाएं दूर करना, धन का सदुपयोग और घाटे पर नियंत्रण, एवं स्वस्था औद्योगिक संबंध, आदि का विशाल दृष्टिकोण रखकर चलना होगा। हर हालत में, परिस्थिति की आवश्यकतानुसार, कर्मचारी अनुकरणीय समय सूचकता दिखा कर, कार्य को पूजाभाव से करें और इसका एक आदर्श अन्यो के सामने प्रदर्शित करें, ऐसा वातावरण निम्नण करना होगा। इसी से उद्योग एवं राष्ट्र का हित साधन होगा।

मुझे विश्वास है कि भा.म.सं. के सभी कार्यकर्ता इस नए आह्वान को स्वीकार कर, वातावरण में बदल लाने का जी तोड़ प्रयत्न करेंगे।

भामसं. एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ भामसं. का संबंध 1990 से ही स्नेहपूर्ण एवं सहयोगात्मक रहा है। इसके कार्यक्रमों में भामसं. का सहभाग भी प्रशंसा का विषय रहा है। विशेषकर इस संगठन के वार्षिक अधिवेशनों में भा.म.सं. के दो प्रतिनिधियों का जाना एवं वहां की चर्चा में सक्रिय भाग लेने की बात ने सभी का ध्यान भामसं. ने आकृष्ट किया है। अपने इन प्रतिनिधियों द्वारा वहां प्रस्तुत तर्क एवं रचनात्मक सुझावों आदि की प्रशंसा भारत के अन्यान्य प्रतिनिधि एवं भारत सरकार ने की है। 1991 में, खर्च में कटौती के नाम पर, भारत सरकार ने जिनेवा जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में कटौती कर दी है। 1993 में इस संगठन के अधिवेशन में गए हमारे प्रतिनिधियों

ने "औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम" इस विषय पर चर्चा के सिलसिले में जो तर्कशुद्ध एवं रचानात्मक विचार रखे, उसकी प्रशंसा सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने भी की।

भा.म.सं. ने उक्त श्रम संगठन द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भी भाग लिया है। मार्च 1991 में "स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टॉपिक्स (स्तरीय विषय) पर आयएलओ द्वारा एशियाई पैसिफिक क्षेत्र के लिए, फुकुट (थायलैण्ड) में आयोजित गोष्ठी में भामसं. का सहभाग भी इनमें से एक है। और अन्य है- दिसम्बर 1991 में बैंकाक (थाईलैण्ड) में हुई आयएलओ - एशियाई क्षेत्रीय गोष्ठी, एवं अन्य 8 क्षेत्रीय आधार की गोष्ठियाँ। असएलओ ने भारत में ही विभिन्न विषयों पर कुल 15 गोष्ठियों का आयोजन किया। गोष्ठियों की तालिका संलग्न है।

भामसं. के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त गोष्ठियों में भाग लिए जाने से हमारा प्रभाव बढ़ा है। साथ ही विदेशों के श्रम संघटनों के प्रतिनिधियों से भी हमारा संपर्क और संबंध बढ़ा है।

पर्यावरण मंच

सभी इससे अवगत हैं कि वर्तमान में, पर्यावरण से संबंधित मसलों को अहम् महत्व प्राप्त हो रहा है। फरवरी 1992 के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आय.एल.ओ.) ने इस सिलसिलेमें एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें भामसं. के पांच प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विषय था- "पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने में श्रम - संगठनों का योगदान"। इस कार्यशाला के द्वारा सिफारिश किए गए सुझावों के अनुसार प्रत्येक श्रम संगठन को, अनिवार्य रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर, एक "पर्यावरण मंच" का गठन करने को कहा गया।

भामसं. ने श्री हरीभाई हिराणी के संयोजकत्व में ऐसा एक "पर्यावरण मंच" बना लिया है जिसके चार सदस्य हैं जिन्होंने गोष्ठी और कार्यशाला में भाग लिया था। पर्यावरण संबंधित एक दक्षिण एशियाई विचार गोष्ठी जो बैंकाक में हुई उसमें श्री हिराणी ने भाग लिया।

विभिन्न श्रम-संगठनों द्वारा गठित ऐसे पर्यावरण मंचों के सुसंचालन हेतु एक प्रतिनिधि समिति गठित की गई है जिससे सभी मंचों का कार्य आपसी सहयोग से सुगम हो सकेगा।

राष्ट्रीय एकात्मता

देश आज एक भीषण संकट से गुजर रहा है। जम्मू-काश्मीर, पंजाब, आसाम नागालैण्ड, आदि प्रदेशों में उग्रवाद का भीषण तांडव चल रहा है। दुर्दैव से इसका पृष्ठापोषण पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू-काश्मीर में तो अमेरिका भी अटपटी बातें कर हस्तक्षेप कर रहा है। उसके प्रवक्ताओं ने 1947 में जम्मू-काश्मीर के तत्कालीन शासक द्वारा राज्य को भारत में सम्मिलित करने की घोषणा के संबंध में, अब इस विलय घोषणा के जायज होने संबंधी प्रश्न उठाना प्रारम्भ कर दिया है।

बंगलादेशीयों का भारत में अवैध प्रवेश भी एक बहुत बड़संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा है जिससे सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और राष्ट्र की एकता-एकात्मता के लिए यह खतरा बन गया है।

तमिलनाडू में सरकार ने कुछ मात्रा में लिट्टे की उग्रवादी हरकतों पर नियंत्रण पाया है लेकिन लिट्टे की हरकतों के कारण राज्य में सामाजिक सौहार्द पर काफी आंच आई है। पंजाब में भी भीषण उग्रवाद था। सौभाग्य से वहां अपनाई गई कड़ी नीति के कारण वहां का उग्रवाद समाप्त प्रायः है। लेकिन अब वे उग्रवादी अन्य प्रान्तों में जाकर वारदात करने लगे हैं।

धर्मान्धता का भी बहुत बड़ा संकट उपस्थित है। मुम्बई, कलकत्ता मद्रास, आदि शहरों में हुए बम धमाके एवं उसी की कड़ी में बाद में चलकर तीव्रगामी रेलगाडियों में हुए बम धमाके इस ओर इशारा करते हैं कि यह एक सुनियोजित घोर षडयंत्र है। यह सिद्ध हो चुका है कि धर्मान्धता के इस षडयंत्र का दृष्टपोषण सीमा पार के अन्य देशों में बसने वाले उनके जाति या पंथ के बन्धु करते हैं। किन्तु देश में बढ़ रही जागरूकता के कारण आशा दिखाई देती है और राष्ट्रीय शक्तियां संगठित हो रही हैं।

राष्ट्रीय एकात्मता परिषद

भामसं. के अध्यक्ष श्री मनहर भाई मेहता के स्वर्गवास के पश्चात् भामसं. के वर्तमान अध्यक्ष श्री रमणभाई शाह को केन्द्र सरकार ने, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद में, भामसं. के प्रतिनिधि के रूप में, सदस्य लिया है। श्री रमणभाई शाह अब तक इस परिषद की दो बैठकों में भाग ले चुके हैं।

अयोध्या आन्दोलन

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रयासों में भामसं. भी एक अंग के रूप में है। अतः 6 दिसम्बर 1992 के अयोध्या में हुए कारसेवा के अभियान में भामसं. ने भी हिस्सा लिया।

प्राप्त विवरण के अनुसार अपने 1, 125 कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए।

यद्यपि अयोध्या स्थित उस ढांचे को बिना पूर्वयोजना के गिराया गया, भामसं. के सदस्य इससे न तो उत्तेजित हुए, न उग्र हुए और नहीं विचलित हुए। उन्होंने इस सिलसिले में एक सही दृष्टिकोण अपनाया।

सामाजिक शांति

नब्बे करोड़ की विशाल जनसंख्या के इस देश में सामाजिक शांति एवं सौहार्द का एक विकट प्रश्न ही है। हमारी संस्कृति एवं परम्पराओं से उत्पन्न सामाजिक परिप्रेक्ष्य कुछ जटिल सा लगता है, लेकिन उसमें “विविधता में एकता” का एक सुन्दर चित्र भी अति स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है। यद्यपि ऊपरी भेद पूर्णतः मिटाए नहीं जा सकते, विभिन्न वर्गों समुदायों में परस्पर स्नेह संबंध में बांधने का एवं परस्पर सहयोग के सुमधुर सूत्र में गूँथने का प्रयास आवश्यक है। पंथ, जाति, रीति रिवाज, भाषा भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक स्तर, आदि के आधार पर भेद उत्पन्न करना एवं बढ़ाना बड़ा आसान है लेकिन यह सभी के लिए हानिकारक है। अंततोगत्वा यह किसी के लिए भी लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन विभेद दूर करना इतना आसान कार्य नहीं है। फिर भी वह आवश्यक और अपेक्षित भी है क्योंकि मात्र इसी से स्थाई शांति, सुख एवं समृद्धि सभी को प्राप्त हो सकती है।

लेकिन डा० समाजसेवी, राष्ट्रभक्त, संविधान निर्माता, एवं देश नेता डा० भीमराव आम्बेडकर जैसे योग्य व्यक्ति के नाम पर एक विश्वविद्यालय का नाम रखने की बात आई तो, समाज के एक वर्ग का उत्तेजित होना, नामकरण का विरोध करना एवं हिंसा पर उतारू होना इसे दुर्भाग्य छोड़कर और क्या कहा जा सकता है ?!! हमारा समाज अभेद्य एवं अखण्ड रहे इसका प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। पर आज इसके विच्छिन्न होने का संकट उपस्थित हुआ है ईश्वर करें, ऐसा न हो!!

जब विभिन्न पंथों के अनुयायी- इस प्राचीन भूमि के पुत्र, जिनके पूर्वज,

तमिलनाडू की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां जनता की विशिष्ट मानसिकता भामसं. के कार्य विस्तार में मानों बाधक बन गई। लेकिन इस प्रदेश में भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफी बदल आया जिससे ५० बंगाल की तरह यहां भी भामसं. के कार्य ने जड़े पकड़ली और अब कोइम्बटूर, के वस्त्रोद्योग में भामसं. का गढ़ बन गया है। हमारे श्रमसंघों ने आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, श्रमिकों का हृदय जीत लिया। इस प्रदेश में हमारे ही श्रमसंघ ने बोनस संबंधी समझौता किया और हमारी शक्ति को देखते हुए सरकार को हमें (भामसं. को) त्रिपक्षीय वस्त्रोद्योग समिति में स्थान देना पड़ा।

हरियाणा में भामसं. का विस्तार ग्रामों में अधिक हुआ है। जो मिनि बैंकों एवं आंगनवाड़ी के श्रमसंघों की वहां पैठ एवं सफल कार्य का परिणाम है।

कर्नाटक में भामसं. ने दावनगिरी के वस्त्रोद्योग में स्वामपंथियों के दुर्ग को ढहा दिया। और वहां भामसं. का झण्डा फहराया। प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों का संगठन भी काफी बड़ा आकार ले चुका है।

जम्मू-काश्मीर भामसं. ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में तो खासी घुसपैठ की है, साथ साथ सीमा- सड़क संगठन (बार्डर रोडस आर्गनाइजेशन) के कर्मचारियों को भी संगठित करने में सफलता प्राप्त की है।

“सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के कार्य उससे जुड़े हुए उसके अंगभूत” केन्द्रीय कर्मचारी संघ” द्वारा केन्द्रीय सचिवालय में चला अर्गई तीव्र गतिविधियों के कारण चार चांद लग गए। इस महासंघ के कार्य विस्तार में “राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ” का गठन, काफी सहायक हुआ।

मध्य प्रदेश में “राज्य कर्मचारी श्रम संघ” मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में पक्वारियों का श्रम संघ, अपनी 45000 सदस्य सेना के साथ भामसं. से जुड़ गया।

संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन

भामसं. के नवम् त्रैवार्षिक अधिवेशन में चर्चा होकर इसके संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन किया गया। त्वरित गति से कार्यवृद्धि होने से इसकी आवश्यकता भासित हुई। कार्य की क्षमता बढ़ाने हेतु तथा सभी इकाइयों में सामंजस्य निर्माण करने हेतु यह आवश्यक था। प्रमुख बदल नीचे दिये गये हैं-

1. छोटे क्षेत्र

पहले क्षेत्र बड़े थे। उनका आकार छोटा किया गया और इससे क्षेत्र 9 हो गये। इससे क्षेत्र प्रमुखों के लिए क्षेत्र में आसानी से भ्रमण करना संभव हो गया। वे क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों का मार्गदर्शन संगठनात्मक वृद्धि एवं क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से आसानी से कर सकेंगे।

महासंघों के समूह

महासंघों की संख्या बढ़ चुकी थी। अतः एक प्रकार एवं मिलती जुलती प्रकृति के आधार पर इन महासंघों के कुछ समूह बनाए गए। और प्रत्येक समूह में से एक पुराने अनुभवी कार्यकर्ता का चयन कर उसे समूह प्रमुख बनाया गया। इससे संपर्क, समस्या की जानकारी करना और उसे सुलझाना तथा अन्य मार्गदर्शन- सब आसान हो गया। इस योजना के अंतर्गत ही सरकारी कर्मचारियों के महासंघों का एक समूह बना जिससे डाक, टेलिकॉम रेलवे, प्रतिरक्षा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महासंघों का एक समूह बना यथा- बैंक, बीमा, एवं अन्य वित्तीय प्रकल्प। ऐसे कुल 9 समूह बने। यह योजना प्रथम बार ही बनाई गई है और अब समूह "प्रमुखों के मार्गदर्शन में यह योजना सफल सिद्ध हो रही है।

कार्य-विभाग प्रमुख

संगठन-वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए एक एक प्रमुख नियुक्त करना आवश्यक हो गया। ऐसा किया गया। प्रायः विभिन्न कार्यों के लिए भामसं. के कार्यालय में संगठन के सदस्यों का आना-जाना होता रहता है। सबका योग्य समाधान किया जाता है, लेकिन कार्य-विभागों में आपसी तालमेल भी इस हेतु आवश्यक था। कार्य-विस्तार के साथ साथ रिकार्ड फाईलिंग, पत्राचार आदि कार्य भी बढ़ गया। प्रत्येक इकाई में ऐसे कार्यों में भी तालमेल आवश्यक था। अतः विभिन्न कार्य हेतु कार्य-मंत्री नियुक्त हुए। कार्यालयों के निरीक्षण हेतु एक मंत्री को जिम्मेवारी दी गई। जिन्होंने देशभर में गत तीन वर्षों में 42 कार्यालयों में जाकर वहां के कार्य को व्यवस्थित करने एवं सबमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम अच्छा हुआ। प्रदेश एवं महासंघों के कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय के बीच का तालमेल भी ठीक हो गया। इस योजना के अंतर्गत 5 कार्य प्रमुख बनाए गये। इने प्रमुखों एवं उनके कार्य विभागों का कार्यवृद्धि में सहयोग उल्लेखनीय है।

संगठन की कार्यवृद्धि एवं आगे का लक्ष्य

पिछली बार हमने सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों में अपने संगठनात्मक जाल को सभी जिला इकाइयों तक फैलाने का विचार किया था और इसके लिए ऐसी हर संगठनात्मक इकाई में एक एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया था।

भारत में 27 राज्य एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। लगभग 450 जिला इकाइयों के माध्यम से प्रशासन चलता है। जिलों की संख्या नए नए जिले बनाए जाने से बढ़ती रहती है।

मौटे तौर पर हमारा कार्य सिक्किम, अंदमान-निकोबार, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, लक्ष्यद्वीप, दादरा, नगर हवेली, दमण एवं दीव को छोड़ कर सभी प्रदेशों में है।

पचास जिले छोड़ दें तो शेष जिलों में भामसं. के श्रमसंघ कार्यरत है। उद्योगों में वायु मार्ग छोड़ कर शेष में भा.म. संघ के श्रमसंघ हैं। मुम्बई में "भारतीय नाविक संघ" श्रम संघ बनाकर नौकायान में कार्यरत कर्मचारियों में भी अपना प्रवेश हो चुका है।

वर्तमान भामसं. से सम्बद्ध श्रम संघों की संख्या 3367 है एवं सदस्यता 44,11,640 है। 1990 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता 200 थे। यह संख्या अब बढ़कर 260 हो गई है।

भामसं. के कार्य का विस्तार ग्रामों में भी करने की दृष्टि से तहसील, मंडल और पंचायत स्तर पर भी समितियां गठित करने का विचार किया गया है।

देशभर में श्रमिकों की संख्या 31.50 करोड़ है। इनमें 22.40 करोड़ पुरुष तथा 9.10 करोड़ महिलाएं हैं। शहरी मजदूरों की संख्या 6.60 करोड़ है, वहां ग्रामीण श्रमिकों की संख्या 24.90 करोड़ है।

भामसं. को एक अत्यंत शक्तिशाली एवं मजबूत संगठन के रूप में उभारने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ग्रामीण श्रमिक अपने झण्डे तले आएँ। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमें "अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ" का कार्य विस्तार जोरशोर से कोने-कोने तक करना होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से यह कार्य हाथ में लिया है। परिणाम स्वरूप लगभग सभी प्रदेशों में "कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ" की इकाइयां कार्यरत हैं।

असंगठित श्रमिक - वर्ष

भा.म.सं. के बड़ौदा अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 1991 को असंगठित श्रमिक - वर्ष के रूप में मनाया। ग्रामीण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने एवं असंगठितों को संगठित करने का यह प्रयास था।

इस सिलसिले में कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रयास किया जिससे विभिन्न राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित हो सके। इनमें से कुछ तो उल्लेखनीय हैं।

मुम्बई में विराट मोर्चा:-

महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई ने, वहां के मंत्रालय के सपाने, 30,000 लोगों का एक विराट मोर्चा लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश का विदर्भ इलाका छोड़कर शेष 21 जिलों से असंगठित श्रमिकों की टुकड़ियां भारी संख्या में मोर्चे में शामिल हुई थी। 150 तहसीलों की प्रतिनिधित्व थी। "कालाघोड़ा किला" में इस विराट मोर्चे को मा० श्री दत्तोपंत ठेंगडी, भामसं. अध्यक्ष श्री रमणभाई शाह, महामंत्री श्री राजकृष्ण भक्त, एवं श्रीमुकुन्दराव गोरे ने संबोधित किया। पश्चात् महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया। अब तक हुए प्रदेश स्तर के ऐसे कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम सर्वाधिक आधिसंख्य एवं विशाल था।

चंडीगढ़ में :-

एक अन्य विशाल कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ जो हरियाणा प्रदेश इकाई ने आयोजित किया था। इसमें ग्रामीण सहकारी संस्थाओं एवं मिनी बैंकों के 4000 कर्मचारी तथा आंगनवाड़ी की 550 महिला कार्यकर्त्रियां ने भाग लिया।

ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा भामसं. ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रवेश कर लिया है।

अभ्यास वर्ग

25 से 28 फरवरी 1992 को, नागपुर में एक अखिल भारतीय कार्यक्रम अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया था जिसमें 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। जिन विषयों पर चर्चा मंथन हुआ वे स्वावक ही नई आर्थिक नीति से सम्बन्धित विषय थे। अभ्यास वर्ग में मार्ग दर्शन करने वालों में मा० श्री दत्तोपंत जी ठेंगडी, के अतिरिक्त अर्थशास्त्री एवं सेवनिवृत्त उपकुलपति डा. एम. जी. बोकरे, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य एवं कृषि विशेषज्ञ डा. दयाकृष्ण, विज्ञान अर्थशास्त्री डा० जगदीश शेडिटगार, एवं पत्रकार तृती रा० स्व० संघ के शीर्ष कार्यकर्ता श्री एम.जी. वैद्य थे। इन सभी ने

अपने अपने विशेष विषयों पर मार्गदर्शन किया जिससे कार्यकर्ताओं को अच्छी बौद्धिक खुराक मिली और वे विचार मंथन कर सके।

शिक्षा एवं अभ्यास का क्रम निरंतर चलने वाला होता है। ओर श्रमसंघ, महासंघ या प्रदेश इकाइयों के स्तर पर ऐसे कई अभ्यास वर्गों का आयोजन, स्वयं के बल पर या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से सहायता लेकर होता है।

1991 से 93 तक के तीन वर्षों में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त कुल सहायता राशि 1,69,952/- की है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा परिषद की वरीय समिति में श्री मुकुन्दराव गोरे, पुणे, एवं श्री केशवभाई ठक्कर बड़ौदा हैं। यह खुशी की बात है कि श्री गोरे जी इस बोर्ड के उपसभापति (वाइस चेयरमैन) चुने गये हैं।

सदस्यता सत्यापन - 1989

राष्ट्रीय स्तर के श्रमसंघों को राष्ट्रीय समितियों, सम्मेलनों, बैठकों, सलाहकार परिषदों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समितियों में प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से केन्द्रीय श्रम संगठनों की सदस्यता का सत्यापन करने की बात सरकार ने सोची। इस हेतु तय हुआ कि 31/12/89 तक की सदस्यता की जांच होगी। 29/12/86 को इस सिलसिले में केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों एवं केन्द्रीय श्रमायुक्त के बीच हुई एक बैठक में ही उक्त निर्णय लिया गया था।

26/12/90 को इस संबंध में वितरित एक सरकारी पत्र के साथ सदस्यता सत्यापन की कार्यवाही का श्रीगणेश हुआ जब श्रम मंत्रालय ने अपनी अपनी सदस्यता का दावा प्रस्तुत करने का निवेदन श्रम संघों से मिया। इसे चार महीने लगे लेकिन लोकसभा के अचानक भंग हो जाने एवं अप्रैल 1991 में आम चुनाव कराने की घोषणा के कारण श्रम संगठनों के सदस्यता के दावे प्रस्तुत करने में बिलम्ब हुआ और 15/1/92 को वह किया जा सका। इस समय-सीमा को बाद में पुनः फरवरी 92 तक बढ़ाया गया।

सदस्यता- जांच का प्रत्यक्ष कार्य मात्र अगस्त 1992 में ही प्रारम्भ हो सका। प्रत्यक्ष स्थान पर जाकर जांच करने का कार्य तो बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। ऊपर वर्णित निर्णय के अनुसार सदस्यता सत्यापन का संपूर्ण कार्य 18 मास में पूर्ण करना था। किन्तु दुर्भाग्य से अब तक वह पूर्ण नहीं हुआ है तथा अभी और भी कुछ समय उसे पूर्ण करने में लगेगा।

इसके पूर्व की 1980 की सदस्यता जांच के समय केन्द्रीय श्रम संगठन दस थे

जिनमें से एटक एवं सीटू ने सदस्यता जांच का बहिष्कार करने का निष्प्रय लिया था। लेकिन इस 1989 तक की सदस्यता जांच में कुल 13 श्रम संगठन भाग ले रहे हैं। श्रम संगठनों से संबंध श्रमसंघों एवं उनकी कुल सदस्यता का ब्यौरा संलग्निका में दिया गया है।

सदस्यता दावों में सम्मिलित ग्रामीण श्रमिकों की सदस्यता की तालिका भी अलग से दी गई है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी महत्व बहुत है।

केन्द्रीय कार्यालय

पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालय में दीवालें का रंग देकर उसकी सज्जा बढ़ाई गई है। छोटी सी भी जगह का योग्य उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था की गई है एवं उसकी योग्य देखभाल आदि का भी प्रबन्ध किया गया है। इस दृष्टि से श्री सोमेश्वर जी चांद्रायण काफी रूचि ले रहे हैं।

पुस्तकालय एवं संदर्भ-सेवा श्री जनार्दनन की देखरेख में चल रही है।

पूर्व कर्मचारियों में, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री कस्तुरी लाल शर्मा के लेखा-विभाग के जुड़ने से, एक की वृद्धि हुई है।

“विश्वकर्मा संकेत” का कार्यालय इसी केन्द्रीय कार्यालय में है

केन्द्रीय कार्यालय में यदा-कदा विशिष्ट अतिथी आते रहते हैं जिसका ब्यौरा अन्यत्र दिया गया है।

केन्द्रीय कार्यालय में विशिष्ट अतिथियों का आगमन

गत तीन वर्षों के काल में पर्याप्त संख्या में विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन केन्द्रीय कार्यालय में हुआ। भामसं. से विशेष संपर्क की उनकी भी इच्छा थी। इन अतिथियों की पूरी सूची संलग्न भाग तीन में है।

श्री एलित जी मेंबेरे जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिल्ली कार्यालय में निदेशक का पद ग्रहण करने आए थे, निवृत्त होने वाले निदेशक श्री सुनिल गुहा के साथ अपने केन्द्रीय कार्यालय में आए। उन्होंने भामसं. को समझने का प्रयास किया और भामसं. के कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों में रूचि दिखाई। परन्तु उन्हें एक साल पूर्ण होने के पूर्व ही अ.श्र. संगठन द्वारा जिनेवा में वापस बुला लिया गया।

इसके पश्चात् निदेशक का कार्यभार श्रीमति जोसेफिर कार्वासिल ने सम्हाला और वे भी कार्यक्रम अधिकारी श्री टी.सी. राव के साथ केन्द्रीय कार्यालय में आईं।

अमरीकी दूतावास के श्रम संबंधी प्रभारी श्री जेम्स एहरमन तीन चार बार

कार्यालय में आए। तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अमेरिका लौटने के पूर्व वे आखिरी बार भामसं. कार्यालय में आए। उनके स्थान पर आए श्री यूजीन डी प्राइस जूनियर भी परिचय हेतु कार्यालय आए।

ए.सी.एफ.टी.यू. के उपाध्यक्ष श्री झांग दिन्हुआ के नेतृत्व में एक पाँच सदस्यीय चीनी प्रतिनिधि मंडल ने भी भामसं. के केन्द्रीय कार्यालय में आकर एक घंटे तक दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की।

“संयुक्त सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य” के दूतावास के प्रथम सचिव श्री ब्लादीमीर व्ही मरीय ने अपने कार्यालय को औपचारिक भेंट दी।

अतिथियों में आयलओ के एशिया और पॉसिफिक क्षेत्र के, बैंकांक स्थिति क्षेत्रिय सलाहकार श्री स्वेनरिक स्टर्नर भी थे जो दो बार कार्यालय आए।

और एक अन्य प्रमुख अतिथी थे “बंगलादेश वर्कर्स पफै डरेशन” के श्री एम.ए.मलिक, ढाका।

दलाई लामा से भेंट

दिल्ली में, अगस्त 1993 में, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने, तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु एवं बौद्ध मत के विख्यात विद्वान श्रद्धेय श्री दलाईलामा से भेंट कर उन्हें अपनी आदरांजली अर्पित की। मिलने वालों में भामसं. की ओर से सर्वश्री - प्रेमनाथ शर्मा, एस.एस. चांद्रायण, जगदीश जोशी एवं ओपी अग्घी थे।

दलाईलामा ने श्रम संगठनों के श्रमिक क्षेत्र के कार्य में काफी रूचि ली एवं सबसे आग्रह किया कि वे तिब्बतियों के मानवाधिकार के संबंध में कुछ करें। उन्हें पूछा गया कि क्या वे श्रमिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर आना पसंद करेंगे? उन्होंने इस पर सहर्ष सहमति व्यक्त की।

भारतीय मजदूर संघ की पत्र-पत्रिकाएँ एवं प्रकाशन

पूर्व के अनुसार ही अब भी भामसं. की दो पत्रिकाएँ हैं - एक दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी की मासिक पत्रिका एवं दूसरी कानपुर से प्रकाशित होने वाली हिन्दी में पाक्षिक पत्रिका (भा.म.स. समाचार)

अंग्रेजी में निकलने वाली “विश्ववकर्मा संकेत” दिल्ली से प्रकाशित की जाती है। पर 1991 तक वह “भारतीय मजदूर” के नाम से मुम्बई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित होती रही। लेकिन उसके सुव्यसित संचालन एवं अधिक समाचार संकलन की दृष्टि से उसे दिल्ली स्थानांतरित किया है। और उसी नाम से उसे चलाने में कुछ तकनीकी बाधाएँ आ रही थीं ऐसा देखकर विधि - नियमों के अनुसार उसका नामांतरण किया

गया जो अब "विश्वकर्मा संकत" है। अक्टूबर 1992 से यह पत्रिका इसी नाम से चल रही है। टेलिकॉम विभाग से निवृत्त हुए श्री कृष्णलाल पठेला जिन्होंने पत्रकारिता के अभ्यासक्रम का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है, इस पत्रिका के सुयोग्य संपादक है। अब तक यह मासिक पत्रिका नियमित रूप से निकल रही है एवं कार्यकर्ताओं में इसकी रूचि बढ़ी है। अब तक के लगभग सभी अंकों में समाचारों के साथ चित्र (फोटो) भी दिए गये हैं, जिनसे पत्रिका आकर्षक और दर्शनीय बनी है।

लेकिन पत्रिका की कमजोर आर्थिक स्थिति एवं पत्रिका की सीमित पाठक संख्या ये दो समस्याएं प्रमुख रूप से पत्रिका के सामने हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से ये दोनों समस्याएं सुलझ सकेंगी।

इस अंग्रेजी पत्रिका के यशस्वी संचालन के कारण कानुपर से निकलने वाले हिन्दी पाक्षिक को भी दिल्ली में स्थानांतरित करने की जोरदार मांग लगातार उठ रही है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और आशा है कि इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय हो जाएगा।

उक्त दो पत्रिकाओं के अतिरिक्त भा.म.सं. की कई प्रदेश इकाइयों एवं डाक तथा दूरसंचार के अपने श्रमसंघों द्वारा उनके सदस्यों की सुविधा हेतु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ऐसी सभी पत्र पत्रिकाजानकारी उनकी भाषा आदि संलग्न सूची क्र० में मिलेगी।

प्रकाशन गत तीन वर्षों में कई पुस्तकें और पुस्तिकाएं केन्द्र/प्रदेश या महासंघों द्वारा प्रकाशित की गई है जिनमें आर्थिक चर्चा ही प्रमुख रूप से चर्चित है।

ऐसे प्रकाशनों की सूची उनकी भाषा संलग्न तीसरे भाग में आप पायेंगे।

“विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था”-

“विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था”- श्रमिक शिक्षा का आयोजन करने वाला एक प्रकल्प है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। काफी दिनों तक यह निक्रिय रहा। हाल ही में इसे पुनः क्रियाशील बनाने का विचार हुआ ताकि इसके माध्यम से श्रमिक शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

यह करने के लिए श्री एस.एस. चांद्रायण, नागपुर को, इस के प्रबन्ध समिति में, प्रबन्ध संचालक (मैनेजिंग डायरेक्टर) के रूप में लिया गया।

प्रबन्ध समिति में रिक्त पड़े सभी स्थानों पर नए सदस्य लिए गये। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से क्षेत्रीय निदेशक से सेवानिवृत्त हुए श्री व्ही. एस. कुलकर्णी ने अपनी सेवाएं विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था को अर्पित की।

धीरे-धीरे अपनी प्रदेश इकाइयों, महासंघों द्वारा आयोजित होने वाले श्रम शिक्षा के अभ्यास वर्गों- आयाजनों को वि.श्र.शि. संस के माध्यम से संचालित करने का प्रयास हो रहा है। यह संस्था केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं श्रम शिक्षा का आयोजन करने वाली अन्यान्य इकाइयों के बीच तालमेल का काम करते हैं। हमारी सब इकाइयों को अपनी इस संस्था से अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि सभी इकाइयां उन्हें के.श्र.शि.बोर्ड द्वारा मिलने वाली सहायता राशि का 10% अंश "विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था" के खाते में जमा किया करें।

महिला विभाग

भामसं. का महिला विभाग धीरे-धीरे प्रगति पर है। गत बड़ौदा अधिवेशन के अवसर पर कार्य समिति की बैठक में सदस्य के रूप में तीन महिलाएं थी। वे हैं-

श्रीमति गीता गोखले, मुम्बई, कु० सुचित्रा मूहापात्र - भुवनेश्वर, एवं श्रीमति गीताबेन ठाकुर अहमदाबाद।

अपने अधिकांश प्रदेश समितियों एवं औद्योगिक महासंघों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

विभिन्न प्रदेशों में, भामसं. के कार्य में सक्रिय सहयोगी बनकर महिलाएं आगे आ रही हैं या उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं के अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अक्टूबर 1991 में हैदराबाद में, महिलाओं का एक दिवसीय गोष्ठी आयोजित की गई थी। नवंबर 1993 में, पूना में महिलाओं का एक द्विदिवसीय कार्यक्रम हुआ था। मुम्बई में ऐसे कई कार्यक्रम हुए। दिसम्बर 1993 में, कानपुर में ऐसी एक बैठक हुई। भोपाल में भी महिलाओं के बीच कार्य बढ़ रहा है, जहां उनके अलग कार्यक्रमों पर विचार करने हेतु बैठकें होती रहती हैं।

17 सितम्बर 1992 को, राष्ट्रीय श्रम दिवस के उपलक्ष्य में, अम्बाला (हरियाणा) में, आंगनवाड़ी की 7,000 महिलाओं का एक विराट प्रदर्शन हुआ। आसाम में आंगनवाड़ी के माध्यम से महिला कायकत्री, भामसं. के कार्य के साथ जुड़ गई हैं।

20 अप्रैल 1993 को, दिल्ली में हुए भामसं. के विशाल प्रदर्शन में, लगभग 5000 महिलाओं ने भाग लिया। जिनमें काफी संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक, घरेलू कामगार, बालवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं थी।

ओड़िसा में आंगनवाड़ी की महिलाएं न्यूनतम वेतन के लिए आन्दोलन चला रही हैं। इस तरह गत तीन वर्षों में भामसं. का महिला विभाग, देशभर में, पर्याप्त सक्रिय हो गया है।

वर्तमान, भामसं. में तीन पूर्णकालिक महिला कार्यकर्त्रियों हैं। ये हैं- श्रीमति गीता गोखले - मुम्बई, श्रीमति विजया काडगी - पुणे, एवं श्रीमति सुधारानी - अम्बाला।

सितम्बर 1992 में, दिल्ली की एक बैठक में, अ.भा. आंगनवाड़ी महिला महासंघ का गठन हुआ जिसके निम्नलिखित पदाधिकारी हैं-

1995 में, भामसं. के 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महिला विभाग द्वारा, प्रत्येक प्रदेश में, महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है।

बाल- श्रमिक प्रथा का उन्मूलन

अन्तर्देशीय श्रम संगठन (आय.एल.ओ.) ने बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस उपक्रम का नाम "एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर" (बाल श्रमिक प्रथा-उन्मूलन कार्यक्रम) है। इसके अंतर्गत श्रम मंत्रालय में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति में भामसं. के प्रतिनिधि श्री वेणुगोपाल हैं।

श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान के माध्यम से एक प्रारम्भिक कार्यशाला का आयोजन, केन्द्रीय श्रम संगठनों के लिये, 20 से 22 जुलाई 1993 को किया था। इसमें हमारे सात कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था।

भामसं. द्वारा इसके तीन प्रकल्प, पुणे, हैदराबाद, एवं केरल में, चलाए जाने की योजना बनी है। संपूर्ण योजना की संचालन समिति के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

कर्मचारी बीमा योजना

मुम्बई में स्थित अपना कर्मचारी योजना प्रकोष्ठ इस विषय से संबंधित समस्याओं को निपटाता है। इसके द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और कर्मचारी भविष्यनिधि की स्थानीय सलाहकार समितियों में भामसं. को प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास किया जाता है। श्री रामभाऊ जोशी एवं श्री सरोज कुमार मित्रा कर्मचारी भविष्यनिधि की निगम के वरीय बोर्ड में सदस्य प्रतिनिधि हैं एवं डा० हर्षवर्धन गौतम मुम्बई, इसकी स्वास्थ्य लाभ परिषद के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

इस परिषद ने, भारत में, 4 से 8 अप्रैल 1993 को, दिल्ली में कार्य-आधारित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की 13 वीं विश्व सम्मेलन की मेजबानी की। भामसं. ने इस परिद का सदस्य होने के कारण इसमें सक्रिय भाग लिया। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के संगठन मंत्री श्री तुषारदेव पुजारी, जिन्होंने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की है, को भामसं. ने इस कार्यक्रम में, विशेष प्रतिनिधि के रूप में भेजा था।

सम्मेलन में "कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" इस विषय पर श्रमिकों की ओर से एक लिखित विचार-प्रेषण किया जाना था। कई राष्ट्रीय श्रम संगठन उक्त परिमैने के कारण इस प्रेषण-पत्र के लिए एक व्यक्ति को चुनना कोई आसान नहीं था। कईयों के नाम आए। और अंत में भामसं. पर एकव्यक्ति के चयन की जिम्मेदारी आ पड़ी। परिषद में, भामसं. सदस्य श्री ओ.पी. अग्घी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से परामर्श करते हुए, इंटक के अध्यक्ष श्री जी.रामानुजम का नाम सुझाया। इस पुराने विद्वान नेता के प्रति भामसं. ने अपना आदर प्रगट किया था।

भामसं. के कई कार्यकर्ताओं ने उक्त सम्मेलन में अपनी औद्योगिक इकाईयों की ओर से भाग लिया।

न्यू सेंट्रल जूट मिल

बजबज (पं०बंगाल) स्थित न्यू सेंट्रल ज्यूट मिल को, 7 मार्च 1987 को, श्रमिकों की सहकारी समिति ने अपने हाथ में लिया था। वह अबतक चल रही है। पूर्व के मालिकों द्वारा छोड़ा गया घाटे का बोझ चूंकि इस मिल पर थोपा गया था, यह मिल वर्तमान में मुनाफा नहीं कर पा रही है। सारा मुनाफा पूर्व के ऋण की अदायगी में ही चला जाता है।

जनवरी 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा बीमार उद्योगों पर विचार करने हेतु बनी, एक त्रिपक्षीय समिति में, इस संबंध में चर्चा हुई थी। और पूर्व की सारी देनदारी का बोझ वर्तमान सहकारी व्यवस्था के सिर से हटा देने कविषय में वित्तमंत्री ने सहमति प्रदर्शित की थी। श्रममंत्री भी इससे सहमत थे। इसके पश्चात् अधिकारियों की एक समिति ने इस पर विचार करते हुए सिफारिश की कि सहकारी स्तर के इस पहले प्रयास को सफल बनाने की दृष्टि से सरकार इसकी मदद रें। परन्तु अब तक इस दिशा में

कोई भी रचनात्मक या उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। भामसं. का यह प्रयास है कि मिल चलाने वाले श्रमिकों की आकांक्षा के अनुसार, इस समस्या का निराकरण हो। भामसं. इसे अवश्य ही पूर्ण करेगा।

श्री बैजनाथ राय, ज्यूट उद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति में भामसं. के प्रतिनिधि हैं। और न्यू सेंट्रल ज्यूट मिल के निदेशकों में से एक हैं। उन्होंने अन्य दो बंद ज्यूट मिलों को भी श्रमिक-सहकारिता के आधार पर चलाना स्वीकार किया है। उन्होंने मात्र यह शत रखी है कि पिछली सारी देनदारी "श्रमिक सहकारिता" के सिरपर न मढ़ी जाय। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह श्रमिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने एवं इस आधार पर बीमार उद्योगों को चलाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अब तक इस सिलसिले में सरकार ने नीति पर कोई भी स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है।

नैशनल सेंट्रल जूट मिल के श्रमिकों में सरकार की इस असहयोग की प्रवृत्ति से काफी नाराजगी है। आशा है कि सरकार शीघ्र ही कोई कदम उठाकर अपने बचन की पूर्ति करेगी।

श्रमिकों के लिए पेंशन

श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग पुरानी है। अतः इस संबंध की "केन्द्रीय परिषद (सेंट्रल बोर्ड) ने भविष्यनिधि के साथ पेंशन योजना का भी प्रारूप बनाया तो श्रमिक जगत को कुछ राहत महसूस हुई।

इस योजना को सीटू छोड़कर शेष सभी श्रम संगठनों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। यद्यपि इस योजना के संपूर्ण स्वरूप और उसके पहलुओं एवं धाराओं पर काफी कुछ मतभेद या शंकाएं हैं, श्रममंत्री श्री पी.ए. संगमा ने, योजना को अंतिम रूप देने के पूर्व सभी श्रम संगठनों से, इस पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है।

श्रमसंगठनों का आग्रह है कि इस योजना में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा (सहयोग राशि) उतनी ही हो कि जितनी "परिवार पेंशन योजना" में थी। लगता है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

महाराष्ट्र में भूकम्प

30 सितम्बर 1993 की काल रात्रि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में विनाशकारी भूकम्प

को ले आई। जिसमें हजारों लोग कालकवलित हुए। लातूर एवं उस्मानाबाद जिलों में विनाश की लीला अभूतपूर्व थी। अनगिनत परिवार न हो गये। हजारों लोग घायल हुए। करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेशों में भी भूकम्प से जन-धन की हानि हुई।

मलवे से लाशें निकालना एवं मलवा हटाना ये दो काम प्राथमिकता से करना आवश्यक था। अनाथों को भोजन की व्यवस्था, घायलों को दवा आदि देना एवं पीड़ितों के लिए अस्थायी आवासों की व्यवस्था करना भी आवश्यक था। यह कठिन कार्य था जिसके लिए जन, धन एवं समान तीनों की आवश्यकता थी। देश के कौन-कोन से जनता ने इस में सहयोग किया। उन्होंने नगद धन या सामग्री देकर सहयोग किया। विदेशों से भी सहायता हुई। महाराष्ट्र की जनता ने भी सहायता कार्य में योगदान किया। सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों की भी सहायता कार्य में लगाया गया था। महाराष्ट्र सरकार भी जुट गई। समाजिक सेवा-संस्थाओं ने सरकारी कार्य में सहयोग किया।

इस सम्पूर्ण सहायता कार्य में पूर्व के अनुसार ही, रा०स्व० संघ का सहयोग प्रशंसनीय था। भूकम्प के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व संकट उपस्थित होते ही लातूर के स्वामी विवेकानंद रूग्णालय डाक्टरों की टीम ही सर्वप्रथम सेवा कार्य में जुट गई। यह रा०स्व० संघ की ही टीम थी। संघ की अपनी जन कल्याण समिति सहायता कार्य में उल्लेखनीय योगदान दे रही है।

भामसं. की महाराष्ट्र की प्रदेश इकाई भी तत्काल सेवारत हो गई और उसने "विश्वकर्मा भूकम्प ग्रस्त सहायता निधि" के नाम से एक बैंक खाता खोल दिया। तथा श्रमिकों से सहायता निधि एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया। भामसं. के केन्द्रीय कार्यालय ने अपनी समस्त इकाइयों को निर्देश दिया कि श्रमिकों से सहायता निधि एकत्रित की जाए और महाराष्ट्र के उक्त बैंक खाते में वह रकम जमा की जाय। इस खाते में दिसम्बर 1993 के अंत तक 1,10,000/- रु० की राशि जमा हुई। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के एवं अन्यत्र के कई श्रम संघों ने "जनकल्याण समिति" को ही सीधी सहायता भेजी। यह रकम 4 लाख से अधिक हुई।

वर्तमान, भूकम्प-पीड़ितों के पूर्णवास की ओर सभी की जरे लगी हुई हैं। जन कल्याण समिति ने कुछ ग्रामों को इस दृष्टि से गोद लिया है। भामसं. इसमें सहयोग दे रहा है। महाराष्ट्र के भामसं. कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में सर्वेक्षण किया है तथा उनके द्वारा पीड़ितों को "स्व-रोजगार" की सुविधा उपलब्ध कराकर मदद दी जा रही है। वर्तमान योजना पचास परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की है।

श्रम संघों के सम्मुख समस्या

इस क्षेत्र में, कभी-कभी विघटनात्मक प्रकृति की उग्र हिंसात्मक वारदातें, अचानक हो जाती हैं। इस क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली एवं उससे अधिक लाभ लेने की इच्छा श्रमिकों में स्वाभाविक ही जगती है, जो भलेही अन्ततः उनके लिए लाभकारी न हो। ऐसी दो प्रवृत्तियों स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

एक प्रवृत्ति है- नवंबर 1993 में हुए चुनावों क परिणामे उभरा घोर जातिवाद, जिसे एक तरह से चुनावी जीत का सेहरा भी मिल गया। हमें ऐसे जातिवाद एवं जातिवादी ताकतों से सतर्क रहना चाहिये कि इसका जहर श्रमिकों में न फैले, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम उनके लिये हितावह नहीं होगा।

दूसरी प्रवृत्ति है श्रमिकों का हिंसा पर उतर आना एवं प्रतिस्थापित श्रम संगठनों से अपने संबंधों को नकारना, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुआ है। वहां विक्टोरिया एवं मनोरिया ज्यूट मिलों के श्रमिकों ने, सभी श्रम संगठनों के संघों के कार्यालयों पर हमले किए, दरवाजे खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये एवं कुछ नेताओं के साथ हाथापाई भी की। प्रतिस्थापित श्रम संघाके विरुद्ध उनका यह रोष-प्रदर्शन था। भावनाओं का ऐसा विस्फोटक उफान समस्याओं को हल करने वाला नहीं उन्हें भी यह समझ में आ जाएगा। उन्हें यह शीघ्र समझ में आए तो अच्छा होगा।

लेकिन यह श्रमसंघों को भी एक प्रकार की चेतावनी है उन्हें भी श्रमिकों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि श्रम संघ श्रमिकों के साथ राजनीतिक छलावे की नीति अपनाएंगे तो उनके मानों बुरा दिन निकट हैं।

सं. को इस दिशा में पहल कर इन निराश एवं हताश श्रमिकों के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

श्रम संगठनों की एकता

भामसं. के विगत अधिवेशन में, उस समय के महामंत्री ने यह दृढ़ता से कहा था कि भारतीय मजदूर संघ मात्र प्रचार के लिए नहीं अपितु एकता के सभी पहलुओं पर सभी की सहमति के आधार पर एक मजबूत, ठोस एवं स्थिर ऐसी श्रम संगठनों की एकता का सदा ही पक्षधर रहा है और आगे भी रहेगा।

उस समय महामंत्री ने यह भी बताया था कि केन्द्रीय श्रम संगठनों का एकता-

मंच एन.सी.सी. है। उसके कुछ घटकों में कुछ संकुचित भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। नेता प्रवक्ता बनने की इच्छा भी उनमें जगी है।

दुर्भाग्य से 1991 में भी यही दृश्य रहा। एन.सी.सी. के एक विशेष घटक ने पूर्व की परंपरा एवं मर्यादाओं को तिलांजली देकर, अपने विचार संपूर्ण एन.सी.सी. पर थोपने का विक्षिप्त प्रयास किया। एन.सी.सी. के समाप्त होने। यह कारण बना। और 1991 के पश्चात् से उसका अस्तित्व ही मिट गया। पश्चात् भामसं. ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया क्योंकि अन्य घटकों ने "स्पॉन्सरिंग कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स" नामसे एक अलग मंच बना लिया।

लेकिन इससे भामसं. के कार्य पर कोई आंच नहीं आई। अपना कार्य इसके बाद बढ़ा ही है। हमें यह स्वतंत्र रूँ करते रहना है। भामसं. के कार्यकर्ताओं में इससे आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य सकते हैं।

सीटू द्वारा 1993 के दिसम्बर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। अवसर था सीटू के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बी.टी.रणदिवे की जन्मशताब्दी का। भामसं. ने उसमें भाग लिया एवं सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि यदि अन्याय न्य श्रम संगठन राजनीतिक दलों का पिछलग्गूपन और पल्ल छोड़ दें तथा विशुद्ध श्रम-संगठन के आधार पर कार्य करने का मानस बना लें, तो भामसं. अब भी श्रम संगठनों की एक के लिए अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। प्रारम्भ से हमारा सिद्धांत यही रहा है।

भामसं. का 40 वां वर्ष

भामसं. की स्थापना को 1995 में 40 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उज्जैन में हुई भामसं. की कार्यकारिणी ने यह 40 वां वर्ष सिंहवलोकन कार्य में विस्तार एवं कार्यगति बढ़ाने का वर्ष इस रूप में मनाने का निश्चय किया है। कार्यकर्ताओं के लिये यह एक आह्वान ही है।

कार्यविस्तार का लक्ष्य मात्र संख्यात्मक न होकर, गुणात्मक भी होगा। इसका अर्थ है कि यह प्रयास है भामसं. के साथ निःस्वार्थ एवं समर्पित कार्यकर्ता अधिक संख्या में जुड़े। ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता कार्य की संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि करें, बढ़ते कार्य को देखते हुए आवश्यक धन की दृष्टि से भामसं. को आत्मनिर्भर बनाएं। असंगठित क्षेत्र में कार्य बढ़ाकर उन्हें, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास करें, और महिला विभाग का कार्य भी बढ़ाएं। हमारा यह लक्ष्य भी हो कि उद्योग हित सुरक्षित है।

कार्यसमिति ने इस इसके संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया है एवं हम सभी इस लक्ष्यपूर्ति में जुट जाय यह अपेक्षा है।

अतः मैं आप सबका आह्वान करता हू कि परिश्रमपूर्वक यह कार्य सफल बनाएं, और 40 वें वर्ष की लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी कसर न उठा रखें।

- राज कृष्ण भक्त.

(पृष्ठ 3 से आगे)

श्री जगन्नाथ राव जोशी जो कर्नाटक केशरी के नाम से जाने जाते थे, संघ के प्रचारक थे। उन्होंने जनसंघ में रहकर कई पदों पर कार्य किया। मृत्यु के समय वे भाजपा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने "गोआ मुक्ति आन्दोलन" में सक्रिय भाग लिया था तथा पुर्तगाल शासन ने उन्हें कारागार में भी डाला था।

श्री राजीव गांधी की उनकी मां श्रीमति इंदिरागांधी की तरह ही जघन्य हत्या की गई। 1991 के चुनावों के दिनों में यह हत्या एल.टी.टी.ई. के उग्रवादियों द्वारा की गई। देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों में वे सबसे कम आयु के थे एवं उन्होंने लोगों की आशा आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया।

श्री श्रीपाद अमृत डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और वे श्रम संगठन एटक में वरीय नेता थे। वे विद्वान भी थे।

भारतीय मजदूर संघ के स्वर्गवासी होने वाले कार्यकर्ताओं में भामसं. के उपाध्यक्ष एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महामंत्री श्री मिटकरी, बी.पी. टी.इ.एफ. के महामंत्री श्री एम. आर. बोरकर, भारतीय रेल मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बी.वी. एस. आर. शास्त्री, टेलिकॉम महासंघ के श्री मोतीलाल जयस्वाल, तथा आसाम और उत्तरी छोर के अन्य छः प्रान्तों की भामसं. की जिम्मेदारी सम्हाले श्री अच्युतराव देशपांडे प्रमुख थे।

मराठवाडा (महाराष्ट्र) में आए प्रलयकारी भूकम्प ने कई जानें लीं। भामसं. उपरोक्त सभी को तथा अन्यान्य दिवंगतों को (सूची संलग्न है) अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित

सर्वश्री रंगनाथ राव, राधिका प्रसाद गोस्वामी, श्रीनिवासन, प्रमोद दीक्षित, बद्रीलाल जी दवे, लखन कुमार श्रीवास्तव, ई.एस. देशिकन, पी.एस.शेषाद्रि, आर.रामासुब्रमनियम, पी.बालन, पी.राजेन्द्रन, पी.रामकृष्णा रेड्डी, प्रेम कुमार, मोहना प्रेम कुमार, ललिता और रविन्द्रन।

सामाजिक क्षेत्र से

सर्व श्री ईश्वरचन्द्र, बी.जे.पी (बिहार), अच्युत पटवर्धन स्वतंत्रता सेनानी, प्रभाकर भाचवे, साहित्य क्षेत्र, अण्डरसन मावरी - खासी नेता, अच्युत मेनन भूतपूर्व मुख्य मंत्री केरल, डा० वी. के. आर. वी. राव- अर्थशास्त्री, कुमार गंधर्व- कलाकार, सत्यजितरे- फिल्म निर्माता एवं कलाकार, आर.डी.बर्मन- संगीत

निर्देशक, रामनाथ गोयनका- समाचार पत्र प्रकाशक, जे.आर.डी. टाटा- बड़े उद्योगपति, अनन्त भोले- पत्रकार, मल्लिकार्जुन मसूर, संगीतकार, विन्देश्वरी दुबे- पूछ श्रम मंत्री।

ट्रेड यूनियन क्षेत्र

सर्वश्री इब्राहिम जकारिया- डब्लू. एफ. टी. यू., बी.जी. गोपाल, मनोहर फालके- आई.एन. टी.यू.सी., टी.एन. सिद्धान्ता.ए. आई.टी.यू.सी. मनोरंजनराय, कमल सरकार, मोतीलाल शर्मा, - सी. आई. टी. यू. बी.एन. राजहंस, भाऊ पाठक, परितोष बैनर्जी - एच.एम. एस.।

भारतीय मजदूर संघ

भैया गणेश चन्ने, हरीराम अभोर, शिववरन सिंह परमार (म०प्र०) वी.बी.एस.आर. शास्त्री, मोतीलाल जायसवाल, रामानंदराव, के.वी. राजन, एम.लक्ष्मा रेड्डी (ए.पी.), सी.त्रिपाठी, रामदास चक, प्रेमशंकर शुक्ला, शत्रुतोष सिंह, कन्हैया लाल, जगदीश मिश्र, दिनेश मित्तल, धर्मनारायण दबे, रमेन्द्र ध्वज, आर.के.दीक्षित, रामबाबू वर्मा, रमाशंकर सिंह (उ.प्र.), नारायण के.पी. कृष्णा देसाई, के.आर. सिंह, श्याम दण्डवते, रघुवीर राने, डी.कुलकर्णी, वासुदेव राव तलवलकर, रघु बोधे, वसन्त परचुरे (महाराष्ट्र), हरिहरन पिछे, उपाध्यक्ष, ए. भास्करन, पी. टी. थंकप्पन पिछे, एन. वेलायुधान पिछे, भुवनेन्द्र नायर, एस. राजप्पन, पी. थंकप्पन नायर, मनी विजयन, मनिक्कुटन सुधीर, ए.के. राधाकृष्ण, के.एस. रघुनाथन, पी. के. सुदेश, के. वेनू, सी. नारायण, दिवाकरन, मनिकान्थन, मनि पी, ई.पी. अब्दुल्ला, के. भास्करन, डी. विजयरजन मूसद, एन. उन्नी नायर, जे. राजन (केरल), भैया जी कनाजे, अनन्त मोहरिर, एम. पिछई, बालासाहब सावरकर, विजय गुजराती, एकनाथ चानके (विदर्भ) इन्दरसेन बंसल, डा. महेन्द्र रंजन (हरियाणा) शंभूशरण, किशोरी सिंह (बिहार), खगेन्द्र चक्रवर्ती, (असम), ए.के. राव, सुब्राय भक्ता, यू.जी.के. किनी (कर्नाटक), हरीलाल शा, राम औतार चिमल, जुगल प्रसाद (पश्चिम बंगाल), छवि लाल, संजय द्विवेदी, श्रीमती ब्रिन्दारानी चक्रवर्ती, कुमारी कृष्णा स्वेन (उड़ीसा) चन्द्र भारती (पंजाब), वझीरचन्द जी राजस्थान, आईजी. सोलंकी, करसन वी. संगारा, चिनुभाई मेहता (गुजरात)

महामंत्री प्रतिवेदन

भाग - 2

प्रदेश एवं महासंघों से प्राप्त विवरण

जम्मू - काश्मीर

18 एवं 19 जुलाई 1992 को प्रदेश का अधिवेशन हुआ, जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग दो हुए- अप्रैल 1991 में एवं दिसम्बर 1993 में। जिनमें कुल 120 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

नियोजकों की गुंडागर्दी के खिलाफ बड़ी ब्राम्हणा में श्रमिकों ने संगठित होकर आवाज उठाई। भिलावरा ग्रुप के उद्योगों में 17 से 31 दिसम्बर तक हड़ताल आयोजित हुई जो एक श्रम संघ के रजिस्ट्रेशन का नियोजनकों के गुण्डों द्वारा भामसं. के नेता पर हमले के विरोध में थी। जम्मू-काश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी दस दिनों तक "कलमबद - हड़ताल" पर रहे।

दैनिक वेतन भोगी मजदूरों ने नियमित कराने की मांग को लेकर धरना दिया। तथा औद्योगिक श्रमिकों ने "न्यूनतम वेतन का पुनर्गठन" की मांग को लेकर धरना दिया। असंगठित श्रमिकों का भी एक धरना आयोजित हुआ।

प्रदेश में दो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। श्रम मंत्रालय की प्रदेश स्तर की दो समितियों में भामसं. का प्रतिनिधित्व है।

गत तीन वर्षों में कुल 1960 सदस्यता के आठ श्रमसंघ भामसं. से संबद्ध किए गये।

पंजाब

लुधियाना में तेरहवां प्रदेश सम्मेलन 11, 12 दिसम्बर 1993 को हुआ। प्रतिनिधि 500 थे।

प्रादेशिक अभ्यास वर्ग 17 से 19 जुलाई 1991 को हुआ।

30 से अधिक स्थानों पर स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में कार्यक्रम हुए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं नई आर्थिक नीति के विरोध में प्रदेश में कई प्रदर्शन आयोजित किए गये जिनमें लगभग 7, 000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी।

19 से 22 मार्च 1990 को नगर पालिकाओं के कर्मचारियों ने बोनस एवं पेंशन की मांग पर आन्दोलन किया जिसमें प्रदेश भर के 5000 कर्मचारियों ने भाग लिया। अमृतसर नगरपालिका ने 125 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया और लुधियाना नगरपालिका ने 300 कर्मचारियों को स्थाई बनाया।

अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ 23 नवम्बर 1993 को सर्वत्र प्रदर्शन हुए।

15 अक्तूबर 1993 को, पटियाला में, राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें 1000 कर्मचारियों ने भाग लिया।

पंजाब में भामसं. अन्य श्रम संगठनों की तुलना में काफी आगे है।

हिमाचल प्रदेश

प्रदेश सम्मेलन, 23, 24 नवम्बर 1991 को फंटा साहेब में सम्पन्न हुआ जिसमें 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राज्य विधान सभा के सामने 800 कार्यकर्ताओं ने 11 मार्च 1991 को प्रदर्शन किया और 15 मुद्दों का एक मांग पत्र सरकार को दिया। बाद में इस संबंध में सरकार से भामसं. की बातचीत भी हुई। परिवहन, रक्षा विभाग एवं कुछ अन्य उद्योगों में आन्दोलन हुए। बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योग में एक अन्य युनियन ने बोनस हेतु समझौते का प्रयास किया। लेकिन व्यवस्थापकों ने भामसं. से ही समझौता करना श्रेयकर समझा। सभी कर्मचारी भामसं. के साथ होने के कारण यह सम्भव हो सका।

जून 1992 में, चेतावनी सप्ताह के दौरान 410 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं। नई अर्थ-नीति के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन भी हुआ।

गत तीन वर्षों के दौरान, जिला सम्मेलन एवं अभ्यास वर्ग भी हुए।

हरियाणा

प्रदेश के श्रम संघठनों में भामसं. आज क्रमांक एक पर है। सभी जिलों, तहसीलों एवं ब्लकों में भामसं. का कार्य है।

प्रदेश का अधिवेशन 15, 16 सितम्बर 1991 को सोनीपत में हुआ। जिसमें 100 महिलाओं सहित 1,010 प्रतिनिधि थे।

भामसं. से संबद्ध प्रदेश की मिनी बैंक के 5,000 कर्मचारियों के एक विशेष सम्मेलन में राज्य सहकारिता मंत्री श्रीमति शकुन्तला भगवारिया ने घोषणा की कि मिनी बैंक कर्मचारियों के सेवा-नियमों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में कुछ नियम-कानून बनाए जाएंगे।

हरियाणा पर्यटन निगम में कार्यरत भामसं. के सदस्यों ने बोनस वृद्धि की मांग के लिए कुल 36 स्थानों पर धरना दिया एवं इसमें वे यशस्वी हुए। पानीपत कं हाथकरघा एवं यांत्रिक-करघा के श्रमिकों ने भी कई आन्दोलन किए। इसी तरह करनाल के चावल

मिलों के कर्मचारियों, सोहना तथा गुड़गांव के ईट-भट्टा के श्रमिकों, फरीदाबाद के नगरपालिका कर्मचारियों, बाबला के वस्त्रोद्योग के श्रमिकों और अंबाला छावनी के कर्मचारियों के भी कई आन्दोलन हुए।

प्रदेश में कुल 13 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, असंगठित क्षेत्र में 38 श्रमसंघ हैं और प्रदेश स्तर के 8 महासंघ हैं।

श्रम संबंधी प्रदेश स्तर की 8 समितियों में भामस. का प्रतिनिधित्व है।

आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, गीता मंदिर की शिक्षिकाएं एवं करनाल ग्राम मार्किट में एक-एक श्रमसंघ हैं। ये चारो श्रमसंघ पूर्णतः महिला सदस्यों के हैं। 20 अप्रैल 1993 को दिल्ली में हुए भामसं. के प्रदर्शन में हरियाणा की 5000 महिलाएं थी।

गत तीन वर्षों में 21, 000 सदस्यों के कुल 30 श्रम संघ भामसं. से संबद्ध हुए।

दिल्ली प्रदेश

इस वर्ष दिल्ली के प्रशासनिक जिले 5 से 9 हो गये। प्रदेश भामसं. सभी जिलों में जिला समितियां बनाने का विचार कर रही है।

प्रदेश में आठ पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

प्रदेश स्तर की श्रमसंबंधी चार समितियों में भामसं. का प्रतिनिधित्व है।

प्रदेश का अधिवेशन 11 एवं 12 अप्रैल 1992 को हुआ जिसमें 500 प्रतिनिधि थे। जनसत्ता (हिन्दी दैनिक) के मुख्य सम्पादक श्री प्रभास जोशी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया।

समय-समय पर भामसं. के आह्वान पर सरकार की नई आर्थिक नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। इनमें 25.9.91 को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल का पुतला जलाना, 10 जून 92 को प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन, 11.3.93 को पटेल चौक में बजट की प्रति जलाना, 25.11.93 को अमरीकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन 29.11.93 को गैट करार पर हस्ताक्षर किए जाने के विरोध में जुलूस आदि कार्यक्रम प्रमुख थे।

स्वदेशी आन्दोलन के संबंध में 50,000 से अधिक पत्रक, मार्च 1992 में एक सप्ताह तक रेलवे स्टेशन पर वितरित किए जाते रहे।

शकूर बस्ती के रेलवे सीमेंट साइडिंग में ठेकेदारों द्वारा छंटनी एवं अन्य अत्याचारों से त्रस्त 5,000 मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में, बर्बर पुलिस जुल्म के बावजूद आन्दोलन किया। ताज पेलस होटल के कर्मचारियों द्वारा गततीन वर्षों से

वहां संगठित होने के अपने अधिकार हेतु, व्यवस्थापकों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया जा रहा है। यहां व्यवस्थापकों ने अपनी एक चमचा यूनियन के साथ वेतन निर्धारण संबंधी, कथित समझौता किया। भामसं. ने इस गलत समझौते के आधार पर लाभ की लगभग 25 लाख की राशि स्वीकार करना अस्वीकार किया है।

न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य निदेशांक के साथ जोड़ने संबंधी मांग का यह दीर्घकालीन आन्दोलन आखिर यशस्वी हो ही गया। अकुशल अर्धकुशल एवं कुशल कारीगरों के लिए यह गुणकसूत्र क्रमशः 1.00, 1.13 एवं 1.33 निर्धारित किया गया।

उत्तर प्रदेश

प्रदेश अधिवेशन 21, 22 अक्टूबर 1991 को, 1300 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

पन्द्रह अभ्यास वर्ग में 600 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया।

तीन वर्षों में विभिन्न उद्योगों में कुल 53 हड़तालें आयोजित हुईं। इंडियन एयर गैसेस, वाराणासी में गत 14 मास से लगातार हड़ताल चल रही है। मथुरा में, "पशु-चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों की 111 दिनों की लम्बी भूख हड़ताल के बाद, उनकी मांगों को पूरा किया गया।

प्रदेश में 25 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

असंगठित वर्ष में कई सभाओं का आयोजन किया गया। इनमें से वाराणासी जिले में भदोही एवं बांदा जिले में करबी की सभाएं विशेष उल्लेखनीय रही।

प्रदेश स्तर के 9 महासंघ हैं। जिनमें से 4 सरकारी मान्यताप्राप्त हैं। 65 में से 45 जिलों में भामसं. की विधिवत् समितियां हैं।

भामसं. का प्रतिनिधित्व 18 सरकारी कमेटियों में है।

प्रदेश कार्यकारिणी में तीन महिला सदस्याएं हैं। वाराणासी में महिला कार्यकर्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ। प्रदेश सम्मेलन के अवसर पर ही यह हुआ था, जिसमें 230 महिला प्रतिनिधि थीं। देहरादूर, कानपुर एवं लखनऊ में भी महिला सम्मेलन हुए।

जिला स्तर के 21 सम्मेलन हुए। केन्द्र द्वारा आयोजित सभी आन्दोलनात्मक कार्यक्रम प्रदेश में हुए। इनमें स्वदेशी आन्दोलन, चेतावनी सप्ताह, बोनस दिवस, मूल्यवृद्धि विरोध, एवं छंटनी विरोध दिवस सम्मिलित हैं।

बिहार

प्रदेश अधिवेशन साहेबगंज में 11, 12, अक्टूबर 1992 को हुआ।

प्रदेश के सभी जिलों में भा.म. स. का कार्य है। सोलह जिलों में कार्यसमितियाँ हैं तथा 17 जिलों में संयोजक हैं। प्रदेश की कोयला एवं अन्य सभी खानों में भामसं. के श्रमसंघ काफी प्रभावी हैं। असंगठित क्षेत्र में बीड़ी एवं कृषि उद्योगों में भामसं. के श्रमसंघ प्रभावी हैं। पोस्टल, टेलिकॉम, रेलवे, बैंक, ग्रामीण बैंक, सरकारी कर्मचारी सभी सशक्त व प्रभावकारी श्रम संघ हैं।

20, 21 सितम्बर 1991 को रांची में 256 शिक्षार्थियों का अभ्यास वर्ग हुआ।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल का बहिष्कार, स्वदेशी आन्दोलन, नई औद्योगिक और आर्थिक नीति का विरोध, आदि के सिलसिले में प्रदेश में कई प्रदर्शन हुए। मूल्य वृद्धि एवं छंटनी के विरुद्ध भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए।

जून 1992 में, 14 स्थानों पर चेतावनी सप्ताह मनाया गया जिसमें 545 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियाँ दी। भूख हड़तालें 35 स्थानों पर आयोजित की गई।

हमारी राष्ट्रीय समस्याओं में अमेरिका की दादागिरी के विरोध में 8 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए।

प० बंगाल

प्रदेश अधिवेशन 21-22 सितम्बर 1991 को हलदिया में हुआ जहाँ 685 प्रतिनिधि थे।

1200 कार्यकर्ता, प्रदेश के सभी 8 जिलों में हुए अभ्यास वर्गों से लाभान्वित हुए। 28 जनवरी 1992 को जूट उद्योग में प्रारंभ हुयी हड़ताल 56 दिनों तक चलती रही। परिणाम स्वरूप 100/- रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास वेतन वृद्धि हुई। इंजीनियरिंग एवं वस्त्रोद्योग में बोनस की मांग करते हुए किए गये आन्दोलन यशस्वी हुए। 1992 में, वामपंथी सरकार की विफलताओं के विरोध में कई प्रदर्शन हुए। 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर, गिरफ्तारियाँ दी।

30 अगस्त 1993 को, कलकत्ते में, 10,000 कार्यकर्ताओं का एक बिराट प्रदर्शन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ हुआ, जब 3000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियाँ दी।

प्रदेश में 8 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूर्व रेलवे के हार्केंस बड़ी संख्या में भामसं. के साथ आए इनमें से 5000 हॉकर्स ने सियालदा स्टेशन पर 13 दिसम्बर 1993 को प्रदर्शन किया।

नेहाटी में असंगठितों का सम्मेलन हुआ जहां 300 प्रतिनिधि थे। छः श्रम-समितियों में भामसं. का प्रतिनिधित्व है।

गत तीन वर्षों में 21, 521 सदस्यतो के कुल 37 श्रमसंघ भामसं. से सम्बद्ध हुए।

“मजदूर संवाद” नामकी बंगला भाषा में, मासिक पत्रिका है। इस अवधि में दो पुस्तकें एवं एक पुस्तिका प्रकाशित की गई।

आसाम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र

आसाम प्रदेश का अधिवेशन 29 व 30 मार्च 1992 को, 200 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

सिलचर में, 15, 16, 17 मई को त्रिदिवसीय अभ्यास वर्ग हुआ जहां 20 महिलाओं सहित कुल 60 प्रशिक्षार्थी थे।

चाय बागानों में 2 जुलाई 1992 को, एक दिन की हड़ताल हुई। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन- निर्धारण की मांग पर, 10 जुलाई को हड़ताल की।

29.3.92 को नई अर्थनीति को चेतावनी सप्ताह मनाया गया एवं 7 जुलाई 1992 को चार जिलों में भूख हड़ताल की गई। डकैल प्रस्ताव के विरुद्ध 5 स्थानों पर सभाएं हुई।

प्रदेश में 3 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। खाद्य निगम में नई यूनियन बनी है।

त्रिपुरा

त्रिपुरा में कुल 5 श्रम संघ हैं, जिनमें चाय बागानों में एक सरकारी कर्मचारियों का एक, एवं असंगठित क्षेत्र में 3 श्रम संघ हैं। कुल सदस्यता 1200 हैं। प्रदेश में अस्थाई समिति बनाई गई है।

अरुणाचल एवं नागालैण्ड

दोनों में एक एक श्रम संघ हैं। मेघालय, मिजोरम एवं मणिपुर में भामसं. के महासंघों से संबद्ध औद्योगिक इकाइयों में भामसं. के सदस्य हैं।

गुजरात

जून 1991 में प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुआ जिसमें 750 प्रतिनिधि थे।

दस अभ्यास वर्ग आयोजित किए गये। जिसमें 1000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महिलाओं के लिए अलग से अभ्यास वर्ग लगाया गया जिसमें 500 महिलाओं ने भाग लिया।

प्रदेश में तीन पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। “असंगठित वर्ष” के अन्तर्गत तीन सभायें की गई जिसमें 1000 ग्रामीणकर्मचारियों ने भाग लिया।

5 प्रदेश स्तर के औद्योगिक महासंघ कार्यरत हैं जिसमें एक मान्यता प्राप्त है। भा.म.सं. का प्रतिनिधित्व दो समितियों में है। 20 सदस्य वर्क्स कमेटी के लिए चुने गये या सहकारी समितियों के लिए। तीन वर्ष की अवधि में 20 यूनियनों को 15000 सदस्यता के साथ भामसं. से सम्बद्ध किया गया।

प्रदेश में मजदूर चेतना नामक समाचार पत्र राजकोट से तथा मजदूर प्रश्न भाव नगर से प्रकाशित होता है।

राजस्थान

प्रदेश अधिवेशन 17 से 19 अप्रैल 1992 को झुनझुन में सम्पन्न हुआ जिसमें 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संगठनात्मक कार्य तहसील स्तर तक है। इस अवधि में 72 यूनियनें भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध हुईं।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का संगठन 16 जिलों में है। ग्रामीण एवं कृषि मजदूरों की यूनियनें भी कार्यरत हैं।

18 सितम्बर 1992 को एक विशाल मोर्चा सचिवालय के समक्ष जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें 5000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

6 से 12 जून 92 तक वर्ल्ड बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के विरुद्ध चेतावनी सप्ताह प्रदेश भर में आयोजित किया गया। 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में धरने आयोजित किए गये।

13 फरवरी 1994 को पूरे प्रदेश में डंकल प्रस्ताव के विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। और सरकार से आग्रह किया गया कि वह इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करे।

कुछ क्षेत्रीय और औद्योगिक अभ्यास वर्ग भी आयोजित किए गये।

मध्य प्रदेश

21, 22 अक्टूबर 1991 को प्रदेश भामसं. का 12वां अधिवेशन सम्पन्न हुआ जिसमें 2000 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश स्तर का एक द्विदिवसीय अभ्यासवर्ग फरवरी 1991 में जबलपुर में हुआ इसमें 150 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त उद्योग स्तर के कई अभ्यास वर्ग हुए।

कई स्थानों पर स्वदेशी आन्दोलन के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हुकुमचन्द मिल्स के श्रमिकों ने तालाबन्दी के विरोध में आन्दोलन किया। कार्वाइड श्रमिक संघ, उद्योग को बंद न होने देने का प्रयास कर रहा है।

प्रदेश में 10 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

भामसं. द्वारा आयोजित असंगठित वर्ष के सिलसिले में बालाघाट रायपुर, दुर्ग, एवं सरगुजा में प्रदर्शन आयोजित किए गये।

प्रदेश में प्रदेशस्तर के 9 महासंघ हैं और 11 श्रम-समितियों में भामसं. को स्थान मिला है।

प्रदेश अधिवेशन के अवसर पर महिला श्रमिक सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। गत तीन वर्षों में भामसं. से 130 श्रम संघ संबद्ध हुए।

उड़ीसा

प्रदेश सम्मेलन 9, 10 नवम्बर 1991 को अंगुल में हुआ। 511 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश स्तर के दो अभ्यास वर्ग हुए जिनमें 125 कार्यकर्ता लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त जिला स्तर के 16 अभ्यास वर्ग हुए जिनमें भाग लेने वाले 768 कार्यकर्ता थे।

वर्तमान के मुद्दों से जुड़े विषयों पर कुल 8 गोष्ठियाँ हुईं। मार्च से जुलाई 1992 के बीच युनायटेड सेंट्रल को-आप बैंक के सचिव स्तर के कर्मचारियों ने, 100 दिवसीय हड़ताल की। अल्युमिनियम मजदूर संघ एवं नाल्को विद्युत मजदूर संघ के कर्मचारियों ने लगातार लम्बे धरनों भी दिए थे।

मूल्य वृद्धि के विरोध में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए जिनमें 1000 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गये। 25 सितम्बर 1991 को 8 केन्द्रों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल का बहिष्कार किया गया और प्रदर्शन भी किए गये। 10 से 20 फरवरी 1993 तक न्यूनतम वेतन हेतु पुनः प्रदर्शन किए गये एवं गिरफ्तारियाँ दी गईं। अमेरिका की दादागिरी के विरुद्ध तीन स्थानों पर प्रदर्शन किए गये।

प्रदेश में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

500 असंगठित जनजातीय कृषि मजदूरों की एक सभा बानपुर में हुई। बानपुर तारीकुंड, बालिकुड़ा आदि स्थानों पर इन लोगों ने तहसीलदार के कार्यालय के सामने धरने भी दिए।

श्रम मंत्रालय की प्रदेश स्तरीय सात समितियों में भामसं. को स्थान प्राप्त है।

12 मई 1993 को भामसं. रायगुड़ा के जिलामंत्री श्री छबिला पटनायक की हत्या कर दी गई। इसी तरह आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ की कार्यकर्त्री श्रीमति पंकजनी सेठी की भी हत्या हुई।

प्रदेश में भामसं. ने श्रमिकों की ओर से कई मुकद्दमें जीते जिनमें श्रमिकों को हुआ लाभ उल्लेखनीय है।

कुल 32,000 सदस्यता से युक्त 35 श्रम संघ गत तीन वर्षों में भामसं. से सम्बद्ध हुए।

विदर्भ

प्रदेश सम्मेलन 26, 27 अक्टूबर को नागपुर में सम्पन्न हुआ। इसमें 4160 प्रतिनिधि थे जिनमें अधिकांश ग्रामीण महिलाएं थी। कुल महिलाएं 300 थीं।

कुल 17 अभ्यास वर्ग हुए। इनमें से दो भामसं. द्वारा आयोजित थे और शेष औद्योगिक इकाईयों द्वारा आयोजित थे। परतवाड़ा में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मात्र महिला कर्मचारियों के लिए एक अभ्यास वर्ग हुआ।

निजीकरण, डंकल प्रस्ताव एवं अन्य विषयों पर कुल 5 गोष्ठियों का आयोजन हुआ।

औद्योगिक महासंघों द्वारा आन्दोलन किए गये। इनके अतिरिक्त भंडारा, चन्द्रपुर, वर्धा, नागपुर, आदि स्थानों के श्रमसंघों ने, अपनी मांगों के समर्थन में, स्वतंत्र रूप से आन्दोलन किए। बल्लारपुर पेपर मिल में चला छः मास का लम्बा संघर्ष, सीमेंट मजदूरों का आन्दोलन, फॉस्फेट फर्टिलायजर्स, मेराथॉन शू कम्पनी, फैब्रीफोर्ष, बरार मेटल्स, पैरामाउट फर्नेस, तथा महेन्द्र एण्ड महेन्द्र में हुए आन्दोलन विशेष उल्लेखनीय हैं। नई अर्थनीति के विरोध में 1100 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी।

प्रदेश में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। लेकिन 20 सेवा निवृत्त कर्मचारी भी पूर्णकालिकों जैसा ही सहयोग संगठन कार्य में करते हैं।

भामसं. का प्रतिनिधित्व 3 औद्योगिक श्रम समितियों में है। सहकारी बैंक में भामसं. से संबंधित कर्मचारियों में से तीन निदेशक (डायरेक्टर) भी हैं।

प्रतिवर्ष 3 मार्च को, सावित्रीवाई फुले के जन्म दिन पर और 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं।

संबंधित काल में भामसं. से 13 श्रम संघ संबंधित हुए जिनकी सदस्य संख्या 2650 है।

महाराष्ट्र

31.1.92 को प्रदेश का अधिवेशन हुआ। प्रतिनिधि 450 थे।

15, 16 एवं 17 जनवरी 1994 को अहमदनगर में 150 कार्यकर्ताओं से युक्त प्रदेश का अभ्यास वर्ग हुआ। इसके अतिरिक्त कई जिला एवं उद्योग स्तर के अभ्यास वर्ग हुए।

विभिन्न विषयों पर कुल 7 गोष्ठियों का आयोजन हुआ जिसमें 3500 कार्यकर्ता लाभांशित हुए।

39 पूर्ण कालिक कार्यकर्ता प्रदेश में कार्यरत हैं।

असंगठितों का आज तक का सर्वाधिक बड़ा मोर्चा, मुम्बई में 23 दिसम्बर 1991 को निकाला गया। असंगठितों के धरनें, 14 जिला- केन्द्रों में हुए जिनमें प्रत्येक स्थान पर लगभग 250 कार्यकर्ता थे। थाने जिला के नोरवाडा में जुलूस निकाले गये जिनमें 1,000 पुरुष तथा 250 महिलाओं ने भाग लिया। जवहर के मोर्चे में 800 पुरुष एवं 300 महिलाएं थी।

प्रदेश के कुल 21248 की सदस्यता के 24 श्रमसंघ भामसं. से संबंधित हुए।

मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक्स, भोसरी के श्रमिकों के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 91१४

- रु० की बढ़ोतरी दिलाने में सफलता मिली। चिपलूण के विद्युत बोर्ड के 17 कर्मचारी भामसं. के श्रमसंघ के प्रयास से स्थायी हो सके। इन्होंने अपने श्रमसंघ को लाभ प्राप्ति की 25% राशि जो 5 लाख रु० हुई सहयता के रूप में दी। जनता सहकारी बैंक शोलापुर में, अत्यधिक बोनस राशि 53,000 रु० हुई।

15 से 17 जनवरी 1994 को प्रदेश स्तर पर अभ्यास वर्ग अहमदनगर में हुआ।

अप्रैल 1994 में गैट करार के विरोध में नेताओं का प्रवास, श्रमिकों का प्रदर्शन, जुलूस एवं रास्ता रोको कार्यक्रम होंगे।

मराठवाड़ा में हुए भूकंप पीड़ितों की मदद हेतु प्रदेश भामसं. ने चंदा प्राप्त किया। परिवारों के पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है।

गोवा

प्रदेश स्तर का दूसरा अधिवेशन 2 मई 1992 को हुआ। जिसमें 325 प्रतिनिधि थे।

प्रदेश स्तर पर सितम्बर 1993 में एक अभ्यासवर्ग का आयोजन किया गया जिसमें 32 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदेश में मात्र एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता है।

श्रम संबंधी तीन प्रदेश स्तरीय समितियों में भामसं. का प्रतिनिधित्व है।

गत तीन वर्षों में प्रदेश में चार श्रम सेंघ (कुल सदस्यता- 3500) भामसं से सम्बद्ध हुए।

मैसर्स जर्मन रेमिडीज लि० के साथ एक समझौते के फलस्वरूप श्रमिकों को 950/- रु० प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिला।

दो कंपनियों में 110 दिनों की तालाबंदी हुई जिसे कोर्ट में केस ले जाने पर कोर्ट के आदेश से निरस्त किया गया। इन दोनों कंपनियों को आदेश हुआ कि श्रमिकों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि का 15 लाख रुपये का भुगतान करें।

आन्ध्र प्रदेश

प्रदेश का अधिवेशन 16, 17 नवम्बर 1991 को सम्पन्न हुआ जिसमें 1018 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चार अभ्यास वर्गों का आयोजन 1993 में हुआ जिसमें 400 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

हैदराबाद में डंकल प्रस्ताव पर गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें 300 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

सिंगरेनी कोयला खान में 24 दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल की गई। फलस्वरूप 24 श्रमिकों को पुनः काम पर लिया गया। श्री रामपुर की कोयला खानियों की आवासीय कालोनी में, पीने के पानी की आपूर्ति की मांग करते हुए श्रमिकों ने 58 दिनों की भूख हड़ताल की जिससे प्रभावित होकर जिलाधीश ने इस जलपूर्ति हेतु 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की। चार मास तक आन्दोलन किए जाने पर हैदराबाद की चावल मिलों के श्रमिकों की वेतन वृद्धि की गई। सिरपुर कागज कारखाने के श्रमिकों ने आन्दोलन करके 20% बोनस एवं वेतन वृद्धि करा ली। इसके लिए इस श्रम संघ के अध्यक्ष ने नौ दिनों की भूख हड़ताल भी की थी। हॉटेल गोलकोंडा के कर्मचारियों ने 54 दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल वेतन पुनर्निर्धारण के लिए की।

प्रदेश में चार पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

असंगठित क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए। श्रीकाकुलम के पोंडूर में हुई हाथकरषा श्रमिकों की मीटिंग में 560 लोग उपस्थित थे। इसी जिले में सर पर माल ढोने वाले श्रमिकों की सभा में 230 श्रमिक उपस्थित थे। चावल मिल, के हमालों ने हैदराबाद में सभा की जहां 400 प्रतिनिधि थे। मेडक जिले के सिद्धिपेठ में बीड़ी मजदूरों की सभा में 500 की उपस्थिति थी।

प्रदेश में, प्रदेशस्तर के 70 श्रम संघ तथा 2 महासंघ हैं।

भामसं. को 13 श्रम - समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में मान्यता हेतु हुए चुनावों में निम्नलिखित 11 उद्योगों में भामसं. से सम्बद्ध श्रम संघों को विजय प्राप्त हुई।

1. एम. ए.सी.ई. विशाखापट्टनम्
2. सरकार पेपर मिल्स नेल्लोर
3. आईल कंट्री टयुब्यूलर लि० नारकेतपल्ली,
4. सिरपुर पेपर मिल, सिरपुर
5. प्रीमियर एक्सप्लेजिक्ज, पेद्दकेंडुकर
6. गोदावरी एक्सप्लेजिक्ज, पेद्दकेंडुकर
7. नैशनल कार्बन कं० हैदराबाद
8. आई.डी.पी.एल., हैदराबाद
9. एच.ए.एल., हैदराबाद,
10. नेता स्पनिंग मिल्स, हैदराबाद

11. मिथानी, हैदराबाद

इनमें से चार उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं।

क्रेडिट सोसाइटीयों के चुनावों में एच.ए.एल. एच.एम.टी. हैदराबाद में 5-5 सदस्य चुने गये। एम.ई.एस. विशाखापट्टनम में 9 सदस्य चुनकर आए और एम. ई एस. की वर्क्स कमिटी में 9 सदस्य विजयी हुए।

तीन वर्षों में 130 श्रम संघ अपनी 1, 24, 500 की सदस्यता के साथ, भामसं. से सम्बद्ध हुए।

1992 में रास्ता रोको कार्यक्रम 71 स्थानों पर हुआ। इस कार्यक्रम में 7,300 लोगों ने गिरफ्तारियां दीं। सामूहिक हड़ताल में 2165 लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 7.7.92 को न्यूनतम वेतन पर पुनर्विचार की मांग के समर्थन में किया गया था। 15 मार्च 1993 को सभी जिला केन्द्रों पर घरनों का कार्यक्रम हुआ। 23 से 25 जुलाई 1993 को, 14 जिलों के 50 स्थानों में "डंकल प्रस्ताव निरस्त करो"- सप्ताह मनाया गया। 29 नवम्बर 1993 को अमरीकी दादागिरी के विरोध में 14 जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। 29 जनवरी 1994 को रास्ता रोको कार्यक्रम हुआ। इस सिलसिले में 3500 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गये।

प्रदेश के सभी 22 जिलों में सशक्त संगठनात्मक गतिविधि चलती है। तहसील या पंचायत स्तर पर भी समितियां गठित की जा रही हैं। 106 मंडलों एवं 31 नगरों में मंत्री हैं।

कर्नाटक

द्विदिवसीय प्रदेश अधिवेशन दिसम्बर 28, 29 दिसम्बर 1991 में मैसूर में हुआ। इसमें 800 प्रतिनिधि थे।

प्रदेश भामसं. ने गत तीन वर्षों के काल में नए-नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। दामन्धरे के वस्त्र उद्योग के वामपंथी गढ़ पर भामसं. ने कब्जा कर लिया। गत तीन दशकों से वामपंथियों का यहां बोलबाला था। गणेश टैक्सटाइल मिल्स चन्द्रोदय एवं वस्त्रोद्योग की कुछ अन्य मिलों पर अब भामसं. के श्रम संघ हावी हैं जिन्हें शक्ति परिष्कार के आधार पर मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। अन्यान्य उद्योगों के कर्मचारी भी अब हमरोक प्रकार से भामसं. से जुड़ रहे हैं। परिणाम से सर्वत्र भगवा ही फहराता दिखाई देता है।

हट्टी स्थित सोने की खान में अपना श्रमसंघ बनाकर रायचूर जिले में प्रवेश किया है। इसी तरह बैल्लारी जिले में, तुंगभद्रा स्टील कं० की स्टाफ असोसिएशन

को अपने साथ मिलाकर भामसं. ने अपना प्रवेश सुगम कर लिया है। रक्षा विभाग के दक्षिण क्षेत्र के मुख्यालय में प्रथम श्रमसंघ के रूप में "एम्प्लॉईज एसोशिएशन" बनाकर अपना आरंभ किया है। कुद्रेमुख लोहे की खदान में श्रमसंघ गठित कर एक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में प्रवेश किया है। मैको में भी यूनियन बना है। राज्य परिवहन निगम में महासंघ का गठन 12 दिसम्बर 1993 को हुवली में हुआ। परिवहन निगम के दस से अधिक विभागों में भामसं. के श्रमसंघ बनाए हैं। अन्य विभागों में भी श्रमसंघों के गठन का प्रयास हो रहा है।

प्रदेश स्तर का अभ्यास वर्ग दावणगेरे में 27 से 30 जनवरी 1994 को हुआ। 140 प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें 5 महिलाएं भी थी।

नई अर्थ नीति के विरोध में समय समय पर, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम होते रहे। इनमें 5 स्थानों पर हुए "रास्ता रोको" कार्यक्रम सम्मिलित हैं। 1000 लोगों द्वारा एक दिवसीय धरना भी इसी के अन्तर्गत है।

प्रदेश में आठ पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

केरल

6 से 8 मार्च 1993 को एर्नाकुलम में प्रदेश सम्मेलन सफल रूप से सम्पन्न हुआ, जिसमें पड़ोस के 7 जिलों के लगभग 20, 000 कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। वे विशाल जुलूस में भी शामिल थे। आयएलओ के दिल्ली कार्यालय के निदेशक श्री एलियास मेंबेरे इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे तथा श्री एम.पी.जोसेफ आधपेक के कोआर्डिनेटर एवं श्री परमेश्वरन, सामाजिक कार्यकर्ता भी सम्मेलन में थे। जिन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित भी किया। प्रतिनिधि संख्या 798 थी।

सम्मेलन के अतिरिक्त प्रदेश की परिषद की बैठक सितम्बर 1991 में हुई।

1991 में प्रदेश का अभ्यास वर्ग हुआ जहां 106 शिक्षार्थी थे। सात जिला स्थानों पर भी अभ्यास वर्ग हुए जिनमें कुल प्रशिक्षार्थी 400 थे।

प्रदेश की परिवहन निगम में वहाँ के सभी श्रमसंघों ने मिलकर संयुक्त रूप से हड़ताल की जो अक्टूबर-नवम्बर 1993 में 10 दिनों तक चली। वहाँ के भामसं. से संबद्ध केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट श्रमिक संघ ने उसी समय अलग से हड़ताल की। इस आन्दोलन में केरल अराजपत्रित अधिकारी संघ, कर्मचारी महासंघ एवं शिक्षक महासंघ आदि ने भी भाग लिया। "तट रक्षा क्षेत्र" की मांग करते हुए 18-26 अक्टूबर 1992 को, मल्लुआरों के श्रम संघ ने एक वाहन जत्था निकाला।

प्रदेश में 24 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

“असंगठित वर्ष” 1991 के सिलसिले में, जिला स्तर के सम्मेलन, प्रदेश के 14 में से 12 जिलों में हुए जिनमें कुल 2501 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया।

प्रदेश में, प्रदेश स्तर के 5 महासंघ 8 प्रदेश स्तरीय संघ, एवं सरकारी कर्मचारियों के 7 श्रम संघ हैं।

प्रदेश में 8 श्रम समितियों में भामसं. का प्रतिनिधित्व है।

आय. आर. ई. मजदूर संघ, स्टील मजदूर संघ एवं आर्य वैद्यशाला मजदूर संघ के चुनाव में जीतने से मान्यता प्राप्त हुई।

इस काल में 20 श्रमसंघ अपनी कुल 2000 की तदस्यता के साथ भामसं. से जुड़े हैं।

मलयाली भाषा में “मजदूर भारती” नामक मासिक पत्रिका चलती है। इसकी पाठक संख्या 7,000 है। प्रदेश की भाषा में तीन पुस्तकें यथा-बॉयकॉट मल्टीनेशनल प्रॉडक्ट्स, “एक्सप्लॉइटेशन टॉक्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनलस” एवं “डंकल प्रोपोजल्स तथा अमरीकी आर्थिक उत्पीड़न” प्रकाशित हुई।

अमरीकी दादागिरी के खिलाफ सैकड़ों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गये। 1 से 8 जनवरी 1994 को “डंकल प्रस्ताव हटाओ-सत्ताह” मनाया गया। इसके अंतर्गत बाहन जत्था, मशाल जुलूस, सभायें आदि कार्यक्रम हुए।

तमिलनाडू

प्रदेश अधिवेशन कोइम्बतूर में 15 एवं 16 फरवरी 1992 को, 200 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

प्रदेश स्तरीय अभ्यास वर्ग 10, 11 जुलाई 1993 को हुआ जिसमें 120 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्रदेश में मात्र एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता है।

परिवहन उद्योग में प्रदेश स्तर का महासंघ है।

भामसं. के श्रमसंघों ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। लम्बी वार्ता के बाद कर्मचारियों को पुनः काम पर रख लिया गया। पेपर मशिनरी मैनुफैक्चरिंग कं० में तीन मास तक चली हड़ताल के फलस्वरूप एक वेतन-समझौता हुआ। जिसमें प्रति कर्मचारी प्रतिमास 600/- रु० का लाभ हुआ। बी.के.डी. टैक्सटाइल में 7 मास की हड़ताल के बाद भामसं. के श्रमसंघ से समझौता हुआ जिससे श्रमिकों के कार्य दिन

निश्चित किए गये। और यह भी निर्णय हुआ कि मास में एक दिन भी काम न मिलने पर श्रमिक 500/- रु० प्रतिमास का हकदार बना रहेगा। प्रदेश की परिवहन निगम में हुई हड़ताल ने कर्मचारियों को अधिक बोनस देने हेतु व्यवस्थापकों को बाध्य किया।

इन घटनाओं के फलस्वरूप कोइम्बटूर एवं आस पड़ोस के कर्मचारियों ने भामसं. के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। इससे भामसं. की कार्यवृद्धि में मदद मिली है।

दक्षिण रेलवे, भेल, मिचीगन फैक्ट्री, तिरुनेवेली एवं कन्याकुमारी में भामसं. की यूनियन कार्यरत है।

टैक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट और प्लान्टेशन उद्योगों में कुछ कानूनी लड़ाई लड़ी गई। टैक्सटाइल उद्योग एक सेवामुक्त कर्मचारी को काम पर रखवाया गया और उसे 1,48,000 रुपये बतौर बकाया वेतन मिला। चायबगान में 22 कर्मचारी जो 10 से 15 वर्ष से टैम्पेरी काम कर रहे थे और उनके नामबदल दिए जाते थे, को स्थाई कराया गया। और उन्हें सभी सुविधायें भी प्राप्त हुई। उसी तरह एक डेरी उद्योग में 88 कर्मचारियों को स्थाई कराया गया। और उनको भी लाभ मिला। एक अन्य केस में 48 कर्मचारियों को स्थाई कराया गया। तमिलनाडू में कर्मचारियों को स्थाई किए जाने हेतु एक कानून 1981 से है।

सिक्किम

सिक्किम में भी भा.म.सं. ने सम्पर्क सूत्र स्थापित कर लिया है और वहां शीघ्र ही कार्यारम्भ होने की आशा है।

अंदमान-निकोबार

इस केन्द्रशासित प्रदेश में भामसं. का कार्य प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी को परितोष पाठक पर दी गई थी। उन्होंने 1992 में वहां जाकर संपर्क किया। मोर्टी कोचन नगरपालिका कर्मचारी संघ नाम से एक श्रम संघ बनाया गया है उसके पंजीकरण हेतु आवेदन दिया गया है।

चण्डीगढ़

केन्द्रशासित चण्डीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध 15 यूनियने हैं, जिसकी सदस्यता 3 हजार है। यहाँ का काम निकट के प्रदेश पंजाब इकाई को देखरेख में चलता है

पाण्डीचेरी

पाण्डीचेरी के माहे विभाग में मजदूर संघ से सम्बद्ध मात्र दो यूनियने हैं। जिसमें एक टेक्साटाईल की तथा दूसरी केमिकल उद्योग से सम्बन्धित है। सदस्यता कुल करीब 100 है। यहाँ का कार्य निकट के केरल प्रदेश द्वारा संचालित होता है।

औद्योगिक महासंघों के वृत्त

भारतीय ज्यूट मजदूर संघ

इस महासंघ का कार्य प० बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, और ओरिसा में है, जहां कुल 50 श्रम संघ एवं 47,865 सदस्यता संख्या पर महासंघ का दावा है।

प० बंगाल में ज्यूट उद्योग में लम्बे समय तक हड़ताल चलती रही जिसने वामपंथी श्रम संगठनों में एवं प० बंगाल सरकार की श्रमिकों के कल्याण की झूठी कल्पनाएं एवं उनके खोखलेपन की कलाई खोल दी। सबके साथ हड़ताल में शामिल होने के बदले वह जूट ने अलग से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। भामसं. ने इसका घोर विरोध किया और अन्ततः सीटू को बाध्य होकर सबके साथ सांझा मोर्चा बनाना पड़ा। पश्चात् सीटू ने पुनः हरकत की कि साझे समझौते के अनुसार निश्चित की गई शर्तों के विपरीत उसने दिल्ली ज्यूट मिल के साथ एक अन्य समझौता किया। लेकिन भामसं. एवं अन्य संगठनों ने हड़ताल जारी रखी, जिसकी परिणति एक सम्मानपूर्वक समझौते में हुई। इसमें भी प० बंगाल सरकार ने हस्तक्षेप करने एवं समझौते से श्रमिकों को मिलने वाले लाभ पर आघात करने का प्रयत्न किया। पर भामसं. डटा रहा और उसने सरकार का कुप्रयास निरस्त कर दिया।

व्यवस्थापकों ने 8.33 % से भी कम बोनस की बात की तो धरनों एवं आन्दोलन के माध्यम से भामसं. ने उसकी हरकत चलने नहीं दी।

मेघना ज्यूट मिल में कांग्रेस के साथ चलने वाला एक श्रमसंघ, भामसं. में आ गया। एवं किंगसन अलेक्झांड्रा, गौरी पूर, बरनगढ़, तथा हीरा आदि स्थानों की ज्यूट मिलों के कतिपय श्रमिक अन्यान्य संगठनों को छोड़कर भामसं. के साथ आ गये।

काकीनारा में भविष्यनिधि कमिटी एवं वर्क्स कमिटी में तथा नेहाटी, विक्टोरिया एवं न्यू सेंट्रल ज्यूट मिल की वर्क्स कमिटीज में, भामसं. के प्रतिनिधि चुने गये।

प० बंगाल की वामपंथी सरकार की दोगली एवं दुलमुल नीति से श्रमिक नाराज एवं निराश हो चुके हैं तथा वे सभी श्रमसंगठनों से अलग होते जा रहे हैं। कानेरिका में श्रमिक स्वयं ही ज्यूट मिल चलाने के प्रयत्न में हैं। भामसं. छोड़कर अन्य श्रमसंगठनों से उनका विश्वास उठ गया है।

अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ

इस महासंघ से जुड़ी कुल 16 यूनियनें हैं - इस्पात कारखानों में - 8 खानों में 5 एवं हिन्दुस्तान स्टील कंसल्टेशन निगम में 3 कुल सदस्यता 68,532 है।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान की इस्पात, उद्योग की वर्नपुर स्थित इकाई "इसको" (इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कंपनी) को निजी हाथों में देने से बचाने के लिए गत तीन वर्षों से संघर्ष चल रहा है। इस संबंध के संयुक्त मार्च में भामसं. का उक्त महासंघ भी है। 7 सितम्बर 1993 को मार्च ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान सभी इस्पात इकाइयों से किया। अ० भा० इस्पात मजदूर संघ का इस सिलसिले में किया गया प्रयास एवं फार्म क्रम उल्लेखनीय था। बोकारो इस्पात की मेघातुबुरु एवं किटिबुरु खानों में अपने इस महासंघ के प्रयास से ही सफल हड़ताल हो सकी।

16, 17 मई 1993 को सिंगभूम जिले के मेघातुबुरु में, एवं 16, 17 अक्टूबर 1993 को पलामू जिले के भवनाथपुर में, और 12, 13 दिसम्बर 1993 को दुर्गापुर में अभ्यास वर्ग हुए। तीनों वर्गों की कुल संख्या 135 थी।

महासंघ द्वारा आयोजित धरना, दिल्ली में 29 अप्रैल 1992 को हुआ। 180 कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। इस्पात की संयुक्त सलाहकार समिति में भामसं. को प्रतिनिधित्व देने संबंधी मांग प्रमुख थी। इस्पात निगम द्वारा भारी छंटनी किये जाने का विरोध एवं इस्पात निगम को "सैल" (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि०) में विलीन करने संबंधी एक ज्ञापन इस्पात मंत्री को दिया गया।

भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ

इस महासंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन 18 एवं 19 फरवरी 1992 को हैदराबाद में हुआ जहां 1000 प्रतिनिधि थे। प्रादेशिक अधिवेशन 9 हुए। कुल 15 प्रदेशों में महासंघ का कार्य है। कर्नाटक में महासंघ में हाल ही में प्रवेश किया है।

दिसम्बर 1992 में, नागपुर में, महासंघ का अभ्यास वर्ग हुआ जिसमें शिक्षार्थियों के रूप में पदाधिकारी थे। संख्या 45 थी। कई प्रदेशों में प्रदेश स्तर पर ऐसे अभ्यास वर्ग हुए।

"राज्य परिवहन बनाम निजी परिवहन" इस विषय पर 1992 में कई प्रदेशों में गोष्ठियां आयोजित की गईं। इस सिलसिले में जनता से भी संपर्क किया गया। अधिकांश ने राज्य परिवहन के पक्ष में मत प्रदर्शित किया। परन्तु साथ ही इसकी कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई।

राज्य परिवहन में सुधार की मांग को लेकर इस महासंघ ने अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में, 18 दिसम्बर 1991 को तथा बाद में नवम्बर 1992 में क्रमिक धरना आयोजित किया। धरनें पर बैठने वाले बारी बारी से प्रातः बैठते थे जो 13 प्रदेशों की कार्यकारणियों के सदस्य थे। अन्तिम दिन 700 लोगों ने गिरफ्तारी दी। प्रदेशों में भी ऐसे धरने आयोजित किए गये।

परिवहन में स्थित सहकारी संस्थाओं के चुनावों में नागपुर एवं यवतमाल में महासंघ से सम्बद्ध लोग चुने गये।

“राज्य परिवहन” दिखावा एवं वास्तविकता” के नाम से महासंघ ने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें विभिन्न प्रदेशों के राज्य परिवहनों की गतिविधियों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है। परिवहन में सुधार के लिए सुझाव भी प्रस्तिका में हैं।

अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर “परिवहन मजदूर” नामक एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया।

परिवहन की त्रिपक्षीय समिति में महासंघ को दो स्थान प्राप्त हैं।

अखिल भारतीय खनिज धातु मजदूर संघ

इस महासंघ अखिल भारतीय अधिवेशन, 22, 23 नवम्बर 1992 को, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में, 250 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

पत्थर खदनों एवं बाक्साइड की खानों के प्रसारित बन्द किए जाने के विरोध में महासंघ से सम्बद्ध श्रमसंघों ने लगातार लम्बा आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को बाध्य होकर अपना निर्णय बदलना पड़ा।

बेलाडिला की मॉगनज खानों से 450 महिला श्रमिकों को काम से हटाया गया था। इस सम्बन्ध का समझौता अन्य श्रम संघों से हुआ था। इन महिला श्रमिकों को 12 से 20 वर्ष तक सेवा करते हो गये थे। उन्होंने भामसं. के माध्यम से डेढ़ वर्ष तक क्रमिक भूख हड़ताल की। लेकिन अब तक यह मसला अनिर्णित ही है। बस्तर जिले में नक्सलवादियों ने एक खान जबरदस्ती से बन्द करवा दी। श्रमिकों ने तीन महीने तक संघर्ष किया और इसके प्रभाव से सरकार ने खान पुनः खोल दी। परन्तु पुनः इसके डेढ़ वर्ष बाद नक्सलवादियों ने खान के प्रशासकीय कार्यालय को बम विस्फोट कर तहस नहस कर दिया एवं खान पुनः बन्द करवा दी।

इस महासंघ के पांच पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। गत तीन वर्षों में तीन श्रमिकों अपनी 500 की सदस्यता के साथ महासंघ से जुड़ गये हैं।

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ

10, 11, 12 नवम्बर 1992 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी खनी, रामगुडम में महासंघ का आठवां अधिवेशन हुआ। इसमें 1995 प्रतिनिधि थे।

कोयला-कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में, महासंघ ने, 10 से 16 फरवरी तक भूख हड़ताल का आयोजन किया। एवं आखरी दिन 72 घंटे की हड़ताल का नोटिस व्यवस्थापकों को दिया। कोल इंडिया के व्यवस्थापिकों से इस सिलसिले में बातचीत हुई और एक समझौता भी हो गया।

31 जनवरी 1994 को, कोयला उद्योग में कार्यरत, सभी पांच महासंघों ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था जो बाद में स्थगित किया गया।

इस उद्योग में प्रत्येक पंजीकृत श्रमसंघ को, कम्पनीयों के कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराया है।

संयुक्त सलाहकार समितियों में कोयला उद्योग की सभी कंपनियों ने कंपनी स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया है। कोयला खान भविष्य निधि समिति एवं सुरक्षा और कल्याण परिषदों में इस महासंघ को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

अखिल भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ

महासंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन सिहोर (म० प्र०) में, 25, 26 मार्च 1992 को सम्पन्न हुआ। प्रतिनिधि 200 थे।

गत तीन वर्षों में 10 नए श्रम संघ महासंघ से सम्बद्ध हुए।

पंजाब में प्रथम बार हमारे श्रम संघों से समझौता किया गया है।

भारतीय पल्प पेपर, स्ट्रैंड बोर्ड मजदूर संघ

26.11.91 को, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बल्लारपुर में इस महासंघ का गठन हुआ। इस कार्यवाही में 7 राज्यों के 50 प्रतिनिधि शामिल थे।

8 सितम्बर 1993 को महासंघ की कार्यकारिणी ने एक मांग पत्र तैयार किया एवं अगले दिन श्रममंत्री को वह दिया। 1.2.94 को श्रम सचिव से मिलकर इस महासंघ में पुनः बातचीत की गई।

आंध्र प्रदेश स्थित सिरपुर कागज मिल में हुए गुप्त मतदान में भा.म.सं. के कार्यकर्ता ने 1506 बोट प्राप्त किए एवं मान्यता भी प्राप्त कर ली।

वर्तमान महासंघ से कुल 25,000 सदस्यता की 45 महासंघ सम्बद्ध हैं।

अखिल भारतीय डिस्टिलरी कर्मचारी महासंघ

इस महासंघ की स्थापना, सिहोर (म०प्र०) में 25.3.92 को हुई। इससे 11 श्रमसंघ संबद्ध हैं- केरल में 2, हरियाणा - 1 म० प्र०- 1 एवं उ० प्र० में 7 है।

इस उद्योग में वेतन संबंधी बातचीत में प्रथम बार ही आमंत्रित किया गया।

अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ

इस महासंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन पुणे में मई 1992 में संपन्न हुआ। लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस महासंघ का कार्य विस्तार 9 प्रदेशों में है। 50,000 सदस्यता सहित 23 यूनियनें हैं।

एक महिला पूर्णकालिक कार्यकर्त्री इस महा संघ के कार्य से जुड़ी है।

एक संसदीय समिति बीड़ी कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी करने के लिये नियुक्त की गयी है। जनवरी 1994 में समिति पुणे आयी। केवल इसी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने समिति के सदस्यों से भेंट की और बीड़ी कर्मचारियों की समस्याओं का स्मारक पत्र समिति को सौंपा। इसमें बीड़ी कर्मचारियों की समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा था।

श्रम मंत्रालय द्वारा गठित दोनों समितियों में इस महासंघ को प्रतिनिधित्व है।

नैशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स

इस महासंघ का अधिवेशन 6 से 8 फरवरी 1990 को हुआ, जिसका उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति एवं अर्थशास्त्री श्री एम.जी.बोकरे ने किया। इसमें 1200 प्रतिनिधि आये थे।

महासंघ की योजना के अंतर्गत प्रदेश: या बैंकशः अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया।

इससे जुड़े 12 प्रदेश स्तर के महासंघ हैं।

12 अक्टूबर 1993 को, बैंकिंग उद्योग में स्थित अन्यान्य श्रम संगठनों की संयुक्त कार्यवाही समिति (ज्वाइंट एक्शन कमिटी) के साथ एन. ओ.बी.डब्ल्यू. भी वार्ता एवं संघर्ष के लिए उतर आया। वेतन पर पुनर्विचार एवं पेंशन की मांगों के सिस्सिसिले में यह संयुक्त वार्ता और संघर्ष था। इस संयुक्त समिति ने 2 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। इसी बीच व्यवस्थापकों से वार्ता हुई एवं "इंडियन बैंक

असोएशन" (आयबीए) ने संयुक्त समिति के सामन एक सुधारित पेंशन योजना रख दी तथा हड़ताल स्थगित हो गई।

वेतन पर वार्ता हेतु आयबीए ने सभी महासंघों द्वारा अलग-अलग रूप से सचन कांम्यूटीकरण की शर्त मानें जाने का और उसके लिए राजी होने का आग्रह किया। भामसं. ने इस महासंघ ने अपने पूर्व के निर्णय के अनुसार उपरोक्त शर्त को मानना अस्वीकार कर दिया।

बाद में 17 सितम्बर को संयुक्त समिति के सदस्यों ने वित्तमंत्री से मिलकर बातचीत की जिसमें बैंकों की गतिविधि से जुड़े कई विषय आए। भामसं. का महासंघ भी इस समिति का सदस्य था।

फिर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में भरती संबंधी समिति, जिसके प्रमुख हैं- रिजर्व बैंक डेप्यूटी गवर्नर श्री डी.आर.मेहता,- ने श्रमसंघों के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु बुलाया। इसमें भी एन.ओ. बी. डब्ल्यू. का प्रतिनिधि था। भारती समिति ने श्रम संघों को एक प्रश्न तालिका भेजी थी जिसके प्राप्त उत्तरों पर चर्चा हेतु यह आयोजन था।

वित्त मंत्रालय ने, बैंक उद्योग के श्रमसंघों से वार्ता हेतु "सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार" इस विषय पर एक आधार-पत्र (बेस पेपर) वितरित किया।

इस महासंघ से संबंध "अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ" ने सुविधा हेतु अपने को दो भागों में विभक्त कर लिया- 1. कर्मचारी संघ एवं 2. अधिकारी संघ।

महासंघ से जुड़े सिडिकेट बैंक के श्रम संघ ने उस समय विजय प्राप्त की जब बैंक के व्यवस्थापकों को "केन्द्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल" ने निर्देश दिया कि श्रम संघ द्वारा किसी व्यक्ति की ओर से दायर याचिका या शिकायत पर उसे विचार करना चाहिए। श्रम संघ ने ऐसी शिकायत ट्रिब्यूनल में की थी।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ

सरकारी "सघन शिशु विकास योजना" के अन्तर्गत चल रही आंगनवाड़ियों की महिला कार्यत्रियों के इस महासंघ का जन्म सितम्बर 1992 में हुआ अतः यह नया ही है।

हरियाणा एवं ओरिसा प्रदेशों में इसके प्रादेशिक सम्मेलन क्रमशः अक्टूबर एवं दिसम्बर 1993 में सम्पन्न हुए। ओरिसा के सम्मेलन में 500 महिला प्रतिनिधि थीं। हरियाणा में न्यूनतम वेतन का मुद्दा बनाकर इस महासंघ के तत्वावधान में

5,000 महिलाओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ओरिसा में आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्रियों ने 10 से 20 फरवरी 1992 के बीच, प्रदेश के सभी जिलों में, आन्दोलन किया। जिसके अन्तर्गत कई कार्यक्रम हुए। यह न्यूनतम वेतन सरकार ने घोषित तो कर दिया था पर लागू नहीं किया था। इस आन्दोलन में, 1,500 से अधिक महिलाओं ने भागलिया जनमें से 500 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 1993 में जुलूस निकाले गये जिनमें, कमशः गजपति जिले में 500 एवं कालाहांडी जिले में 300 महिलाएं थी। भद्रक एवं कटक जिलों में धरने आयोजित किए गये थे।

19 एवं 20 अक्टूबर 1993 को द्विदिवसीय अभ्यासवर्ग का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न आंगनवाड़ी श्रम संघों की 40 कार्यकर्त्रियों ने भाग लिया।

आंगनवाड़ी महासंघ का कार्य अब पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम एवं गोवा में भी प्रारम्भ हो गया है।

अखिल भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ

स्वायत्तशासी सस्थाओं के कर्मचारियों का महासंघ 15 राज्यों में है। 150 युनियनें इससे सम्बद्ध हैं।

कुछ प्रदेशों में इन श्रम संघों ने बोनस एवं पेंशन हेतु आन्दोलन किया एवं कुछ में वे यशस्वी भी हुए।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ

सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के श्रमसंघों एवएक प्रकार के उद्योगों की अनेक इकाइयों के महासंघों का यह परिसंघ (कानफेडरेशन) है। दिल्ली में 18 एवं 19 अप्रैल 1993 को इसका अधिवेशन हुआ। 18 उद्योगों एवं 40 श्रमसंघों के कुल 205 प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अप्रैल 1992 में, दिल्ली में, 37 उद्योगों एवं 82 श्रमसंघों ने कुल 832 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया एवं वित्तमंत्री को एक ज्ञापन दिया। इसमें वेतन पर पुनर्विचार प्रारम्भ करने, सीमारहित बोनस, एवं आयकर राशि की सीमा बढ़ाने की मांगें थीं।

दिसम्बर 1991 में एक त्रिपक्षीय, अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग तीन दिन के लिए कोचीन में हुआ।

हरिद्वार स्थित "भेल" उद्योग में प्रतिवर्ष विश्व मां जयंतक अवसर पर सर्वाधिक अच्छे कार्य के लिए, संबंधित कार्य- इकाई (विभाग) को, भामसं. के श्रम संघ द्वारा एक शिल्ड दिया जाता है। 1993 में इस कार्यक्रम में फायनानशियल एक्सप्रेस

के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रमुख श्री बलबीर पुंज के द्वारा यह शिल्ड प्रदन करवाया गया।

रसायन एवं औषधी निर्माण उद्योग (आएडीपीएल) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। इसे बीमार घोषित कर बंदकर देने का सरकार ने इरादा बनाया। श्रमिकों के संगठनों ने मामला बीआएफआर में दर्ज कराया। श्रमिकों एवं श्रमिक संगठनों के अथक प्रयास से 10.2.94 को इस उद्योग को चलाते रहने का निर्णय हुआ। बीमार उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के पक्ष हुआ ऐसा निर्णय प्रथम बार ही हुआ है। एवं यह अपनीरह का प्रथम उदाहरण है। परन्तु इसके लिए आय.डी.पी.एल के भामसं. के श्रमसंघ ने कठोर परिश्रम लगाया था।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान

अधिकारी एवं पर्यवेक्षक महासंघ

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों का यह महासंघ 18, 19 अप्रैल 1993 को दिल्ली के एक सम्मेलन में गठित हुआ।

इस महासंघ के सामने तत्काल लक्ष्य है- सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बन्द न होने देना।

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ

महासंघ का आठवां अधिवेशन 18, 19 अक्टूबर 1992 को जयपुर में, 5000 प्रतिनिधियों की उपस्थित से उत्साहपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ।

14, 15, 16, सितम्बर 1993 को महासंघ का अभ्यास वर्ग पनकी (कानपुर) में हुआ, जहां 10 प्रदेशों के 125 प्रशिक्षार्थी थे।

विद्युत की औद्योगिक समिति में इस महासंघ के चार प्रतिनिधि हैं। इसकी प्रथम बैठक 13.11.92 को हुई।

12 प्रदेशों में महासंघ का कार्य अच्छी तरह चल रहा है।

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर दिल्ली में हुए तेरहवें विश्व सम्मेलन में मध्य प्रदेश से महासंघ के प्रतिनिधि थे।

महासंघ से सम्बद्ध, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर संघ को उनसे 2,71,757/- रु० की सहयोग राशि प्राप्त हुई। यह घटना सभी के लिए प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है।

भारतीय टेलिकॉम एम्पलाईज फैडरेशन

इस महासंघ से जुड़े पांच अखिल भारतीय श्रम संघों के अलग अलग सम्मेलन हुए। संघीय परिषद की बैठक लखनऊ में 15, 16, 17 जून 1993 को हुई। इस दौरान "आधुनिकीकरण यानें पश्चिमीकरण नहीं" इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें टेलिकॉम आयोग के अध्यक्ष श्री एच.पी. वागले ने भाग लिया।

सरकार टेलिकॉम विभाग की पुनर्रचना करने एवं विदेशी कंपनियों को इस रचना में स्थान देने का प्रयास कर रही है। टेलिकॉम स्थित विभिन्न तीनों महासंघों ने इसका विरोध किया है एवं विरोध स्वरूप संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम भी किए हैं। 21 दिसम्बर 1993 को एक घंटे की काम बन्द हड़ताल, 31 दिसम्बर 1993 को भी पुनः ऐसी हड़ताल, ऐसे कार्यक्रम हुए। भामसं. से संबंध इस महासंघ के सदस्यों ने उक्त कार्यक्रमों में पूरी ताकत लगा दी थी। श्रम मंत्रालय की वार्ता-समिति ने हड़ताल में हस्तक्षेप किया और बातचीत की। बातचीत एवं तदनुसार कार्यवाही जारी है। साथ साथ विभागीय प्रशासन ने हड़ताल की नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों को कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं।

जनवरी 1993 में, मुम्बई में, महासंघ ने एक अभ्यास वर्ग आयोजित किया। उस समय मुम्बई में कानून एवं व्यवस्था भी स्थिति चिंताजनक थी। फिर भी अभ्यास वर्ग में 22 कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे।

महासंघ से जुड़े महाराष्ट्र प्रदेश के श्रमसंघों के लिए एक अभ्यास वर्ग का आयोजन सितम्बर 1993 में हुआ जिसमें 100 प्रशिक्षार्थी थे। पुणे में महिलाओं के लिए एक अलग अभ्यास वर्ग हुआ जिसमें 65 की संख्या थी।

महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर एक आंतरिक विवाद खड़ा हुआ था जिसे विभागीय अधिकारियों ने महासंघ की अधिकृत सूची स्वीकार कर मान्यता प्रदान की।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

इस महासंघ के साथ प्रतिरक्षा की विशेषतः सिविलियन डिफेंस एम्पलाईज की 126 यूनियनें जुड़ी हुईं जिनकी सदस्यता 1.5 लाख है।

प्रतिरक्षा के कई प्रतिष्ठानों की वर्क्स कमेटियों में एवं सहकारी समितियों में, भामसं. के कार्यकर्ता बहुसंख्या में चुने गये।

इस महासंघ से संबद्ध कई कार्यकर्ता, श्रम संघठनों का कार्य करने के कारण प्रशासन का शिकार बन गये जिन्हें या तो निलंबित किया गया या उन पर अन्य कार्यवाही की गई। खमरिया के आयुध कारखाने से एक कार्यकर्ता को इसी आधार पर निलंबित कर दिया गया है। वैज्ञाग में एक कार्यकर्ता निलंबित (सस्पेंड) हुआ है। कई अन्य कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। और अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के, मांगों के समर्थन में किए गये कई आन्दोलनों में, इस महासंघ ने भी सक्रिय सहयोग किया। खड़की के आयुध कारखानों के हमारे श्रमसंघ ने वहां की कुछ मांगों के समर्थन में हड़ताल की घोषणा की थी, पर व्यवस्थापकों ने हमारे श्रमसंघ से समझौता किया और बातें मान लीं।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ

महासंघ का दसवां अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह 16, 17 अक्टूबर 1992 को, साथ साथ संपन्न हुए। 1245 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

इसकी वरीय परिषद की बैठकें दोबार हुई- जनवरी 92 लखनऊ एवं मार्च 1993 को नागपुर में।

युवा सदस्यों के भी दो सम्मेलन हुए - जुलाई 1992 में मानमाड में दूसरा जबलपुर में। इनमें क्रमशः 150 एवं 250 युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

महासंघ के 10 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं।

मुम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस में स्थित "सेंट्रल रेलवे एम्पलाईज को ऑप-सोसाइटी" के चुनावों में सभी 9 स्थान, इस महासंघ को मिले।

उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा "रेलवे श्रमिक वार्ता" नाम से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जा रही है।

विभिन्न प्रमंडलों में कुल आठ अभ्यास वर्ग आयोजित हुए जिनमें 650 कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

इस महासंघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से, 7 जून 1993 से, एक देश व्यापी आन्दोलन छेड़ दिया गया था जिसमें वेतन-पुनर्विचार हेतु द्विपक्षीय समिति का गठन, मूलवेतन में 50% मंहगाई भत्ता जोड़ देना, 500- रु० प्रतिमाह की अंतरिम राहत, बोनस की सीमा का निरस्तीकरण, आयकर की छूट की सीमा 50,000/

- रु० तक बढ़ाना, भरती पर लगा प्रतिबंध हटाना, एवं छंटनी रोकना, आदि प्रमुख मांगे थी। इसके अंतर्गत 20 जून तक द्वार - सभाएं एवं प्रदर्शन हुए तथा आगे 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन पर कर्मचारियों के हस्ताक्षर कराने का कार्य चला। फिर 23 जुलाई को परि संघ के प्रतिनिधियों ने 5 लाख कर्मचारियों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। पुनः 20 अगस्त को यही प्रतिनिधि मंडल मंत्रिमंडलीय; सचिव से मिला। परन्तु सरकार एवं जे० सी० एम० से पुनः एक हड़ताल की घोषणा की गई। 18 सितम्बर को हुई जे० सी० एम० की एक बैठक में अन्य महासंघों ने सरकार से एक समझौता कर लिया जो कर्मचारियों की आशा-अपेक्षा से काफी दूर था।

इस निराशाजनक समझौते से कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए परिसंघ ने 4 से 11 अक्टूबर तक चेतना सप्ताह का आयोजन किया और 12 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जिसमें जे० सी० एम० का पुतला जलाया गया। जे० सी० एम० ने अपना स्पष्टीकरण देने हेतु सभाएं आयोजित की पर कर्मचारियों ने उनका बहिष्कार किया।

दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों के भवनों में, परिसंघ से संबद्ध "केन्द्रीय कर्मचारी संघ" का कार्य तेज गति से चल रहा है।

के० क० संघ ने 23 अक्टूबर 1993 को एक अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जिसमें 72 कार्यकर्ता थे।

राज्य कर्मचारियों का एक महासंघ पंजाब, उ० प्र०, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र एवं त्रिपुरा में सक्रिय है।

नैशनल आर्गनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स

एन.ओ.बी.ओ. का अधिवेशन 24 नवम्बर 1991 में भोपाल में आयोजित किया गया।

इसी दौरान 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग भी सम्पन्न हुआ।

नोबो ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी में शामिल हुआ। यह कमेटी कुछ फैडरेशनों को मिलाकर बनाई गई थी ताकि वह बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों पर, उदाहरणार्थ पेन्शन पर, दबाव डाल सके। हमारे प्रतिनिधियों ने सभी प्रकार के आन्दोलनों में भाग लिया।

अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ

यह एक कृषि एवं ग्रामीण मजदूरों का महासंघ है। 14 राज्यों में इसके कार्य

का व्याप है। वर्ष 1991 को असंगठित वर्ष के रूप में मनाया गया। पूरे देश में कार्यक्रम किए गये, इस दौरान ग्रामीण मजदूरों को संगठित कर उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। इसी तारतम्य में शहरी क्षेत्र के असंगठित मजदूरों पर भी ध्यान दिया गया। महाराष्ट्र में दिसम्बर 1991 को एक विशाल मोर्चा असंगठित मजदूरों का आयोजित किया गया जिसमें 30 हजार ग्रामीण मजदूरों ने भाग लिया। यह एक सबसे बड़ा मोर्चा था। इस कार्यक्रम से कार्य को गति मिली।

ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ वर्कर्स एजुकेशन की सहायता से जून 1993 में एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। कुछ ग्रामीण मजदूरों के कार्यक्रम आई.एल. ओ और नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा हैदराबाद में आयोजित किए गये। जिसमें हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आई.एल.ओ. ने कोलम्बो में एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें भारतीय मजदूर संघ के दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जम्मू काश्मीर में एक राज्य स्तर का अधिवेशन जोडियन में सम्पन्न हुआ। जिसमें 2000 ग्रामीण मजदूरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऐसे कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में आयोजित करने की योजना बनी है। दूसरा कार्यक्रम बनीपुर उड़ीसा में सम्पन्न हुआ।

इस औद्योगिक महासंघ द्वारा कई कार्यक्रम दिल्ली स्थिति आई.एल. ओ. कार्यालय के सहायोग से किए गये। 40 कार्यक्रम ग्रामीण मजदूरों के वर्ष 1995 में करने की बहुत योजना बनाई गई है। अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ के महामंत्री श्री एम. जी. डोंगरे ने "दि एगोनी एण्ड दि होप" शीर्षक से एक पुस्तक लिखकर कृषि मजदूरों के पुराने से आज तक के विकास सामाजिक स्थिति और जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 1993 को पुणे में हुआ।

भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ

मार्च 1992 में इस महासंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन भिवानी हरियाणा में सम्पन्न हुआ।

इस महासंघ का तमिलनाडू और कर्नाटक ऐसे नये प्रदेश में कार्य संतोषजनक है। पहले में हम बोनस समझौते के समय शामिल हुए जब कि दूसरे में हमारी यूनियन को मान्यता मिली और अकेले समझौता किया। केरल की 6 मिलों में हमारी यूनियन बहुमत में हैं। और सदस्यता 18 से 20 मिलों में है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, और हरियाणा में हमारी यूनियनों की सदस्यता अन्य यूनियनों की तुलना में अधिक है।

हमारे महासंघ को 2 राज्य समितियों में तथा एक केन्द्र समिति में प्रतिनिधित्व

प्राप्त है।

राजस्थान में 12 से 31% बोनस आन्दोलन के माध्यम से प्राप्त किया। तमिलनाडू और कर्नाटक में भी आन्दोलन हुए।

एक मात्र हमारे महासंघ ने कपड़ा मंत्री को इंटेग्रेटेड टैक्सटाइल पालिसी बना कर दी है हमारे प्रयास की सराहना हुई।

महासंघ ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 93 तक कपड़ा उद्योग का आह्वान किया। हजारों टैक्सटाइल मजदूरों ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पोस्टकार्ड भेजे। जब सरकार ने एन.टी.सी. की 42 मिलों को बन्द करने का निश्चय किया और 79000 मजदूरों को निकाल बाहर करने की योजना बनायी तो इंडिस्ट्रियल टैक्सटाइल समिति के सभी महासंघों के सदस्यों ने विरोध किया। अन्त में सरकार मजदूरों से विचार विमर्श करके अपव्ययी खर्च में प्रभावी कटौती कर और कमजोर मिलों को अच्छी मिलों में सम्मिलित कर लगभग सभी मिलों को पुनरुज्जीवन देने के लिए सहमत हुई। इससे 18 मिलें प्रभावित होंगी तथा 70,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सभी महासंघों ने संयुक्त कार्यवाही करने का तय किया है ताकि वह इस नये प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकें।

भारतीय पोस्टल इम्प्लाइज फैडरेशन

बी.पी.ई.एफ. की चौथी फेडरल काउंसिल मीटिंग में 21 से 23 मई 1993 को सम्पन्न हुई। पूरे देश में 7 से 10 दिसम्बर 1993 को ऐतिहासिक पूर्ण बन्द हड़ताल हुई। 3 लाख इक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल कर्मचारियों सहित लगभग पूरे 6 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। हड़ताल के पहले सरकार ने पोस्टल कर्मचारियों की मांगों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। जिस कारण से हड़ताल अनिवार्य हो गई। सम्पूर्ण पोस्टल सेवाएँ ठप हो गई और सरकार को झुकने के लिए बाध्य कर दिया। सभी तीनों फैडरेशनों ने संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान किया था। चौथे दिन सरकार ने कुछ मांगे स्वीकार करते हुए समझौता किया। आम मजदूरों में ऐसी धारणा है कि बी.पी.ई.एफ. की भूमिका सराहनीय रही। सम्पूर्ण हड़ताल शांतिपूर्ण एवं अनुशासन पूर्ण रही। बी.पी.ई. एफ. इस हड़ताल में गौरवान्वित हुआ तथा उसकी सदस्यता बढ़ रही है।

कुछ और कार्यक्रम इस अवधि में सम्पन्न हुए हैं। दिल्ली में 11 मार्च से 28 जून 91 तक ई.डी. पोस्टमैन तथा ग्रुप डी कर्मचारियों का एक संयुक्त धरना हुआ। सरकार ई.डी. कर्मचारियों के लिए एक विभागीय समिति बनाने पर सहमत हो गई और इनका नाम ई.डी. कर्मचारी बदल कर ग्रामीण पोस्टल कर्मचारी करने पर राजी

हो गई। डाक भवन पर 9/4/91 को ई.डी. महिला कर्मचारियों की एक रैली आयोजित की गई।

जून 1992 में महिला सदस्यों ने ई.डी. कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र दिया। 24/9/92 को एक रैली आयोजित कर उप संचार मंत्री को स्मरण पत्र दिया गया।

ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी द्वारा अनेक कार्यक्रम सम्पन्न किए गये। इन कार्यक्रमों में बी.पी.ई.एफ. ने मुख्य रूप से भाग लिया। 1/11/91 को प्रधानमंत्री के निवास की ओर कूच करना भी था।

राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ

इस महासंघ के गठन से राज्यकर्मचारियों की दीर्घकालीन मनीषा पूरी हुयी। प्रारंभ का सम्मेलन, 19 नवम्बर 1991 को जबलपुर में हुआ आज इससे संबद्ध यूनियने, मध्य प्रदेश, प.बंगाल, महाराष्ट्र, उ०प्र०, बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा में कार्यरत है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी संघ मान्यता प्राप्त है।

परिसंघ के आह्वान पर महासंघ के सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों के मांग हेतु दिल्ली के धरना कार्यक्रम में भाग लिया।

अ.भा. सिमेंट मजदूर संघ

कुल 150 कारखानों में 50 यूनियनें हैं। जिसकी सदस्य संख्या 52 हजार है। कई कारखाने बीमार पड़ने पर केन्द्र श्रममंत्री के माध्यम से तुरंत कारवाई कारवाने में महासंघ सफल रहे। परिस्थिती कुछ सुधर गई है।

कुप्रबन्ध के कारण बिहार और यू.पी. के कारखानों के स्वास्थ्य में गिरावट है। 1992 में मालिको ने इंटक के फेडरेशन के साथ भामसं. फेडरेशन को भी समझौता वार्ता में बुलाया। अत्यंत अल्प समय में सफलता प्राप्त हुयी। इसके फल स्वरूप निम्न स्तर के मजदूर को भी रु० 500 वेतन वृद्धि प्राप्त हुयी।

गुजरात के सिक्रा में दिग्विजय ग्राम में, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उत्पादकता विषय पर दो दिन का वर्ग हुआ। छः राज्यों से 45 काग्रकर्ताओं ने उसमें भाग लिया।

विदर्भ के गढ़ चुंदर में छठा अधिवेशन संपन्न हुआ। 135 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय पोर्ट-डाक मजदूर संघ

दस हजार सदस्यता युक्त आठ यूनियने कार्यरत हैं। हल्दिया-कलकता पोर्ट डाक श्रमिक यूनियन सबसे बड़ा है।

महासंघ को मान्यता नहीं है। उसे प्राप्त करने कानूनी प्रयास चल रहे हैं।

संगठनात्मक प्रगति के लिये पदाधिकारियों के प्रवास 1993 अक्टूबर के कार्य समिति बैठक में तय किये गये हैं।

भारतीय इंजिनियरिंग मेटल मजदूर संघ

अधिवेशन 7-8 जून, 1992 को बोकारो में हुआ। 200 प्रतिनिधि थे।

केन्द्र सरकार की त्रिपक्षीय समिति में प्रतिनिधित्व मिला है।

2, 34, 406 सदस्य युक्त 338 यूनियनें संबद्ध हैं। राज्य स्तर समितियाँ उ०प्र०, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में सक्रिय हैं।

इंजिनियरिंग उद्योग के लिये केन्द्र स्तर पर वेतन आयोग के गठन की माँग रखी गई है।

आन्दोलन, समझौते के जरिये कई सफलताये प्राप्त हुयी हैं- जैसे जमशेद पुर के उषा उद्योग में रु० 250-450 वेतन बढ़ोतरी, परीख इंजिनियरिंग व उत्कल आटे में ठेकेदारी प्रथा रद्द कराना, रांची के श्री राम बेरिंग में, पटना के मोदी स्टील, गुजरात के जगत इंजिनियरिंग में वेतन वृद्धि। कर्नाटक के मैसूर किलोस्कर में यूनियन मान्यता प्राप्त है।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्शूरेन्स वर्कर्स

अधिवेशन 1992 नवंबर में वाराणासी में संपन्न हुआ। 600 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवधि में संगठनात्मक प्रगती काफी हुयी है।

जीवन बीमा निगम के नवगठित दस विभागों में भी महासंघ की इकाइयाँ गठित हुयी। गुजरात के बड़ौदा विभाग की वामपंथीय ए.आय्. आय. ई. ए. की इकाई इस फेडरेशन में अपने 1100 सदस्यों के साथ आ मिली। अहमदाबाद, जबलपुर, गोरखपुर, इन्दौर में भी सदस्यता में वृद्धि हुयी।

समूचे आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत भामसं. के यूनियनों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एक तालमेल समिती की रचना 1991 में की गई है। इसके तत्वावधान में समान कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें इस महा संघ ने सक्रिय भाग लिया। इस में पेंशन

योजना, विदेशी वित्तिय संस्थाओं के प्रवेश का विरोध, निजीकरण का विरोध शामिल है।

इस क्षेत्र के अन्य फेडरेशनों के साथ जो संयुक्त क्रिया समिति का गठन हुआ उसमें भी यह महासंघ भागी है।

बीमा उद्योग के बारे में मल्होत्रा समिति के सिफारिशों के विरोध में कई कदम उठाये - 12 जनवरी का दो घंटे का बहिर्गमन हड़ताल इसमें बीमा उद्योग के सभी यूनियनों ने भाग लिया। इस विषय पर काफी साहित्य भी महासंघ ने प्रकाशित किया है। संसद में बीमा निगमों के निजी करण का बिल जिस दिन प्रस्तुत होगा उसदिन हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया गया है।

पुणे और मैसूर में अभ्यास वर्ग हुये है।

'एन ओ आई डब्ल्यू न्यूस बुलेटिन' हर महिना मुंबई से प्रकाशित हो रहा है।

भाग तीन

संलग्निकाएं

भारतीय श्रम सम्मेलन के ३०वें अधिवेशन में भा. म. संघ के प्रतिनिधि

प्रतिनिधि

सर्वश्री

1. राजकृष्ण भक्त
2. ओम प्रकाश अधि
3. आर. वेणुगोपाल
4. मुकुन्द गोरे
5. बैज नाथ राय

सलाहकार

1. सुखनन्दन सिंह
2. राजकुमार गुप्ता
3. हसुभाई दवे
4. ऋषभ चंद जैन
5. के. लक्ष्मारेड्डी

फरवरी 1991 से 1 मार्च 1994 के बीच कार्यसमिति की बैठकें

क्र०	दिनांक	स्थान
1.	23 फरवरी 1991	बड़ौदा (गुजरात)
2.	26-28 अगस्त 1991	कोटा (राजस्थान)
3.	25 फरवरी 1992	नागपुर (विदर्भ)
4.	13, 14, 15, अगस्त 1992	कटक (उड़ीसा)
5.	26-27 फरवरी 1993	नई दिल्ली
6.	6-7 सितम्बर 1993	गाजियाबाद (उ०प्र०)
7.	9, 10, 11 जनवरी 1994	उज्जैन (म०प्र०)

केन्द्रीय कार्यालय में अतिथि

क्र.	अतिथि का नाम	देश-प्रदेश	भेंट का उद्देश्य	तिथि
1.	श्री ब्लादीमीर वी. मोरिय, दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के प्रथम सचिव	रूस	औपचारिक	14.2.91
2.	श्री हर्मनविके (प० जर्मनी)	बर्लिन	औपचारिक	2.3.91
3.	श्री गोपेश्वर इंटक के महामंत्री	भारत	औपचारिक	6.4.91
4.	श्री एन. एम. अद्यंताया इंटक (कर्नाटक) के अध्यक्ष	भारत	औपचारिक	22.6.91
5.	श्री जेम्स एहरमन, अमरीकी दूतावास में श्रम-प्रकोष्ठ के प्रमुख	अमेरिका	वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा	25.7.91
6.	श्री श्री निवासन, श्रम-सलाहकार, अमरीकी दूतावास	भारत	औपचारिक	28.7.91
7.	श्री संजीव रेड्डी इंटक के उपाध्यक्ष	भारत	औपचारिक	28.7.91
8.	श्री धनंजय कुमार सांसद श्री मल्लिकार्जुनय्या सांसद	कर्नाटक	औपचारिक	31.7.91
9.	श्री कामेश्वर पासवान सांसद बिहार		भोजन पर आए	2.8.91
10.	श्री इलियास मॅबेरे, निर्देशक-आयएलओ दिल्ली	तॉंझानिया (अफ्रीका)	नवनियुक्तिपर परिचयात्मक भेंट	13.9.91 13.9.91

	श्री सुनील गुहा सेवानिवृत्त निर्देशक आय. एल. ओ.	भारत	बिदाईपूर्वभेंट	13.9.91
13.	श्री स्वेनएरिक स्टर्नर आए.एल. ओ. के एशियाई श्रमिक कार्यों के क्षेत्रीय सलाहकार	स्वीडन	कार्य सम्बन्धी भेंट	8.10.91
14.	श्री ख्रिस्तोफर जॅफरलॉर	फ्रांस	शोध कार्य	7.10.91
15.	श्री जेम्स एहरमन दिल्ली दूतावास में श्रम-प्रकोष्ठ प्रमुख	अमेरिका	वर्तमान स्थिति की	17.1.92
16.	श्री मॅन सू यिनहॉन दिल्ली दूतावास में प्रथम सचिव	चीन	अन्य चीनी अतिथियों के लिए भेंट की तारीख तय करने।	7.2.92
17.	चीन के चीनी श्रमसंघ के केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डल 5 सदस्य	चीन	औपचारिक भेंट	20.2.92
18.	श्री सोएन एरिक ऑर्नर एशिया-पॉसिफिक के आएएलओ के श्रमिक कोष्ठ के क्षेत्रीय निदेशक	स्वीडन	संबंधित कार्य की चर्चा हेतु	12.3.92
19.	श्री व्ही एम.खान मुम्बई (जार्जग्रुप)	भारत	मित्रता हेतु	17.3.92
20.	श्री मधुमंगल शर्मा भजपा	इम्फाल (मणिपुर)	भामसं कार्य मणिपुर में प्ररम्भ करने की इच्छा से बातचीत हेतु	17.3.92

21.	श्री जॉन एचेव्हरने गेट वर्जिनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर	वर्जिनिया	शोधकार्य	30.7.92
22.	श्री आचार्य पाठक एवं कर्ण	नेपाल	औपचारिक परिचय हेतु	28.7.92
23.	श्री हरिहरन, आयएलओ आफिस दिल्ली-एवं बैंकॉक स्थित आएएलओ के अधिकारी	भारत एवं जापान	श्रम शिक्षा एवं पर्यावरण पर बातचीत	21.11.92
24.	ख्रिस्तोफर कॉडलंड कोलम्बिया विश्व विद्यालय के छात्र	अमेरिका	शोधकार्य हेतु	15.11.92
25.	श्री अरुण कुमार दौर, दिल्ली	भारत	शोध कार्य	15.11.92

विदेशों में हुए कार्यक्रमों में भामसं. का प्रतिनिधित्व

क्र०	तिथि	कार्यक्रम	स्थान	भामसं. प्रतिनिधि
1.	26-29 मार्च 1991	आएएलओ-एशियाई पॉसिफिक गोष्ठी, विषय-स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टॉपिक्स	फुकेट (थाईलैण्ड)	श्री आर.वेणुगोपाल दिल्ली
2.	17-25 अप्रैल 1991	वन एवं काष्ठ उद्योग एवं वाणिज्य संबंधी आएएलओ. द्वारा आयोजित द्वितीय अधिवेशन	जिनेवा	श्री गुरुचरण सिंह गिल अधिवक्ता, भरतपुर (राजस्थान)
3.	6-14 मई 1991	ग्रामीण श्रमिक संस्थाओं के लिए आयएलओ एशियाई पॉसिफिक क्षेत्रीय गोष्ठी	कालालंपुर (मलेशिया)	श्री कल्लू प्रसाद साहेसराय (बिहार)
4.	5-26 जून 1991	आयएलओ का 78वां अधिवेशन	जिनेवा	श्री रासबिहारी मैत्र कलकत्ता
5.	10-28 जून 1991	विश्व पर्यावरण केन्द्र, न्यूयार्क द्वारा आयोजित, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाओं का अभ्यास वर्ग	न्यूयार्क (अमेरिका)	श्री एस.बी. सिंह रायबरेली

6.	26 अगस्त से 1 सितम्बर 1991	चीन के श्रम संगठन ए.सी.एफ. टी.यू. द्वारा आयोजित श्रम संघ, विकास तथा श्रम-नियोजन संबंधी एशियाई गोष्ठी	बीजिंग (चीन)	श्री ए.एन. डोगरा नई दिल्ली
7.	3 फरवरी से 20 मार्च 1992	श्रमसंघों की व्यवस्था की शिक्षा पद्धति का "श्रमिक शिक्षा के माध्यम से अभ्यास क्रम एवं विकास	टयूरिन (इटली)	श्री के० लक्ष्मा रेड्डी हैदराबाद (आन्ध्र)
8.	26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1991 तक	आयएलओ का एशियाई क्षेत्रिय अधिवेशन	बैकॉक (थाईलैण्ड)	श्री आर.वेणुगोपाल दिल्ली
9.	5-12 दिसम्बर 1991	आएलओ की चकड़ा एवं जूता उद्योग की चतुर्थ त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक	जिनेवा जयपुर	श्री व्रषभचन्द्र जैन
10.	2 से 21 जून 1992	आयएलओ अधिवेशन	जिनेवा	श्री आर. वेणुगोपाल श्री रासबिहारी मैत्र
11.	25-28 अगस्त 1992	श्रमसंघों के कार्यकर्ता-मंच पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी	सिंगापुर	श्री उदयपटवर्धन पुणे
12.	2-10 दिसम्बर 1992	आयएलओ की आवास यांत्रिकी एवं जनकार्य समिति का 92वां अधिवेशन	जिनेवा	श्री सी.एल.कपूर शिमला

- | | | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------------|--|
| 13. | 1-5 अक्टूबर
1992 | औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन से इंग्लैण्ड
और हंगरी में छंटनी हुए श्रमिकों की
शिक्षा एवं पुनर्वास कार्य का अध्ययन
करने हेतु भारत का त्रिपक्षीय
प्रतिनिधि मण्डल | इंग्लैण्ड
एवं हंगरी | श्री प्रभाकर घाटे
दिल्ली |
| 14. | 22-23 फरवरी
1993 | नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का
वार्षिक अधिवेशन | काठमांडू
(नेपाल) | श्री रामदौर सिंह
कानुपुर |
| 15. | 30 मार्च से
2 अप्रैल 1993 | “श्रमिकों-व्यवस्थापकों के बीच
स्वस्थ संबंध एवं आपसी सामंजस्य
का प्रयास इस विषय श्रमसंघों
की गोष्ठी | बैंकॉक
(थाईलैण्ड) | श्री वामनराव
खेडकर, नागपुर |
| 16. | 23-26 मार्च
1993 | कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं के
लिए समान व्यवहार-नियमों संबंधी
आयएलओ श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम
पर दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय
कार्यशाला | काठमांडू
(नेपाल) | श्रीमति गीतावेन
ठाकुर, अहमदाबाद
श्री सरोज मित्र
कटक |
| 17. | 12 से 17 अप्रैल
1993 | एशिया में आर्थिक विकास
एवं श्रम संघ | बीजिंग
(चीन) | श्री हसुभाई दवे
गुजरात |

18.	19-20 अगस्त 1993	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य परिषद (एशिया-पॉसिफिक क्षेत्र हेतु)	सिंगापुर	श्री आर.वेणुगोपाल
19.	11-18 सितम्बर 1993	कृषि-मजदूरों पर, आयएलओ के चर्चा-सत्र 110 एवं 141 का, परिणाम	कोलम्बो (श्रीलंका)	श्री रासबिहारी मैत्र, कलकता एवं श्री एन.एम.सुकुमारन्, मद्रास
20.	10 से 14 जनवरी 1994	एशियाई पॉसिफिक क्षेत्र के कुछ खास देशों के लिए औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निगरानी के शिक्षकों का अभ्यास वर्ग	बैंकॉक (थाईलैण्ड)	श्री हरिभाई हिरानी अहमदाबाद

श्रमिकों के अभ्यास वर्ग एवं शिक्षा- सत्र

क्र०	तिथि	विषय	आयोजक	भामसं. प्रतिनिधि
1.	16, 21 अप्रैल 1991	श्रमसंगठनों के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	रा०श्र०संस्थान, नोएडा	विदर्भ-म०प्र० महाराष्ट्र, गुजरात के 1-1 प्रतिनिधि
2.	9-14 सितम्बर 1991 एवं 11 से 21 मार्च 1992	ग्रामीण कार्यकर्ताओं का द्वि-सत्रीय कार्यक्रम	रा.श्र.संस्थान नोएडा	उ०प्र, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, केरल के 1-1 प्रतिनिधि
3.	7-12 अक्टूबर 1991	श्रमसंघों के ग्रामीण नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा	हरियाणा, म०प्र० उ० प्र० से कुल 4 लोग
4.	5 से 9 अगस्त 1991	श्रमसंघों के विकास में कार्यरत महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी महिलाओं के लिए प्रारंभिक कार्यशाला	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई	महाराष्ट्र एवं गुजरात से कुल 4 महिलाएं
5.	19 से 23 अगस्त 1991	केन्द्रीय श्रम संगठनों से जुड़े रसायन उद्योग से जुड़े	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई	केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एवं हरियाणा से 1-1

	कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	कार्यकर्ता
6. 7 से 10 अक्टूबर 1991	केन्द्रीय श्रम संगठनों से जुड़े बीड़ी उद्योग महासंघों के कार्यकर्ताओं के लिए श्रम संघ-विकास का अभ्यासवर्ग	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई
7. 21 से 25 अक्टूबर 1991	केन्द्रीय श्रम संगठनों से जुड़े ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक-शिक्षा कार्यक्रम	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान मुम्बई
8. 30/12/91 से 4/1/92 तक	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	क्षेत्रीय श्रम संस्थान कलकत्ता
9. 10 से 15 फरवरी 1992	मात्र महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा
10. 9 से 13 मार्च 1992	उत्पादकता-शिक्षा पर प्रगण शिक्षा कार्यक्रम	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई
		महाराष्ट्र से (1) कार्यकर्ता म०प्र०, राजस्थान गुजरात से 1-1 कार्यकर्ता आसाम, ओरिसा, बंगाल, से कुल 4 कार्यकर्ता कोई नहीं कर्नाटक, गुजरात आंध्र से 1-1 कार्यकर्ता

विभिन्न गोष्ठियों में भामसं. के प्रतिनिधि

क्र० तिथि	आयोजन	विषय	भामसं. प्रतिनिधि
1. 3/9/91	क्षेत्रीय श्रम संस्थान मद्रास	दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों एवं नियंत्रण तथा श्रमसंघों का योगदान	श्री एन.मूर्ति, मैसूर
2. 10/4/91	क्षेत्रीय श्रम संस्थान कलकत्ता	दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों एवं नियंत्रण तथा श्रमसंघों का योगदान	श्री एस.बी.सिंह रायबरेली, श्री आर.के. त्रिपाठी, शहडोल
3. 18 से 20 अप्रैल 1991	राष्ट्रीय श्रम कानून संघ	श्रम कानूनों के योग्य रूप सरलीकरण एवं उपयोगिता पर कार्यशाला	श्री एस.एम.धारप, मुम्बई
4. 1 से 3 मई 1991	इन्स्टिट्यूट फॉर इंडियन लेबर एवं इंडियन फैडरेशन ऑफ माइनर्स युनियन कल्चेर (ओरिसा)	66वीं गोष्ठी कोयला उद्योग की समस्याएं	श्री सरोज मित्र कटक

5. 2-3 जुलाई 1991	नैशनल कॅचेक कमेटी	भवन-निर्माण के श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन	श्री राजकृष्ण भक्त दिल्ली
6. 4, 5, 6 जुलाई 1991	नेशनल कॅचेक कमेटी	भवन-निर्माण के श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने एवं कम खर्चों का तकनीक विकसित करने में श्रम संघों का सहयोग।	श्री राजकृष्ण भक्त श्री आर. वेणुगोपाल नई दिल्ली
7. 9, 10 अगस्त 1991	अ.भा नियोजक संस्था	16वीं औद्योगिक सम्बंधी सम्मेलन	श्री राजकृष्ण भक्त नई दिल्ली
8. 28, 29, 30 अगस्त 1991	एशियाई पॉसिफिक क्षेत्रीय कोष्ठ	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण।	श्री रामभाऊ जोशी इन्दौर
9. 9 से 13 दिसम्बर 1991	आएएलओ प्रकल्प	औषधियों में मादक द्रव्यों के प्रयोग।	श्री रामप्रकाश मिश्र नई दिल्ली
10. 10-11 सितम्बर 1991	चेम्बर ऑफ कामर्स का महासंघ	आर्थिक परिवर्तन श्रम नियोजन एवं औद्योगिक सम्बन्ध।	श्री प्यारे लाल बेरी नई दिल्ली
11. 23-25 सितम्बर 1991	गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद	भारत में रोजगार के अधिकार की ओर	श्री दीपकभाईपंडया अहमदाबाद
12. 28 सितम्बर से अक्टूबर 1991	इंस्टिट्यूट फॉर इंडिया लेबर, कलकत्ता	68वीं गोष्ठी	श्री रासबिहारी मैत्र कलकत्ता

- | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 13. 16-18 नवम्बर
1991 | प्रकल्प, डिजाइन एवं
मूल्यांकन-संस्था | प्रकल्प, डिजाइन
एवं मूल्यांकन | श्री जी० प्रभाकर
नई दिल्ली |
| 14. 28 अक्टूबर से
2 नवम्बर 1991 | आयएलओ
(माध्यम-श्रम मंत्रालय) | निर्माण उद्योग में सुरक्षा
स्वास्थ्य एवं कल्याण पर
शैक्षिक कार्यशाला | श्री राजकृष्ण भक्त
दिल्ली |
| 15. 23 से 28 अक्टूबर
1991 | आयएलओ, दिल्ली | प्लेटेशन के श्रमिकों का
सामाजिक, आर्थिक
विकास | आध्रं, कर्नाटक,
तमिलनाडू, से
1-1 प्रतिनिधि |
| 16. 2-4 दिसम्बर
1991 | आयएलओ, दिल्ली | "सन् 2001 में श्रमनियोजन
सेवा पर कार्यशाला | श्री एस.डी. कुलकर्णी
मुम्बई |
| 17. 11-12 दिसम्बर | आयएलओ, दिल्ली | औद्योगिक ढांचे में
परिवर्तन से उत्पन्न
सामाजिक आयामों पर
त्रिपक्षीय कार्यशाला | श्री राजकृष्ण भक्त
नई दिल्ली |
| 18. दिसम्बर 91 | गांधी श्रम संस्थान
अहमदाबाद | भारत में रोजगार का अधिकार | श्री हरिभाई हिरानी,
अहमदाबाद |
| 19. 28-30 नवम्बर
1991 | खनिकों एवं धातु
उद्योग के कर्मचारियों | श्रमिक शिक्षा
साहित्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला | श्री मुकुन्दरावगौरे
पुणे |

20.	11.12.91	की शिक्षा-संस्था कलकत्ता एन.व.सी.सी. के कर्मचारियों का संयुक्त मंच	सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की सामूहिक इच्छाशक्ति का महत्व	श्री कृष्णलाल पठेला, दिल्ली
21.	9-11 दिसम्बर 1991	राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा	श्रम नीति बनाने में श्रम प्रशसन द्वारा आर्थिक जानकारी का उपयोग	श्री मानसकुमार मुखर्जी, दिल्ली
22.	3-5 फरवरी 1992	आय.एल.ओ.	श्रम शिक्षा एवं पर्यावरण में श्रम संघों का महत्व	श्री हरिभाई हिराणी अहमदाबाद श्री सजिनारायण, त्रिवेन्द्रम, श्री के.एस. कटोच, हिमाचल श्री एम. पी. पटवर्धन मुम्बई श्री सुरेश शर्मा भोपाल
23.	11-12 दिसम्बर 1991	आय.एल.ओ.	औद्योगिक ढांचे के उत्पन्न सामाजिक आयामों पर त्रिपक्षीय कार्यशाला	श्री राजकृष्ण भक्त दिल्ली श्री मुकुन्दररावगोरे पुणे
24.	25-30 नवम्बर 1991	खान श्रमिकों एवं धातु उद्योग कर्मचारियों की शिक्षा-संस्था	श्रमिक-शिक्षा सामग्री पर कार्यशाला	
25.	7-8 दिसम्बर	गांधी श्रम संस्थान	श्रम संघों एवं ग्रामीण श्रमिकों	श्री विश्वभर वाघमारे, बुलढाना

1991	अहमदाबाद	के प्रति अन्य श्रमिकों का कर्तव्य	श्री कनक प्रकाश मोहमराय
26. 12-14 दिसम्बर	नैशनल लेबर ऑन असोसिएशन	भारत में सामाजिक सुरक्षा का कानून	श्री एस.एम. धारप, मुम्बई
27. 23-25 सिम्बर 1991	गांधी श्रम संस्थान अहमदाबाद	औद्योगिक ढांचे से उत्पन्न सामाजिक आयाम	श्री हरिभाई हिरानी अहमदाबाद
28. 28/1/92	श्रम कल्याण मंडल भोपाल	औद्योगिक सम्बन्ध	श्री आर.वेणुगोपाल
29. 9-13 दिसम्बर 1992	श्रम-कल्याण मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा की इंस्टीटयूट	कार्यस्थल पर मद्य एवं उससे उत्पन्न समस्याएं	श्री आर.वेणुगोपाल दिल्ली
30. 30/31 जनवरी 1992	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में वेतन, कार्य, कार्य में सुधार एवं उत्पादकता	श्री महिनारायण झा हरिद्वार श्री बी.एल.नरसिंहम् हैदराबाद
31. 3-6 फरवरी 1992	राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा	अंतर्राष्ट्रीय श्रम शोध छात्रों के लिए त्रिपक्षीय कार्यशाला	श्री प्यारेलाल बेरी नई दिल्ली

32. 21-22 अप्रैल 1992	“बाणी मद्रास	ढांचे के प्रति प्रतिक्रिया एवं एवं स्वप्रेरित कार्य।	श्री आर.वेणुगोपाल दिल्ली
33. 15.2.92	दिल्ली विश्वविद्यालय (कानून-विद्या)	श्रमसंबंधी एक परिचर्चा	श्री काशीकर, मुम्बई
34. 11.2.92	“बिजिनेस इंडिया”	बीमार उद्योग, छंटनी, नीति एवं पुनर्निर्याजन पर राष्ट्रीय परिचर्चा	श्री महिनारायण झा हरिद्वार
35. 6-8 मई 1992	भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी मंच कलकत्ता	भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति एवं श्रमसंघ	श्री रासबिहारी मैत्र कलकत्ता
36. 23.3.92	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	नई अर्थनीति एवं उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में उत्पादकता में श्रमसंघों का योगदान	श्री जी.प्रभाकर, दिल्ली श्री ओ०पी० अग्धी
37. 21-24 सितम्बर 1992	श्रम संबंधी व्यवस्थापन मंच	औद्योगिक संबंध तथा व्यवस्था, सहयोग एवं निजीकरण	श्री वामनराव खेडकर नागपुर
38. 21-24 सितम्बर	आयएलओ	श्रमिक शिक्षा साहित्य	श्री हरिभाई हिरानी अहमदाबाद
39. 17/20 अगस्त	आयएलओ	श्रमसंघों के लिए कार्यशाला।	श्री जी.प्रभाकर, दिल्ली

1992	आयएलओ	नई औद्योगिक नीति एवं ढांचे में परिवर्तन श्रम-व्यवस्था पर कार्यशाला	श्री शशिकांतदेवधर, मुम्बई श्री एच.एन.त्रिपाठी हैदराबाद श्री राजकृष्ण भक्त
40. 25-26 सितम्बर 1992	नैशनल लेबर लॉ एसोसिएशन		
41. 22-26 सितम्बर 1992	आयएलओ एवं भारत सरकार	मध्य एवं औषधी-समस्याएं श्री बी.के. जग्गी दिल्ली	श्री आर. वेणुगोपाल
42. 29. 9 से 1.10.92	आयएलओ	पर्यावरण सुरक्षा में श्रमसंघों का योगदान कार्यशाला	श्री हरिभाई हिराणी अहमदाबाद श्री सजिनारायण केरल श्री के. एस. कटोच, हिमाचल श्री एम.पी. पटवर्धन मुम्बई श्री सुरेश शर्मा, भोपाल श्री मानसकुमार मुखर्जी दिल्ली
43. 25-26 सितम्बर	नैशनल लेबर लॉ एसोसिएशन	श्रम-प्रशासन	श्री जी. प्रभाकर दिल्ली
44. 11/12 दिसम्बर 1992	नैशनल लेबर लॉ एसोसिएशन	व्यवस्था में श्रमिकों का सहभाग कार्यशाला	श्री पी.डी.बझे, पुणे
45. 2/4 जनवरी 1993	जे.एन.यू. का विज्ञान विभाग	34वां श्रम अर्थनीति सम्मेलन	

46.	27-29 जनवरी 1993	आयएलओ	श्रम-नियोजन, समान व्यवहार एवं आर्थिक सुधारों का एवं प्रशासन कार्यशाला	श्रीमति गीता गोखले मुम्बई
47.	27/29 जनवरी 1993	कृषि-अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद	ग्रामीण श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक कार्यों की व्यवस्था महिलाओं पर प्रभाव-कार्यशाला	श्री विश्वभर वाघमारे श्री दिनेशचन्द्र री वास्तव
48.	13.1.93	सोशल सिक्युरिटी असोसिएशन	वार्षिक अधिवेशन	श्री राजकृष्ण भक्त, दिल्ली
49.	1/2 फरवरी 1993	एशियाई नियोजन कार्यक्रम (आर्टेप)	मायग्रेसन संबंधी जानकारी	श्री रामलुभाया बावा लुधियाना
50.	12/15 सितम्बर 1993	खनिकों एवं धातु उद्योग के कर्मचारियों की शिक्षा-संस्था	आयएलओ एवं भारतीय श्रमिक	श्री रासबिहारी मैत्र कलकता
51.	28.2.93	इंस्टिट्यूट फॉर इंडियन लेबर	74वीं गोष्ठी	श्री सरोजकुमार मित्र कटक श्री आर.एन.श्रीवास्तव
52.	27.28 मार्च 1992	नेशनल लेबर लॉ असोसिएशन	राजनैतिक दल एवं श्रम-संघ नई अर्थनीति एवं श्रमिक कार्यशाला	श्री अमरनाथ डोगरा दिल्ली
53.	25-26 सितम्बर 1992	नेशनल लेबर लॉ असोसिएशन	श्रम प्रशासन, कार्यशाला	श्री राजकृष्ण भक्त दिल्ली

54.	11/12 दिसम्बर 1992	नेशनल लेबर लॉ असोएशियन	व्यवस्था में श्रमिकों का सहभाग एवं आवासव्यवस्था	श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
55.	22/23 मई 93	नेशनल लेबर लॉ एसो०	बहुराष्ट्रीय कं० एवं श्रमनीति	श्री मांगेला रस्तोगी दिल्ली
56.	10-11 सितम्बर 1993	कौंसिल ऑफ इंडिया एम्प्लायर्स	17वां औद्योगिक संबंध सम्मेलन	श्री राजकृष्ण भक्त, दिल्ली
57.	19/20 अगस्त 1993	अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट	मानव संसाधन में बदल एवं भारत में औद्योगिक संबद्ध सम्मेलन	श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
58.	25/11/93	इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अकेडमी	आर्थिक परिप्रेक्ष्य में औद्यो० सम्बन्ध	श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
59.	6/12/93	कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री	शोध विभाग एवं श्रमिक नेताओं की गोष्ठी	श्री अमरनाथ डोगरा
60.	6/1/94	इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट अकेडेमी	औद्योगिक संबंधों पर गोष्ठी	श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
61.	4/2/94	श्रम मंत्रालय	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	श्री अकोलकर, बड़ौदा
62.	11/13 जनवरी 1994	श्री राम सेन्टर दिल्ली	विकासशील रचनात्मक कार्य-संस्कृति	श्री राजकृष्ण भक्त

श्रम मंत्रालय की पुनर्गठित केन्द्रीय समितियाँ एवं परिषदें

क्र०	समिति/परिषद का नाम	भमसं.
1.	सुरक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति	श्री रामभाऊ जोशी, एस. बी. सिंह
2.	लोह अस्क, मँगनीज अस्क एवं क्रेमियम अस्क की खानों के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की केन्द्रीय सलाहकार समिति एवं राज्य सलाहकार समिति	श्रीमति मायाबी दीप उरवां (बालाघाट)
३.	चूना एवं डोलोमाइट खानों के श्रमिकों हेतु श्रमिक कल्याण कोष की केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्रीमति हीरा दयाल कोरबा
4.	बीड़ी उद्योग के श्रमिकों हेतु कल्याण-कोष की केन्द्रीय सलाहकार समिति	श्रीमति विजयाकाङ्गी पुणे
5.	ठेकेदारी में रत श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद	श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह जम्मू
6.	परिवार कल्याण योजना की त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति	श्री राजकुमार गुप्ता दिल्ली
7.	अभ्रक-खानों के लिए श्रमिक कल्याण कोष की केन्द्रीय सलाहकार परिषद	श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा पटना

- | | | |
|-----|---|---|
| 8. | समान वेतन कानून- 1976 के अन्तर्गत
केन्द्रीय सलाहकार समिति | श्रीमति सुनिता पडोले
नागपुर |
| 9. | योजना आयोग की भारतीय मानव संसाधन
एवं शोध संस्थान की साधारण सभा | श्री राजकृष्ण भक्त
दिल्ली |
| 10. | कोयला उद्योग के वेतन संबंधी चर्चा के लिए
संयुक्त द्विपक्षीय केन्द्रीय समिति (जे.बी.सी.सी.) | डा० वसंतकुमार राय, घोडाडोंगरी
श्री एम.एस. रावल, नागपुर
श्री कुमार अर्जुन सिंह धनबाद
श्री एस.एन. देशपाण्डे, पुणे
श्री अख्तर हुसैन, बुलंदशहार
श्री बनारसीदास, ज्योतिपुरम्
श्री प्रहलादअवाना, जयपुर
श्री महिनारायण झा, हरिद्वार |
| 11. | विद्युत निर्माण एवं वितरण उद्योग की
औद्योगिक समिति | |
| 12. | राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम की संयुक्त
त्रिपक्षीय केन्द्रीय समिति | |
| 13. | विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय
सुरक्षा पुरस्कार समिति | श्री रामलुभाया बावा |
| 14. | वस्त्रोद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति | श्री वी.ए.साटम् |
| 15. | ज्यूट उद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति | श्री बैजनाथ राय, कलकत्ता
श्री रास बिहारी मैत्र |

16. इंजीनियरिंग उद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति
17. रसायन उद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति
18. परिवहन उद्योग की औद्योगिक समिति
19. व्यवस्था में कर्मचारियों का सहभाग-विषयक त्रिपक्षीय समिति
20. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की वरीय समिति (गवर्निंग कौंसिल)
21. न्यूनतम वेतन कानून - 1948 की धारा - 7 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद
22. वोकेशनल ट्रेनिंग की राष्ट्रीय समिति
23. न्यूनतम वेतन कानून की धारा -8 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद
24. कोयला उद्योग (सी.एम.पी.डी.) की ट्रस्टियों की परिषद
25. सेवानिवृत्त लाभ- योजना की समिति

- श्री रामदेव प्रसाद, पटना
 श्री लक्ष्मीनारायण, अलीगढ़
 श्री बी.एल. नरसिंहम, हैदराबाद
 श्री राजुलू
 श्री वामनराव, खेडकर, नागपुर
 श्री ऋषिराज शर्मा, जयपुर
 श्री महिनाराण झा, हरिद्वार
 श्री अमरनाथ डोगरा, दिल्ली
 श्री उदयपटवर्धन, पुणे
 श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, पटना
 डा० सुधाकर कुलकर्णी, गोहाटी
- श्री सर्वोत्तम राव, बंगलौर
 डा० सु धाकर कुलकर्णी, गोहाटी
- डा० वसंतकुमार राय, परासिया
- श्री वसंतकुमार राय, परासिया

26. श्रम कानूनों के लागू करने संबंधी पुनर्विचार हेतु समिति
27. कर्मचारी भविष्यनिधि की उपसमिति
28. कर्मचारी भविष्यनिधि की स्वास्थ्य लाभ समिति
29. कर्मचारी भविष्यनिधि स्टैंडिंग कमेटी
30. ऊर्जा एकीकरण की राष्ट्रीय द्विपक्षीय समिति
31. विश्वकर्मा श्रम पुरस्कार एवं सुरक्षा पुरस्कार समिति
32. श्रममंत्रालय की भविष्यनिधि एवं प्राविडेंट फंड की उपसमिति
33. इंजीनियरिंग उद्योग की त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति
34. परिवार कल्याण की त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति

श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
 श्री जी० प्रभाकर, दिल्ली
 श्री सरोज कुमार मित्र, कटक
 डा० एच. एच. गौतम, मुम्बई
 श्री महिनारायण झा, हरिद्वार
 श्री लक्ष्मण रविन्दर सिंह, जम्मू
 श्री मांगीलाल रस्तोगी, दिल्ली
 श्री बी. के. जग्गी, दिल्ली
 श्री रामदेव प्रसाद, पटना
 श्री लक्ष्मीनारायण, अलीगढ़
 श्री राम आसरे लाल, उ०प्र०
 श्री रामप्रकाश, मिश्र, दिल्ली

भामसं. के प्रकाशन (फरवरी 91 से मार्च 1994 के बीच

क्र०	पुस्तक का नाम	लेखक	प्रकाशक	मूल्य
1.	सर्चफॉर अल्टरनेटिव	श्री जी० प्रभाकर	भा.म.सं.	4.00
2.	लेबराइजेशन-नीड ऑफ दि आवर	बी.एन.राय	भा.म.सं.	6.00
3.	नाइंथ आल इंडिया कान्फ्रेंस	रिपोर्ट	भा.म.सं.	5.00
4.	स्टोरी ऑफ न्यूसेन्ट्रल ज्यूट मिल	बी.एन. राय	भारतीय श्रम शोधमण्डल पुणे	5.00
5.	बी.एम.एस.मेमारेडम टू प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया		भा.म.सं.	2.00
6.	पेंशन स्कीम ऑफ प्रोविडेन्ट फंड	श्री ए. वेंकटरण	भामसं. कर्नाटक	7.50
7.	नैशनल डीबेर-पब्लिक व्हर्सेस प्रायवेट सेक्टर	श्री बी.एन.राय	भामसं.	3.00
8.	अँगोनी अँड होप दि इंडियन एग्रीकल्चरल लेबर	श्री एम.जी.डोंगरे	भारतीय श्रम शोध मण्डल, पुणे	120.00

हिन्दी

1.	श्रमिकीकरण	श्री बी.एन.राय	भामसं.	3.00
2.	कार्यकर्ता की मनोभूमिका	श्री ठेंगड़ी जीकेभाषण	विश्वकर्मा श्रमिक शिक्षा संस्था, नागपुर	7.00
3.	राष्ट्र की अस्मिता	श्री रामप्रकाश मिश्र	भामसं.	3.00
4.	डंकल प्रस्ताव	श्री रामप्रकाश मिश्र	भामसं.	5.00
5.	राष्ट्रपति को मांगपत्र 20 अप्रैल 1993		भामसं.	2.00
6.	राज्य पथ परिवहन: दिखवा एवं वास्तविकता,		भा. परिवहन मजदूर महासंघ	

8

पुनर्मुद्रण

1.	संकेत रेखा		60.00
2.	कल्पवृक्ष		50.00
3.	लक्ष्य और कार्य		30.00
4.	डंकल प्रस्ताव		5.00

भामसं. की पत्र-पत्रिकाएं

1. विश्वकर्मा संकेत,
(अंग्रेजी मासिक)
रामनरेश भवन, तिलक गली,
पहाड़ गंज, नई दिल्ली - 110055
2. भारतीय मजदूर संघ समाचार,
(हिन्दी पाक्षिक)
2- नवीन मार्किट,
कानपुर - 20001,
3. भारतीय मजदूर क्रॉनिकल
(हिन्दी पाक्षिक)
44/26, दक्षिण तात्या टोपे नगर,
भोपाल - 462003,
4. मजदूर भारती
(मल्याली मासिक)
भामसं. कल्लई रोड, कालीकट-2
5. मजदूर संवाद (बंगला)
10, किरण शंकर राय रोड,
कलकत्ता - 700001,
6. मजदूर वार्ता, (मराठी पाक्षिक)
185, शनिवार पेठ,
पुणे - 411030,
7. मजदूर चेतना
(गुजराती मासिक)
भारतीय मजदूर संघ, देव चेम्बर,
ढेबर भाई रोड, राजकोट - 360001
8. कि.एम. एस. सेटि (तमिल)
1, देवराजुलु नायडु मार्ग
ऐना बरम्, मद्रास - 6000023
9. टेलिटैक, (अंग्रेजी मासिक)
टी-15, अतुलग्रोव रोड,
नई दिल्ली - 110001,
10. टेलिकोन भारती (अंग्रेजी मासिक)
49, शेलेश सोसायटी, हिंगणे,
पुणे - 411029,
11. पोस्टल भारती (अंग्रेजी मासिक)
12 लम्सडन स्कवेयर, सिंधिया रोड,
नई दिल्ली - 110001,
12. वाहतुक वार्ता, (मराठी मासिक)
महाराष्ट्र मोटर कामगार महासंघ,
बुटी बिल्डिंग के सामने,
तौताबर्डी, नागपुर - 440030
13. दूरसंचार महासंघ,
(अंग्रेजी-हिन्दी मासिक)
टी-15 अतुल ग्रोव रोड,
नई दिल्ली - 110001,
14. ई.डी. वाणी,
(अंग्रेजी-हिन्दी-मासिक)
टी-15, अतुल ग्रोव रोड,
नई दिल्ली - 110001,
15. रेलवे श्रमितक वार्ता, (हिन्दी)
उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन
तिलक गली, पहाड़गंज,
नई दिल्ली - 110055
16. संचार वाणि
टी-15, अतुल ग्रोव रोड
नई दिल्ली - 110002

सदस्यता जांच - 1989

केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा 31/12/89 तक के प्रस्तुत किए सदस्यता दावे की तालिका जिससे कृषि क्षेत्र की संख्या भी समिमलित है।

विशेष:- इस तालिका में प्रस्तुत दावों की संख्या है, न कि सदस्यता जांच के बाद मान्य की गई संख्या)

क्र०	के० श्रम संगठन	श्रमसंघों की संख्या	सदस्य संख्या
1.	इंटक	4428	54, 35, 705
2.	एच. एम. एस.	1248	43, 56, 034
3.	भा.म.सं.	2888	41, 05, 655
4.	एटक	2996	29, 73, 933
5.	सीटू	3018	24, 07, 406
6.	हिं.म.कि. पंचायत	82	15, 60, 730
7.	यूटीयूसी (लेनिन सारिणी)	231	11, 97, 607
8.	आय. सी. एल.	24	8, 45, 670
9.	यू.टी.यू.सी.	413	7, 84, 695
10.	एन. एफ. आय.टी.यू.	132	7, 61, 014
11.	एन. एल. ओ.	356	6, 61, 213
12.	आय. एफ. एफ. टी. यू.	26	5, 14, 770
13.	टी. यू.सी.सी.	198	5, 13, 420

कृषि से संबंधित श्रम संघ एवं उनकी सदस्य संख्या

क्र०	के० श्रम संगठन	श्रमसंघ	सदस्य संख्या
1.	इंटक	118	9, 03, 951
2.	एच. एम. एस.	-	6, 81, 793
3.	भा.म.सं.	90	4, 02, 272
4.	एटक	7	12, 150
5.	सीटू	80	93, 348
6.	एच.एम.के.पी.	2	5, 63, 782
7.	यू.टी.यू.सी. (ले०सा०)	10	6, 21, 399
8.	आय.सी.एल.	1	5, 50, 000
9.	यू.टी.यू.सी.	12	3, 14, 389
10.	एन.एल.ओ.	12	1, 66, 739
11.	आय. एफ. एफ टी. यू.	1	12, 000
12.	टी. यू. सी. सी.	4	2, 29, 969

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम् ॥ वन्दे मातरम् ॥१॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ॥ वन्दे मातरम् ॥२॥

कोटि-कोटि कंठ कलकल निनाद कराले
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले
के बोले मा तुमि अबले
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदल वारिणीम् मातरम् ॥ वन्दे मातरम् ॥३॥

तुमि विद्या तुमि धर्म
तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहु ते तुमि मा शक्ति
हृदये तुमि मा भक्ति
तोमारि प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे ॥ वन्दे मातरम् ॥४॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्
अमलाम्, अतुलाम्, सुजलाम्, सुफलाम्, मातरम् ॥ वन्दे मातरम् ॥५॥
श्यामलाम्, सरलाम्, सुस्मिताम्, भूषिताम्
धरणीम्, भरणीम्, मातरम् ॥ वन्दे मातरम् ॥६॥